शिक्षा गारंटी योजना

और

वैकल्पिक

व

नवाचारी शिक्षा

NIEPA - DC

D12886

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12886
DOC, No.
Date 15-11-2005

शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	मद	पृष्ठ संख्या
1.	अनौपचारिक शिक्षा योजना की पृष्ठभूमि	1-3
2.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के कारण	3-8
3.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा का कार्य ढाँचा/ मुख्य विशेषताएँ	8-12
4.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा द्वारा स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए कार्यनीतियाँ	12-15
5.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा में समुदाय की भूमिका	15-16
6.	शिक्षा कर्मियों का चयन	16-17
7.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चयन	17-21
8.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा	21-22
9.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रबन्ध	22-28
10.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के प्रस्तावों को तैयार करने की प्रक्रिया/अन्तिम रूप देना	28-34
11.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव	34-35
12.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत अपराक्रम्य	35-37
13.	शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत मानीटरिंग और मूल्यांकन के प्रबन्ध	37-38
14.	वित्तीय प्रतिमानक एवं इकाई लागत	38-43
परीशिष्ट		
1.	स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए कार्यनीतियाँ	45-57
2.	एक उन्नत स्कूल की संकल्पना	58-70
3.	सूक्ष्म आयोजना	71-78
4.	शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों का खोला जाना	79-83
5.	शिक्षा गारंटी योजना और स्थानीय समुदाय के बीच अनुबन्ध	84-85
6.	स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्य पद्धति	86-91
7.	केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन	92-94
8.	एक खंड (ब्लाक) के लिए लागत ढाँचा (100 शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र)	95

शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा

मार्गदर्शिका

1. पृष्ठभूमि : वर्तमान अनौपचारिक शिक्षा योजना

1.1 सिंहावलोकन

संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में औपचारिक तंत्र को मदद करने के नजरिये से सन् 1979-80 में प्रायोगिक आधार पर केन्द्र समर्थित अनौपचारिक शिक्षा (अनौ०शि०) योजना प्रारम्भ की गई थी । अगले वर्षों में योजना का विस्तार करके शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों-आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को भी इसमें शामिल कर लिया गया ।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया था कि स्कूल सभी बच्चों तक नहीं पहुँच सकता और स्कूल छोड़ देने वालों के लिए, स्कूल रहित आवासीय बस्तियों और कामकाजी बच्चों एवं पूरे दिन स्कूलों में उपस्थित न रह सकने वाली लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के एक बड़े व व्यवस्थित कार्यक्रम की आवश्यकता होगी । इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रयास की समग्र कार्यनीति में अनौपचारिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक बन गई । *सन् 1987-88 में अनौ०शि० योजना संशोधित की गई । शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों पर तो ध्यान देना जारी रखा गया साथ ही शहरी झोंपड़-पट्टियों, पहाड़ी, आदिवासी व रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा दूसरे राज्यों में कामकाजी बच्चों के लिए परियोजनाओं व संघ राज्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अनौ.शि. योजना का एक बड़ा भाग राज्य सरकार, जो की अनौ०शि० केन्द्र स्थापित करती है,* द्वारा चलाया जाता है । इस योजना का एक घटक स्वैच्छिक संस्थाओं को अनौ०शि० केन्द्र चलाने तथा नवाचारी शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से सीधे अनुदान उपलब्ध करवाता है ।

अनौपचारिक शिक्षा योजना की मजबूती के लिए 1992 की कार्य योजना में तैयार की गई कार्य नीतियाँ इस प्रकार हैं :-

(क) शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अपनाई गई सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के आधार पर अनौ०शि० केन्द्रों की स्थापना करना ।

(ख) समुदाय को केन्द्र स्थापित करने, अनुदेशक की पहचान करने तथा अनौ०शि० केन्द्र का पर्यवेक्षण करने आदि कार्यों से जोड़ते हुए केन्द्रीय भूमिका में शामिल करना ।

(ग) भिन्न-भिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनौ०शि० कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न मॉडल विकसित करने के प्रयास ।

(घ) अनौ०शि० के अनुदेशकों का पर्याप्त प्रशिक्षण व प्रबोधन । अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा बाद के वर्षों में प्रति वर्ष 20 दिवसीय प्रशिक्षण इत्यादि ।

(ङ) अनौ०शि० केन्द्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को देरी से अथवा सत्र के मध्य में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए औपचारिक स्कूल के साथ संबंध जोड़ना ।

(च) अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को औपचारिक स्कूलों से जोड़ने के प्रयास ।

(छ) बच्चों को केन्द्र में रखने की नीति को अपनाना । बच्चों का शैक्षिक स्तर औपचारिक तंत्र के बच्चों के बराबर होना चाहिए ।

1.2 अनौ०शि० योजना की वर्तमान स्थिति

- यह योजना 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों तथा 812 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा लागू की जा रही है ।
- वर्तमान में राज्य क्षेत्र में 2.38 लाख प्राथमिक तथा 6800 उच्च प्राथमिक केन्द्र स्वीकृत हैं ।
- 58000 प्राथमिक तथा 1000 उच्च प्राथमिक केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं ।
- 41 प्रयोगात्मक व नवचारी शिक्षा परियोजनाएँ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं ।
- कुल 74 लाख बच्चे अनौ०शि० योजना के दायरे में हैं ।

1.3 अनौपचारिक शिक्षा योजना के संचालन की समीक्षा व मूल्यांकन

1.3.1 राज्य सरकारों, संस्थाओं एवं सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से योजना आयोग के प्रतिष्ठित "कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन" (PEO) द्वारा किए गए कई मूल्यांकनों मे इंगित किया गया कि योजना का क्रियान्वयन संतोषप्रद नहीं रहा है ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा खोजे गये तथ्य निम्नलिखित हैं :-

(i) स्थानीय समुदाय, ग्राम शिक्षा समितियों (ग्रा०शि०स०) व पंचायती राज संस्थाओं (पं०रा०सं०) की अपर्याप्त सहभागिता ।

(ii) औपचारिक स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर प्रवेश की सुविधाओं का न होना तथा राष्ट्रीय खुला स्कूल (नेशनल ओपन स्कूल) के साथ कोई सम्बन्ध न होना ।

(iii) यह धारणा कि वैकल्पिक तंत्र गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों रूपों में कमतर एवं दूसरे दर्जे का है ।

(iv) प्रशासकीय तथा वित्तीय शक्तियों का अपर्याप्त विकेन्द्रीकरण ।

(v) अपर्याप्त लचीलापन । यह समझने की आवश्यकता है कि भिन्न-भिन्न बाल-समूहों की शैक्षणिक आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । तथा योजना में उन्हीं के अनुरूप बदलाव किया जाना चाहिए ।

(vi) लड़कियों को शामिल करने में असफलता । बालिका केन्द्रों पर उपस्थिति तथा कार्यक्रम में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम है ।

(vii) राज्य सरकारों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं के कामों का कमजोर समन्वयन ।

(viii) योजना का समग्र दायरा बहुत सीमित है । यह स्कूल से बाहर रहने वाले 10% से भी कम बच्चों को अपने दायरे में शामिल करती है ।

(ix) सभी स्तरों पर धन राशि के आवंटन में देरी ।

(x) अनौ०शि० केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा प्राथमिक स्तर पूरा करने की दर बहुत कम है । यहाँ से औपचारिक स्कूलों में पहुँचने की दर बहुत कम है ।

1.3.2 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन दो घण्टे बच्चों के लिये उपयुक्त समय पर चलते हैं । लेकिन कई राज्यों में ये दिन में काम करने वाले बच्चों को शामिल करने के लिहाज से शाम को या रात में संचालित होते हैं । अनौ०शि० योजना, केन्द्रों के संचालन में, समय के लिहाज से लचीली होने का दावा करती है लेकिन इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में लगभग देश भर में एकरूपता व जड़ता की स्थिति पाई गई है । कुछ राज्यों जैसे आन्ध प्रदेश व मध्य प्रदेश ने अनौ०शि० योजना में सुधार का निर्णय लिया लेकिन उन्हें योजना के विद्यमान ढांचे के भीतर लागू किया जाना संभव नहीं हो सका । एक बड़ी संख्या में अनौ०शि० केन्द्र उन आवासीय इलाकों में सीमित कर दिये गए जहाँ पहले से ही औपचारिक स्कूल थे । इसलिए स्कूल रहित छोटे व बिखरे हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले आवासीय इलाकों के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता नहीं मिली ।

स्पष्ट है कि अनौ०शि० योजना अपने वर्तमान स्वरूप में स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिए गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकी । जो उद्देश्य एवं मानदण्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं 1992 की कार्य-योजना में तय किये गए थे वे वर्तमान अनौ०शि०यो० के माध्यम से लागू नहीं किए जा सके ।

2. शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा योजना के कारण

2.1 शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा (**शि०गा०यो० और वै०न०शि०**) निम्नलिखित चिन्ताओं और अनुभवों से उपजी है :-

i) *वर्तमान अनौ०शि० योजना की कमियां* जैसे बहुत कम निवेश, समुदाय की कमजोर भागीदारी, अनुदानों के आवंटन की समस्या, इसके साथ ही कुछ गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, जैसे: अनुदेशकों का प्रशिक्षण, प्रतिदिन पढ़ाने के घण्टों आदि पर भी ध्यान दिया जाना था ।

ii) *जो उद्देश्य एवं मानदण्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (विशेषकर 1992 की कार्य-योजना) में चिन्हित किये गए थे, उन्हें नयी योजना में शामिल किये जाने की आवश्यकता थी ।*

iii) *लोक जुम्बिश और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि०प्रा०शि०का०) तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्यों में चलायी गयी नवाचारी योजनाओं* जिनमें पिछले कुछ वर्षों में वैकल्पिक शिक्षा की लचीली रणनीतियाँ क्रियान्वित की गई हैं, के अनुभवों से पता चलता है कि स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिए यथेष्ट सामुदायिक सहभागिता एवं आवश्यक गुणवत्ता के साथ कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है । इन कार्यक्रमों से सीखने लायक सार्थक अनुभव निम्नलिखित हैं :

- वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता तथा स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की समस्याओं का स्वरूप जानने के लिए समुदाय पर आधारित सूक्ष्म नियोजन का उपयोग करना ।

- चूँकि स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की प्रकृति अलग-अलग तरह की हैं अत: प्राथमिक शिक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की कार्यनीतियों की आवश्यकता होगी । स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर पाने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होगी ।
- वैकल्पिक विद्यालय के संतोषप्रद संचालन के लिए समुदाय व वैकल्पिक स्कूल के बीच नजदीकी रिश्ता जरूरी है ।
- पढ़ाने के घंटों, अध्यापक की तैयारी, सीखने-सिखाने की सामग्री, विशेषज्ञों द्वारा स्कूल के निरीक्षण तथा समय-समय पर योजना बैठकों के माध्यम से नियमित अकादमिक मदद एवं अनौ०शि०/वै०शिक्षा केन्द्रों में प्रचलित उम्र एवं विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण स्थितियों के लिए उचित शिक्षण-विज्ञान (पेडागॉजी) व सीखने-सिखाने की सामग्री का उपयोग आदि सहित अन्य गुणवत्ता सम्बन्धी पहलुओं पर यथेष्ट जोर दिये जाने की आवश्यकता है ।

iv) *वर्तमान में अनौ०शि० से वंचित रखे गये आवासीय बस्तियों में शैक्षणिक सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता है ।* 1993 में किये गये छठे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण ने यह इंगित कर दिया था कि देश में 1.8 लाख आवासीय बस्तियों में प्राथमिक स्कूल नहीं थे । पिछले छह वर्षों के दौरान इन आवासीय बस्तियों के बड़े हिस्से में जि०प्रा०शि०का० के अंतर्गत नये प्राथमिक स्कूल तथा वै० स्कूल स्थापित करके, राज्यों द्वारा की गई विशेष पहल जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा गारण्टी योजना, राजस्थान में राजीव गाँधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, पश्चिम बंगाल में शिशु शिक्षा कर्मसूची, आन्ध्र प्रदेश में समुदाय/माबाड़ी स्कूल आदि के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं । फिर भी उन बची हुई स्कूल रहित बस्तियों को स्कूल के दायरे में लाने का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिये ।

v) *सर्वोच्च न्यायलय ने 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा को ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता । केन्द्र समर्थित सर्व शिक्षा अभियान (स०शि०अ०) की योजना में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (प्रारं०शि०सर्व) की प्राप्ति के लिये समयबद्ध लक्ष्य निश्चित किया गया है ।*

- 2003 तक सारे बच्चे स्कूल/शि०गा० केन्द्र/वै० स्कूल या स्कूल वापसी शिविर में होंगे ।
- 2007 तक सारे बच्चे प्राथमिक (पांचवी तक) स्तर की शिक्षा पूर्ण कर लेंगे ।
- 2010 तक सारे बच्चे प्रारंभिक (आठवीं तक) स्तर की शिक्षा पूर्ण कर लेंगे ।

अनौ०शि० योजना अब तक, स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिए एक अलग-थलग प्रयास की तरह बड़े स्तर पर संचालित रही है । जिसका परिणाम इसके औपचारिक तंत्र से कमजोर रिश्तों, अनौ०शि० तंत्र से बच्चों को मुख्यधारा में लाने पर अपर्याप्त ध्यान तथा अनौपचारिक एवं औपचारिक तंत्र के बीच दोहरे नामांकन के रूप में सामने आया है । अत: इस योजना में जरूरी परिवर्तन लाजमी था ।

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को स्कूल में पहुँचाने की कोशिश तथा उनकी नियमित भागीदारी सुनिश्चित करना और प्राथमिक/प्रारम्भिक स्तरों तक की शिक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी करना, ये सभी प्रारं०शि०सर्व० के लिये किये जा रहे समग्र प्रयासों के हिस्से होंगे । प्रारं०शि०सर्व० के लिये भौगोलिक इकाई के आधार पर

योजना बनेगी । उदाहरण के लिये जिले को औपचारिक विद्यालय और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिये सभी बच्चों को स्कूल में लाने की व्यापक योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी ।

2.2 औपचारिक एवं वैकल्पिक तंत्र : एक सैद्धान्तिक बहस

वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था (अनौ०शि० योजना सहित) पर हमेशा से ही कुछ आधारों पर सवाल उठाये जाते रहे हैं । इस सैद्धान्तिक बहस की अपनी प्रासंगिकता है और शायद यह भविष्य में भी जारी रहेगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० इन मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :-

वैकल्पिक तंत्र के बारे में उठाये जाने वाले कुछ सवाल	शि०गा०यो० और वै०न०शि०के अंतर्गत कुछ मान्यताएँ
I) क्या वैकल्पिक तंत्र वैकल्पिक/नवाचारी शिक्षा शास्त्रों की वकालत करते हैं जो कि जड़ व अनाकर्षक औपचारिक तंत्र की समस्याओं को इंगित करते है, जिनमें स्तरानुसार/ लचीली सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की किसी संभावना की जगह नहीं है ? या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ केवल वर्तमान में स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की स्कूल में भर्ती सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर ही शुरू की गई है ?	I) इस योजना का केन्द्र बिन्दु छोटे एवं वंचित आवासीय इलाकों में रहने वाले बच्चों सहित अन्य श्रेणी के बच्चों जैसे कामकाजी बच्चे, घुमंतू (प्रवासी) बच्चे, गलियों में एवं फुटपाथों पर रहने वाले बच्चे, किशोरियाँ आदि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को स्कूल में लाना है । फिर भी आगामी अनुच्छेद स्पष्टत: इंगित कर देगा कि इसमें सघन शिक्षक प्रशिक्षण, सीखने-सिखाने की उचित सामग्री व बच्चों के मूल्यांकन की पद्धतियों के विकास, शिक्षा स्वयंसेवकों की नियमित अकादमिक मदद आदि के माध्यम से गुणवत्ता संबंधी मुद्दों व उपयुक्त बाल-केन्द्रित, स्तरानुसार शिक्षण पद्धतियों को शुरूआत पर पर्याप्त जोर होगा । इसके साथ ही नवाचारी शिक्षा वाले हिस्से को स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों में किये जा रहे नवाचारों और प्रयोगों को मदद करना जारी रखा जायेगा ।
II) अधिकांश अनौ० तंत्र कम लागत के हल ढूँढ़ने पर जोर देते हैं तथा कम निवेश की वकालत करते हैं । फलस्वरूप उनकी गुणवत्ता भी खराब या कम होती है ।	II) किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक आधारभूत चीजों की जरूरत होती है जैसे: न्यूनतम ढाँचा, उपकरण, शिक्षा स्वयंसेवकों को पर्याप्त मानदेय, उनकी व्यावसयिक तैयारी व नियमित अकादमिक मदद में उचित निवेश आदि । इन अति आवश्यक तत्वों या चीजों के लिए, जिन से समझौता करना उचित नहीं हैं, पर्याप्त पूँजी निवेश आवश्यक है । कम लागत पर अनावश्यक जोर गुणवत्ता को कमजोर करता है । अत: शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत वर्तमान अनौ०शि०यो० की अपेक्षा निवेश काफी अधिक है ।

	फिर भी प्रति बालक निवेश औपचारिक तंत्र की तुलना में कम है । नियमित सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह की तुलना में शिक्षा स्वयंसेवकों का मानदेय बहुत कम होना इसकी मुख्य वजह हैं ।
III) सुविधा-जनक समय पर अंशकालीन शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर देने से अनौ०शि० कार्यक्रम बाल-मजदूरी को बढ़ावा व मदद देता है ।	III) बच्चों के काम करने का यह मुद्दा विवादास्पद है । इस मुद्दे पर किये जाने वाले विचार स्कूल नहीं जाने वाले हरेक बच्चे को बाल मजदूर या संभावित बाल मजदूर मानने से लेकर देश की गरीबी को बालकों के काम करने का संतोषजनक व स्वीकृत कारण मानने तक फैले हुए है । हाल ही में कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों व परियोजनाओं में सामान्यत: यह पक्ष लिया गया है कि नियमित स्कूली शिक्षा में भाग लेने वाले 14 वर्ष तक के बच्चे के लिये कोई भी काम करना यदि अड़चन बनता है तो उसे बाल- मजदूरी के रूप में मानना चाहिये और इसलिए उसका विरोध करना चाहिए । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के संदर्भ में बाल मजदूरी के मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट सैद्धान्तिक वक्तव्य देना मुश्किल है, फिर भी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य पर जोर देकर यह किया जा सकता है, उदाहरण के लिए : सभी बच्चों का नामांकन तथा उनके द्वारा प्रा०शि० पूरी करने का लक्ष्य । सर्व शिक्षा अभियान में यह माना गया है कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, न कि काम पर । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत अंशकालीन वै० स्कूलों की समयावधि प्रतिदिन कम से कम दिन में 4 घण्टे (केवल दुर्लभ मामलों को छोड़कर, जहाँ सायंकालीन व रात्रिकालीन केन्द्रों के संचालन की अनुमति होगी) रखी गयी है । इससे पढ़ाने के समय में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि बच्चे दिन के महत्त्वपूर्ण हिस्से में मजदूरी इत्यादि नहीं कर रहे हैं ।
IV) वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की उम्र के 5.6 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं । क्या बच्चों की इतनी बड़ी संख्या के लिये वैकल्पिक स्कूल स्थापित करना संभव है ? अनौपचारिक वैकल्पिक तंत्र कितना विस्तृत हो सकता	IV) वर्तमान में स्कूल से बाहर रह गये बच्चों (प्राथमिक स्तर तक के) के बड़े भाग के लिये, उनके आवासीय इलाकों के एक कि.मी. की परिधि में स्कूल नहीं है। ऐसी आवासीय बस्तियों में स्थापित वैकल्पिक या

है? किसी भी बड़े तंत्र के लिये पुराने तंत्र, जिसके विकल्प रूप में उसे बनाया गया है, की कमजोरियों और जड़ताओं का शिकार होने की संभावना होती है ।

शिक्षा गारंटी योजना जैसे स्कूल दिन के पूर्ण-कालिक स्कूल हो जाएँगे तथा इन इलाकों में बतौर शिक्षा गारंटी स्कूल, भविष्य में भी जारी रहेंगे अथवा निश्चित आवश्यक मानदण्ड पूरे कर लेने के बाद नियमित स्कूलों में तब्दील हो जाएँगे । बाकी बच्चे (जो छोटे और वंचित आवासीय इलाकों में नहीं रह रहे हैं) के लिये जोर इस बात पर होना चाहिए कि उनका नामांकन औपचारिक स्कूलों में हो जाए ।

जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने की योजना बने वहाँ उनके औपचारिक स्कूलों में नामांकित होने से पहले या बाद में उन स्कूलों में कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता होगी । इन प्रयासों के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण शिविर, ड्राप इन सेंटर, सेतु (ब्रिज) और ट्रांजिशनल पाठ्यक्रम, अवकाशीय या संक्षिप्त पाठ्यक्रम और समुदाय के शिक्षा स्वयंसेवकों के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण आदि हो सकते हैं।

लेकिन अनुभव बताता है कि बहुत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कुछ विशेष बच्चे जैसे -- गली के बच्चे, अपने परिवारों के साथ जगह-जगह घूमने (प्रवास पर जाने) वाले बच्चे, मजदूरी करने वाले बच्चे, किशोरियाँ (11-14 वर्ष उम्र की) आदि आसानी से सीधे औपचारिक स्कूलों में नामांकित नहीं करवाये जा सकते । इस तरह के बच्चों के समूहों की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो सके इसकी सुनिश्चितता के लिये उनकी परिस्थिति पर आधारित कुछ विशेष, लचीली कार्यनीतियों की आवश्यकता होगी ।

V) स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का बड़ा हिस्सा औपचारिक तंत्र से बाहर धकेल दिये गये (पुश-आउट) बच्चों का है । प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के संचालन में दिक्कत पहुँचा रही इस समस्या पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है । वैकल्पिक तंत्र की शुरूआत औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किये जाने वाले भगीरथ प्रयत्नों की जरूरत से ध्यान बँटा सकती है । अत: आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि औपचारिक तंत्र सर्वाधिक वंचित समूहों के बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ले ।	V) वास्तव में शि०गा०यो० और वै०न०शि० बंद पड़े स्कूलों के विकल्प नहीं है बल्कि ये विशेष समूहों के बच्चों के लिये लचीली कार्यनीतियां उपलब्ध करवाते हैं । 6-8 वर्ष उम्र के बच्चों के लिये लगभग सभी राज्यों में जोर नियमित स्कूलों में उनके नामांकन को सुनिश्चित करने पर है । यदि आवश्यकता हो तो एक आवासीय इलाके के स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों का नियमित स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने के लिये शि०गा० योजना और वै०न०शि० के अंतर्गत उन्हें स्कूल लाने या स्कूल की तैयारी या स्कूल के लिये प्रेरित करने के लिये ग्रीष्म कालीन शिविर लगाया जा सकता है । इस मूल समझ के साथ कि शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा नियमित स्कूलों के सबलीकरण और उन्नयन को रास्ते से नहीं भटकायेगी शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को मुख्य धारा में लाने पर जो जोर दिया गया है वह तब तक संभव नहीं है जब तक नियमित स्कूलों का सबलीकरण नहीं होता और उनमें पर्याप्त शिक्षा स्वयंसेवक, जरूरी ढांचा तथा उनकी समुदाय के प्रति जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाता । समुदाय के प्रति जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सबसे वंचित बच्चे भी सीखने व अध्ययन जारी रखने में सक्षम हैं ।

3. शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा का कार्यढाँचा:

मुख्य विशेषताएँ

3.1 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के दायरे में 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चे शामिल होंगे, लेकिन विकलांग बच्चों के मामले में, व्यक्ति और विकलांगता अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना के दायरे में 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे आयेंगे । पुरानी प्रचलित अनौ०शि० योजना के तीन अंग/हिस्से इस योजना में जारी रहेंगे :--

i) *सरकार द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्र* (अब शि०गा० योजना स्कूल या कई तरह के वैकल्पिक स्कूल/स्कूल वापसी शिविर) ।

ii) *स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले* शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र या वैकल्पिक स्कूल ।

iii) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली *जिला संसाधन इकाइयाँ तथा नवाचारी शिक्षण रणनीतियों के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाएँ ।*

3.2 शि०गा०यो० और वै०न०शि० इस मान्यता पर आधारित है कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्रारं०शि०सर्व० की समग्र योजना बनायी जानी चाहिये । ज्यादातर राज्यों में अनौ०शि० के अन्तर्गत स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये बनी योजनाओं ने औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समानान्तर रास्ता अख्तियार किया था । इसकी अन्तर्निहित मान्यता यह थी कि स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये एक मात्र विकल्प अंशकालीन, अनौपचारिक शिक्षा ही है ।

शि०गा०यो० और वै०न०शि० में एकदम साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक जिले का पहला लक्ष्य 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालय में भर्ती करवाने का होना चाहिये (यदि जरूरत पड़े तो कुछ प्रेरक शिविरों या सेतु पाठ्यक्रमों की मदद से) । बड़ी उम्र के बच्चों (9-11 वर्ष की उम्र) को भी उपयुक्त माध्यमों जैसे सेतु पाठ्यक्रमों, आवासीय शिविरों इत्यादि से मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिये । जहां तक संभव हो औपचारिक विद्यालयों में भर्ती और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने को सुनिश्चित करने पर मुख्य जोर होना चाहिये । यह बात अब तक स्थापित हो चुकी है कि 12-14 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चे (जो कभी भी स्कूल में भर्ती नहीं हुए हों या जिन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया हो) और कुछ विकट समूह जैसे गली और समुदाय के बच्चे, घुमंतू बच्चे, बन्धुआ मजदूर इत्यादि को औपचारिक स्कूलों में भर्ती नहीं किया जा सकता और इन्हें कुछ समय के लिये वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी ।

इस तरह के तरीकों में यह माना गया है कि स्कूल से बाहर रह गये बच्चे के लिये बच्चेवार योजना बनानी पड़ेगी और स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये जरूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने से पहले उनके लिये औपचारिक विद्यालयों में भर्ती करने अथवा मुख्य धारा से जोड़ने की संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी । इसमें अनौपचारिक और औपचारिक व्यवस्था को सभी स्तरों पर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी । इस समय कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में अनौ०शि० और प्रारंभिक शिक्षा (प्रारं०शि०) के ढांचे लगभग अलग-अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र है और खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर इनमें कोई संबंध नहीं है ।

चूंकि शि०गा०यो० और वै०न०शि० योजना स०शि०अ० के अन्तर्गत प्रारं०शि०सर्व० के लिये किये जा रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में लागू की जायेगी, इस योजना के लिये व्यक्ति और ढांचे निश्चित रूप से या तो सभी स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा के ढांचों के एक हिस्से के रूप में होंगे या फिर उसके साथ जुड़े होंगे।

शि०गा०यो० और वै०न०शि० योजना सर्व शिक्षा अभियान (स०शि०अ०) के ही एक अंग के रूप में होगी । स०शि०अ० के अंतर्गत हरेक जिला "जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना" (जि०प्रारं०शि०यो०) तैयार करेगा । इसमें स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ-साथ, स्कूल में सुधार के लिये कई तरह के कदम, स्कूल का उन्नयन (सुधार), बच्चों को प्रोत्साहन, शिक्षा स्वयंसेवकों का चयन, नियमित स्कूलों और आरंभिक बाल शिक्षा (ECE) की गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल होंगे । स्कूल से बाहर रहे बच्चों के लिये धन राशि शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत अनुदानित होगी । *यह अपेक्षा की जाती है कि दसवीं (पंचवर्षीय) योजना की शुरूआत तक शि०गा०यो० और वै०न०शि० का सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में विलय हो जायेगा तथा अलग से एक योजना के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।* तब शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अर्न्तगत सहायता पाने वाले सीधे स०शि०अ० के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करेंगे ।

3.3 शि०गा०यो० और वै०न०शि० लचीली कार्यनीतियों का समर्थन करेगी जिनमें स्कूल रहित बस्ती में स्कूल खोलना, घुमंतू बच्चों के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम या अस्थायी छात्रवास (Seasonal Hostel), आवासीय शिविर, गली और झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों के लिये ड्राप-इन-सेन्टर, औपचारिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिये निदानात्मक/उपचारात्मक शिक्षण, छोटी अवधि के ग्रीष्म कालीन शिविर इत्यादि शामिल होंगे ।

3.4 शि०गा०यो० और वै०न०शि० ऐसे वंचित आवासीय इलाकों में, जिनके 1 कि० मी० के दायरे में कोई स्कूल मौजूद नहीं है तथा जहाँ 6-14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले कम से कम 15 बच्चे मौजूद हैं, शि०गा०यो० स्कूलों (प्राथमिक स्तर तक) को स्थापित करने को प्राथमिकता देगी । अपवाद स्वरूप मामलों में जैसे उत्तर-पूर्वी भारत के हिस्सों में और जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की दूर-दराज की बस्तियों में, 10 बच्चों के लिये भी शि०गा०यो० के स्कूल को मदद दी जा सकती है । स्वयंसेवी संस्थाएं योजना के कुल लागत के मानदण्डों के भीतर शि०गा०यो० के स्कूल स्थापित करने के लिये आवेदन कर सकती हैं । दूसरी श्रेणी में सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल वापसी केन्द्र या शिविर आदि को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका मकसद स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों में लाना है ।

3.5 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करने से पहले सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रियाएँ अपनानी होंगी, जिसमें घर-घर सर्वेक्षण और सामुदायिक माँग व प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलना जरूरी होगा । शि०गा०यो० के स्कूल के लिये सभी बच्चों की पहुँच में स्कूल की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिये मानदण्ड आधारित शाला-मानचित्रण किये जाने के सबूत की जरूरत होगी । समुदाय की मांग के आधार पर, मानदण्डों के अन्तर्गत माँग के सही पाये जाने पर, उपयुक्त समयावधि के दौरान, जो कि प्रत्येक राज्य द्वारा स्वयं तय की जायेगी, राज्य शि०गा०यो० के स्कूल खोलना सुनिश्चित करेगा ।

3.6 योजना के एक घटक शि०गा०यो० के अन्तर्गत छोटी व वंचित आवासीय बस्तियों में वैकल्पिक स्कूल स्थापित करने का काम आवश्यकतानुसार पूरे देश में किया जा सकता है । जो राज्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं उनमें भी बहुत वंचित बच्चों के विशेष वर्ग जैसे:- बाल-श्रमिक, गली के बच्चे, घुमंतू बच्चे और बड़े बच्चे (9 से अधिक आयु वर्ग के, विशेषकर किशोरियाँ) आदि-के लिये वैकल्पिक शिक्षा के प्रयासों को शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत सहायता दी जाएगी । लेकिन शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े दस राज्यों को दी जा रही प्राथमिकता जारी रहेगी ।

3.7 राज्य स्तरीय सोसायटी शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिये जिम्मेदार होगी । जिला स्तरीय प्रस्तावों में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों/केन्द्रों के प्रस्तावों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव भी शामिल होंगे । स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी प्रस्ताव शि०गा०यो० और वै०न०शि० के जिला स्तरीय प्रस्तावों का हिस्सा होंगे । स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव भी राज्य स्तरीय सोसायटी की अनुदान समिति से अनुमोदित किये जायेंगे* । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के तहत राज्य द्वारा चलाये जा रहे सभी स्कूलों के लिये दी जाने वाली धनराशि में केन्द्र और राज्य सरकारों का हिस्सा 75:25 के अनुपात में होगा । स्वयंसेवी संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान मिलेगा ।

3.8 शुरूआती कामों में से एक काम, राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के साथ सहमति-पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर करने का होगा । योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा

---

* स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों में राज्य सरकारें समुचित सुधार / बदलाव कर सकती हैं ।

दिये जाने वाले अनुदान राज्य स्तर पर गठित/चिन्हित की गई सोसायटी को स्थानान्तरित किये जायेंगे । *चूंकि शि०गा०यो० और वै०न०शि० सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारं०शि०सर्व० के लिये किये जा रहे संपूर्ण प्रयासों का ही एक अंग होगी, इसके लिये भी राज्य स्तरीय सोसायटी आवश्यक रूप से वही होनी चाहिए जो सर्व शिक्षा अभियान के लिये चुनी गई है ।* यह राज्य स्तरीय सोसायटी स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा लागू किये जा रहे कार्यक्रमों के समन्वयन व मानीटरिंग (देख-रेख) के लिये भी जिम्मेदार होगी ।

3.9 उन जिलों और खण्डों में, जहाँ प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की केन्द्र समर्थित या विदेशी सहायता से संचालित कार्यक्रम/परियोजनाओं, जैसे जि०प्रा०शि०का०, लो०जु० कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम (भारत सरकार व संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम) में स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये की जा रही कोशिशों (शि०गा० स्कूल और वैकल्पिक स्कूल) को आर्थिक मदद, परियोजना अवधि के अन्त तक इन्हीं योजनाओं से दी जायेगी । वर्तमान में शि०गा०यो० और वै०न०शि० के प्रस्ताव परियोजना रहित (जि०प्रा०शि०का० और लो०जु०प० रहित) जिलों पर केन्द्रित होंगे । परियोजनाओं वाले जिलों में शि०गा०यो० और वै०न०शि० स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये प्रयासों को निम्नलिखित परिस्थितियों में सहायता दे सकती है :

(i) बड़े बच्चों (11-14 वर्ष) के लिये प्रयास-जिन्हें 6-11 वर्ष के बच्चों पर केन्द्रित परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का० आदि) के अंतर्गत नहीं लिया गया हैं ।

(ii) स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वंचित बच्चों के विशेष समूहों जैसे गली एवं फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, वेश्यावृत्ति करने वालों के बच्चे, बन्धुआ बाल मजदूर आदि की शिक्षा के लिये प्रयास किये जायेंगे ।

(iii) अन्य प्रयास (शि०गा०यो० स्कूलों सहित)-यदि किसी कारण से परियोजना के अंतर्गत **जिलों को** उपलब्ध अनुदान अपर्याप्त हो ।

2000-01 के दौरान परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०का०, जनशाला कार्यक्रम) तथा सर्व शिक्षा अभियान के दायरे से बाहर रह गये जिलों में केवल शि०गा०यो० के प्रस्तावों को ही मदद दी जाएगी ।

3.10 राज्य स्तरीय सोसायटी, प्राथमिक स्तर के लिये प्रति केन्द्र लागत 845/- रू० प्रति बालक प्रति वर्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये 1200/- रू० प्रति बालक प्रति वर्ष की समग्र सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रस्तावों (राज्य द्वारा संचालित अथवा स्वै०सं० द्वारा) को स्वीकृत करने के लिये अधिकृत होगी । इनसे अधिक लागतों वाले सभी प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजने की आवश्यकता होगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव के लिये अधिकतम सीमा 3000 रू० प्रति बालक प्रति वर्ष है । यह सीमा भारत सरकार से सीधे अनुदानित नवाचारी व प्रायोगिक घटकों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों पर भी लागू होगी ।

3.11 प्रायोगिक व नवाचारी घटकों (सीधे केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित) के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों सहित 845/- रू० (प्राथमिक स्तर) या 1200/- रू० (उच्च प्राथमिक स्तर) की सीमा को पार करने वाले प्रस्ताव किसी वर्ष के लिये आवंटित कुल बजट के 15% की सीमा के भीतर होने चाहिये ।

3.12 सूक्ष्म नियोजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, शि०गा०यो० के स्कूलों पर जोर और योजना के कुछ पहलुओं में बदलाव को देखते हुए, शि०गा०यो० और वै०न०शि० की योजना नये सिरे से बनानी पड़ेगी । इस कार्यक्रम की उपयुक्त योजना बनाने के लिये राज्य और स्वै०सं० द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे अनौ०शि० के

केन्द्रों को बन्द करना पड़ेगा । इसलिये अनौ०शि० की सभी परियोजनाएं, स्वै०सं० की परियोजनाओं सहित, 31-3-2001 से पहले बन्द हो जायेंगी । यदि प्रस्तावित या चल रहे शि०गा०यो० के स्कूल के 1 कि. मी. के दायरे में चल रहे सभी अनौ०शि० केन्द्र बन्द कर दिये गये हों तो राज्यों द्वारा 31-3-2001 से पहले शि०गा०यो० के स्कूल शुरू किये जा सकते हैं (या इस समय चल रहे शि०गा०यो० के स्कूलों को शि०गा०यो० और वै०न०शि० से धन देने का प्रस्ताव किया जा सकता हैं) ।

3.13 करीब 100 जिलों में 2000-01 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान शुरू किये जाने की संभावना है । यह उम्मीद की जाती है कि ये जिले स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया अपनाने तथा व्यापक योजनाएँ तैयार करने में सक्षम होंगे । जिन जिलों को जि०प्रा०शि०का० या स०शि०अ० में नहीं लिया गया है वे विस्तृत सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया अपनाने की स्थिति में या शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत लचीली रणनीतियाँ अपनाने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि इसके लिये कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या व क्षमता निर्माण की जरूरत होगी । इसलिये 2000-01 में शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत ऐसे जिलों में, जो अभी परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०प०, भा०स०-सं०रा०सं०) या स०शि०अ० के दायरे में नहीं आते, सिर्फ शि०गा०यो० वाले घटक (स्कूल-रहित बस्तियों के लिये वैकल्पिक स्कूल) को ही मदद की जायेगी ।

3.14 बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शि०गा०यो० और वै०न०शि० की आधारशिला है । योजना के कुछ हिस्से, जैसे शि०गा०यो० और वै०न०शि० के केन्द्रों की बढ़ी हुई समयावधि (कम से कम 4 घण्टे प्रतिदिन), शिक्षा स्वयंसेवकों के लिये आरंभिक एवं नियमित समयान्तराल वाले सेवारत 30 दिवसीय प्रशिक्षण, प्रतिमाह होने वाली दो दिवसीय योजना एवं समीक्षा बैठक तथा शिक्षा स्वयंसेवकों को दी जाने वाली नियमित अकादमिक मदद, गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेंगे ।

4. शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा द्वारा स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये कार्यनीतियाँ :

4.1 स्कूल से बाहर रह गये बच्चों में भी बहुत विविधता है । स्कूल से बाहर रह गये बच्चे ऐसी दूर-दराज जगह के हो सकते हैं जहां स्कूल ही न हो, बाल मजदूर, गलियों, फुटपाथों और शहरी कच्ची बस्तियों में रहने वाले, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां, घर के कामकाज या छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाली बच्चियाँ, पशु चराने वाले बच्चे आदि हो सकते हैं । इस तरह की विविधता के चलते, इन बच्चों की शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न किस्म के तरीके और कार्यनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता पड़ती है । इनमें से कुछ कार्यनीतियों और सरकारी कार्यक्रमों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की परियोजनाओं के सफल अनुभवों का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट-I** में देखा जा सकता है ।[1]

4.2 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत मोटे तौर पर नीचे लिखी 3 तरह की कार्यनीतियों की मदद की जायेगी :

(क) स्कूल विहीन बस्तियों में स्कूल स्थापित करना (शि०गा०यो०) ।

---

1 "एवरी चाइल्ड इन स्कूल एण्ड एवरी चाइल्ड लर्निंग-डाइवर्स स्ट्रेटेजीस फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस टू स्कूलिंग" (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,1999) नामक दस्तावेज में विभिन्न जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले राज्यों द्वारा अपनाई गई एकाधिक कार्यनीतियों का जिक्र है।

(ख) स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये किये जा रहे प्रयास जैसे सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल वापसी शिविर इत्यादि।

(ग) बच्चों के ऐसे खास और मुश्किल समूहों के लिये कार्यनीतियां जिन्हें मुख्यधारा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

(ख) और (ग) के अर्न्तगत आने वाली कार्यनीतियों को शि०गा०यो० और वै०न०शि० योजना के वै०न०शि० घटक के रूप में जाना जायेगा (शि०गा०यो० घटक से अलग करने के लिये)।

4.2.1. दूर दराज और स्कूल रहित बस्तियों/बसाहटों में बच्चे :

ऐसे स्कूल रहित बस्तियों में वैकल्पिक स्कूल खोले जायेंगे जहाँ 1 कि. मी. की दूरी तक कोई स्कूल नहीं है और 6-14 आयु वर्ग के लगभग 15 बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं है । ये स्कूल एक शिक्षक वाले होंगे जिसमें उसी बस्ती का एक शिक्षा स्वयंसेवक होगा । मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना, आंध्र प्रदेश में माबाड़ी, केरल में मल्टीग्रेड लर्निंग सेन्टर, पश्चिम बंगाल में शिशु शिक्षा कर्मसूची, महाराष्ट्र में कान्ट्रेक्ट स्कूल, राजस्थान में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जो अनेक राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए अपनाई गई हैं ।

4.2.2. घुमंतू बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यनीतियाँ :

- उन बच्चों के लिए ऐसे समय पर सामुदायिक छात्रवास की व्यवस्था जब उनके मां-बाप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार करने जाते हैं । इन छात्रवासों में रहने, खाने, कोचिंग और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था होगी (लोक जुम्बिश कार्यक्रम और जि०प्रा०शि०का०, आंध्र प्रदेश) ।
- प्रवास करने वाले परिवारों व बच्चों के साथ एक घुमंतू शिक्षक का प्रावधान ।
- प्रवास वाली जगह पर स्कूल स्थापित करना (महाराष्ट्र में शुगर स्कूल, गुजरात में साल्ट फार्म स्कूल)।
- प्रवास के दौरान पढ़ाई में हुए हर्जे को पूरा करने के लिये उन बच्चों के गाँव में वापिस आने पर सघन सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना (वोकेशनल कोर्स गुजरात)।

4.2.3 मदरसों/मकतबों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मदद के लिए अपनाये गए अनेक तरीके

ऐसे मामलों में, जहां बच्चे इन संस्थानों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा या दीनी तालीम ही हासिल कर रहे हैं, वहां एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिये जो वहां पर औपचारिक स्कूलों का शिक्षाक्रम भी लागू कर सके । जहां तक संभव हो बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाना चाहिये ।

4.2.4 सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) / स्कूल वापसी शिविर :

इस कार्यनीति के तहत स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में भर्ती करवाने के लिए अलग-अलग समयावधि के लिए सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) से जोड़ना, जिससे वे अपनी उम्र के मुताबिक शैक्षिक स्तर हासिल कर पायें और इसके बाद वे औपचारिक स्कूलों में उपयुक्त कक्षा में

दाखिल हो पायें । सेतु पाठ्यक्रम की अवधि, बच्चे की आयु और उसकी पहले अर्जित की गई शिक्षा पर निर्भर करती है । ये आवासीय और गैर आवासीय दोनों ही तरह के हो सकते हैं । इन्हें समुदाय के बीच में ही या नियमित स्कूल के हिस्से के रूप में भी चलाया जा सकता है । इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की एम० वी० फाउंडेशन ने अग्रणी कार्य किया है । प्रथम (मुंबई एवं अन्य शहरों में), सिनी-आशा (कलकत्ता) जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी सेतु पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं । बड़े बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर "स्कूल वापसी" (बैक टू स्कूल) नामक कार्यक्रम चला रही है । जि०प्रा०शि०का० के तहत आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी बड़े पैमाने पर सेतु पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

4.2.5 बच्चों के कुछ निश्चित समूहों के लिए विशिष्ट और लचीली कार्यनीतियाँ :

उदाहरण के लिये गली-कूचों में रहने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चे, झोंपड़-पट्टी में रहने वाले बच्चे, मकान बनाते समय वहां काम करने वाले मजदूरों के बच्चे, दुकानों, ढाबों, मैकेनिकों की दुकान पर काम करने वाले बच्चे, कुलीगिरी और घरेलू मजदूरी करने वाले बच्चे, अपराध-गृह में रहने वाले बच्चे, कैदियों के बच्चे इत्यादि । इनके लिये कार्यनीतियां–सेतु पाठ्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण केन्द्र, आवासीय शिविर, ड्राप-इन-सेंटर, हाफ वे होम आदि हो सकती हैं । ऐसे समूहों के लिये कार्यनीतियों में संपर्क आधारित गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं जैसे बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिये मजदूरों के साथ संबंध बनाना, भावनात्मक मदद के लिये परामर्शदाता (काउन्सलर) उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिये डाक्टर उपलब्ध करवाना ।

4.2.6 स्कूल से बाहर रह गये बड़ी उम्र के बच्चों के लिए लंबी अवधि वाले आवासीय शिविर :

ये ऐसे शिविर हैं जो 12-24 माह की अवधि के हो सकते हैं और 12-14 साल के बच्चों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को शिविर में ही पूरा करने के उद्देश्य से लगाये जाते हैं । इस तरीके को लोक जुंबिश के बालिका शिक्षण शिविर, महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षण केन्द्रों और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं (एम०वी० फाउन्डेशन सहित) ने अपनाया है । चूंकि ऐसे शिविरों में प्रति बच्चा लागत ज्यादा होगी अतः बहुत आवश्यक परिस्थितियों में ही इन्हें लगाया जाना चाहिये ।

4.2.7 उपचारात्मक शिक्षण :

इस योजना के तहत निम्नलिखित दो तरह की परिस्थितियों वाले बच्चे शामिल किये जायेंगे–

(क) सेतु पाठ्यक्रम/शिविर/स्कूल वापसी की रणनीतियों के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा में जोड़े गये बच्चों के लिये ।

(ख) औपचारिक स्कूल के बच्चों के लिये उपचारात्मक शिक्षण ।

कार्यनीति (ख) के तहत

1) ऐसे जिलों के ही प्रस्ताव उपयुक्त होंगे, जहां पर महिला साक्षरता दर 1991 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम हो।

2) ऐसे आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की संख्या अधिक हो ।

3) एक जिला अपने यहां के कुल स्कूलों के 5% से ज्यादा को इसमें शामिल नहीं कर सकता है (शहरी झोंपड़-पट्टियों के स्कूलों को छोड़ कर) । इसके साथ-साथ शहरी झोंपड़-पट्टियों में बसे स्कूलों का 10% भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है ।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस रणनीति के तहत शामिल किये जाने वाले सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में नियमानुसार शिक्षक होने चाहिये और स्कूल सभी तरह से चालू हालत में हो । प्रस्ताव के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र होना चाहिये ।

ये केन्द्र स्कूली समय के बाद या पहले चलाये जाने चाहिये ताकि इनकी समयावधि चार घंटे से कम हो । इन केन्द्रों के लिये दिया जाने वाला मानदेय केन्द्र के चलने की समयावधि के अनुपात में दिया जा सकेगा ।

4.2.8 छोटी अवधि के ग्रीष्म कालीन शिविर या स्कूल :

6-8 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में भर्ती करने या स्कूल के नए सत्र के आरंभ होने से पूर्व उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिये छोटी अवधि के ग्रीष्म कालीन शिविर या स्कूल चलाये जा सकते हैं । इस प्रकार के शिविर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आयोजित किये गए हैं ।

4.2.9 किशोरियों के लिये रणनीतियां:

ये रणनीतियां महिला समाख्या कार्यक्रम और कुछ दूसरे गैर सरकारी संस्थानों द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के समान हो सकती है । इनमें जगजगी केन्द्र, कम अवधि के आवासीय प्रेरक एवं साक्षरता केन्द्र जहां से लड़कियां लम्बी समयावधि के आवासीय शिविरों में जा सकती हैं, शामिल हैं । इन प्रेरक/आरंभिक तैयारी केन्द्रों का उद्देश्य लड़कियों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने के अलावा लिंगाधारित संवेदनशील और जीवनोमुखी शिक्षा देना भी है । शिक्षार्थी पढ़ना लिखना सीखने के अलावा कानूनी मदद संबंधी, स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारी भी हासिल करेंगे ।

4.2.10 विशिष्ट लक्ष्य समूहों के अनुसार कुछ दूसरी रणनीतियों की भी जरूरत पड़ सकती है । शि०गा०यो० और वै०न०शि० विभिन्न तरह की रणनीतियों को प्रोत्साहित करती हैं । यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी हैं कि इनमें से कुछ रणनीतियों में सघन सामुदायिक मोबलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और जमीनी स्तर पर अभिभावकों, बच्चों, समुदाय, शिक्षा स्वयंसेवक, नियोक्ताओं, स्कूली शिक्षकों इत्यादि के साथ पूर्व तैयारी की जरूरत होगी ।

राज्य (और अगर संभव हो तो जिला) स्तरीय मुख्य नियोजकों और निर्णय करने वालों के लिए उन चुनिंदा संस्थाओं का दौरा करना, जो इस तरह की रणनीतियां अपना रही हैं, काफी लाभदायक हो सकता है । साथ ही विकट परिस्थितियों में जी रहे बच्चों के साथ जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को अपनी गतिविधियों को फैलाने और समृद्ध करने में भी मदद की जा सकती है ।

5. शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा प्रयासों में समुदाय की सहभागिता/प्रबंधन में मुख्य भूमिका

5.1 शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई जाने वाली उपरोक्त रणनीतियों में समुदाय की भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी । समुदाय की भागीदारी अभिभावकों के समूहों (जैसे स्कूल समिति, अभिभावक शिक्षक सभा, माता शिक्षक सभा इत्यादि), ग्राम शिक्षा समितियों और पंचायतों के माधयम से हासिल की जायेगी । यह आशा की जाती है कि शि०गा०यो० स्कूल या वै०न०शि० केन्द्र का प्रबन्धन समुदाय आधारित समूहों द्वारा किया जायेगा जो कि स्कूल/केन्द्र में भर्ती किये गये बच्चों के अभिभावकों को शामिल करके बनाये जायेंगे [2] ।

5.2 **निम्नलिखित पहलुओं का निर्णय/कार्यान्वयन ग्राम शिक्षा समितियों/पंचायतों द्वारा किया जायेगा :**

i) सूक्ष्म नियोजन/घर-घर सर्वेक्षण की गतिविधि ।

ii) सूक्ष्म नियोजन की गतिविधि से निकले परिणामों के आधार पर शि०गा०यो०/वै०न०शि० केन्द्रों की योजना बनाना और स्कूल की जगह तय करना ।

iii) शिक्षक का चयन ।

iv) केन्द्र के लिए स्थान, रोशनी, पेयजल आदि की व्यवस्था करना ।

v) शिक्षा केन्द्र के चलने का समय निर्धारित करना ।

vi) शिक्षा केन्द्र/शिविर के दिन-प्रतिदिन के संचालन का निरीक्षण करना ।

vii) अभिभावकों को प्रेरित करना ।

viii) शिक्षकों को मानदेय उपलब्ध करवाना ।

ix) शिक्षा केन्द्र के लिए सीखने-सिखाने की सामग्री और उपकरण खरीदना ।

6. शिक्षा स्वयंसेवक (शि०स्व०)

6.1 चयन प्रक्रिया

(i) जहां पर स्कूल/केन्द्र खोलना प्रस्तावित किया गया है वहीं के स्थानीय समुदाय द्वारा शिक्षा स्वयंसेवक का चयन किया जायेगा । स्थानीय ग्राम शिक्षा समिति एवं पंचायत तथा अभिभावकों की समिति, जिनके बच्चे शि०गा०यो० और वै०न०शि० में भर्ती किये जायेंगे, की भूमिका राज्य तय कर सकता है।[3] ऐसे अभिभावकों के समूह, जिनके बच्चे स्कूल/केन्द्र में भर्ती किये जायेंगे, को महत्त्वपूर्ण भूमिका देना अनिवार्य होगा क्योंकि स्कूल के व्यवस्थित संचालन में उनके सबसे महत्त्वपूर्ण हित निहित हैं ।

(ii) ग्रा०शि०स०/ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्थानीय समुदाय को शि०गा०यो० और वै०न०शि० स्कूल/शिविर के लिये शि०स्व० की जरूरत के बारे में जानकारी हो ।

(iii) ग्रा०शि०सं०/ग्राम पंचायत आवेदन लेगी, उन्हें छांटेगी और योग्य उम्मीदवारों की सूची बनायेगी ।

---

[2] मध्यप्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जहां शि०गा०यो० और वै०न०शि० जैसे स्कूल समुदाय की मांग पर स्थापित किये गये हैं, वहां अभिभावक समितियां शि०गा०यो० और वै०न०शि० समितियां/स्कूल शिक्षा समितियां इन स्कूलों को चलाने की व्यवस्था कर रही हैं ।

[3] मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत 3 उम्मीदवारों की वरीयता क्रम के अनुसार सूची बनाती है । शि०गा०यो० समिति (स्कूल में भर्ती होने वाले बच्चों के अभिभावकों से बनी) नियमों के आधार पर अंतिम निर्णय लेती है । नियुक्ति पंचायत द्वारा की जाती है ।

(iv) उम्मीदवारों की अकादमिक क्षमताओं के आकलन में ग्राम स्तरीय निकाय की मदद के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) / ख०सं०के० (खण्ड संसाधन केन्द्र) के व्यक्तियों की सहायता उपलब्ध करवाने का काम राज्य कर सकता है ।

(v) अंतिम चयन करने के लिये चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का साक्षात्कार और लिखित परीक्षा भी शामिल की जा सकती है ।

(vi) राज्य द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति अभिभावक समिति/ग्रा०शि०स०/ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी ।

6.2 चयन की कसौटियां

i) प्राथमिक स्तर के स्कूल/केन्द्र के लिये उम्मीदवार कम से कम 18 वर्ष की उम्र का हो और मैट्रिक या दसवीं पास हो । दसवीं पास से कम योग्यता रखने वाली महिलायें बहुत ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में तब ली जानी चाहिये जब योग्य महिला मिले ही नहीं । कुछ बहुत ही खास मामलों में, शि०गा०यो० और वै०न०शि० लम्बी समयावधि के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अपने काम में व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करेगी ताकि उन्हें योजना के तहत चलने वाले स्कूलों/केन्द्रों में शि०स्व० के रूप में जोड़ा जा सके । उच्च प्राथमिक केन्द्र के लिये व्यक्ति कम से कम 21 वर्ष का और स्नातक होना चाहिये । यदि योग्य स्नातक उम्मीदवार न मिले तो बारहवीं पास महिला भी चुनी जा सकती है ।

ii) पंचायत/ग्रा०शि०स०/अभिभावक समिति को शि०स्व० चुनते समय महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये। महिला शि०स्व० की नियुक्ति को प्रोत्साहन देने के लिये, स०शि०अ० के तहत स्कूलों का क्रमोन्नयन करते समय महिला शि०स्व० वाले शि०गा०यो० स्कूल को प्राथमिकता दी जायेगी ।

iii) शि०स्व० उसी बस्ती या गांव या पंचायत का होना चाहिये । स्कूल में भर्ती होने वाले बच्चों के समुदाय के ही व्यक्ति को शि०स्व० के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिये ।

शि०गा०यो० के स्कूल या वै०न०शि० के शिविर/केन्द्र के लिये शि०स्व० के चयन संबंधी निर्देश जारी करते समय राज्य सरकार अभी तक कार्यरत अनौ०शि० के अनुदेशकों को नयी योजना के अन्तर्गत कुछ प्राथमिकता देने के प्रावधान को शामिल करने पर विचार कर सकती है यदि अनुदेशकों ने अपनी जिम्मेदारियां संतोषजनक ढंग से निभाई हों और ऊपर बतायी गयी शर्तें पूरी करते हों । इसके साथ ही, राज्य विभिन्न शिक्षाकर्मी की योजनाओं के अन्तर्गत जिसमें शि०गा०यो० और वै०न०शि० भी शामिल हैं, चयन के लिये अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों की उम्र सीमा में ढील देने पर भी विचार कर सकते हैं (यह उम्र सीमा राज्य द्वारा खुद तय की जा सकती है) । शि०स्व० के चयन का निर्णय लेना ग्रा०शि०सं०/ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

7. शि०गा०यो० और वै०न०शि० में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना

अनौ०शि० केन्द्रों के बच्चे अलग-अलग आयु वर्ग और क्षमताओं के हैं । अब तक, अनौ०शि० केन्द्रों के सभी बच्चे एक साथ क्रमानुसार पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए एक सत्र पूरा करते थे । इस तरीके से मिलने वाले नतीजे, बच्चों की एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रगति और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के मामले में, संतोषजनक नहीं होते थे । यह भी एक चिन्ता का विषय था । कार्यक्रम में किये गये अपर्याप्त निवेश

के कारण शिक्षार्थियों का प्रदर्शन खराब रहता था । इसके साथ ही शिक्षकों के पर्याप्त व उपयुक्त प्रशिक्षणों की कमी, शिक्षक को अपर्याप्त अंकादमिक मदद एवं पर्यवेक्षण, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की गति में भिन्नता को अस्वीकार करने वाली सीखने-सिखाने की सामग्री और पाठ्यचर्या भी एक वजह थी ।

शि०गा०यो० और वै०न०शि० की वर्तमान योजना इस बात का ध्यान रखती है कि स्कूल/केन्द्र/शिविर में आने वाले बच्चों का आयु-वर्ग 6-14 वर्ष होगा । ये बच्चे या तो स्कूल में कभी भर्ती हुए ही नहीं होंगे या फिर स्कूल छोड़ गये होंगे अत: इनकी क्षमताएं अलग-अलग होंगी । चूंकि शि०गा०यो० के स्कूल औपचारिक स्कूलों जैसे होंगे या औपचारिक स्कूल के लिये फीडर स्कूल होंगे, इसलिये इन स्कूलों में औपचारिक स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें काम में ली जायेंगी । ऐसी परिस्थिति में औपचारिक स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों को सहायक शिक्षण सामग्री के साथ इस तरह से काम लेने की चुनौती मौजूद होगी कि बड़ी उम्र के बच्चे शुरू की कक्षाओं की पाठ्यचर्या कम समय में पूरा कर पायें । शिक्षा स्वयंसेवकों को इस तरह प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ेगी कि वे बच्चों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर पायें ।

शि०गा०यो० और वै०न०शि० की योजना के प्रावधान कुछ इस तरह बनाये गये हैं कि स्कूल/शिविर/केन्द्र में सीखने-सिखाने की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो । नीचे लिखी चीजें कक्षा प्रक्रियाओं में अनिवार्यत: हों–

- कक्षा प्रक्रियाएं बाल केन्द्रित हों ।
- बच्चों के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त सीखने-सिखाने की सामग्री और गतिविधियों का उपयोग ।
- गतिविधियां पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रगति पर जोर देने के साथ-साथ बच्चों को अपनी-अपनी गति से सीखने का मौका भी दें ।
- बहुस्तरीय सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में शिक्षक एक मददगार के रूप में काम करे ।
- सीखने को प्रभावी बनाने के लिये उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करना ।
- शिक्षार्थियों का निरन्तर एवं व्यापक मूल्यांकन ।

किसी भी रणनीति में उपयुक्त सभी सिद्धान्तों को शामिल करने के लिये योजना बनाने का समग्र तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा । इस पर शिक्षा स्वयंसेवक और संकुल संदर्भ व्यक्ति के प्रशिक्षण पैकेज में भी काम करना पड़ेगा । ऐसी सीखने-सिखाने की सामग्री विकसित करनी पड़ेगी जो बच्चों को अपने आप और अपने साथियों के साथ मिल कर सीखने का मौका दे । नियमित अकादमिक मदद के लिये संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा केन्द्र के नियमित दौरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और समीक्षा, विचार-विमर्श और नवाचारी गतिविधियों के विकास के लिये पाक्षिक/मासिक बैठक करनी पड़ेगी । (**देखें परिशिष्ट II**)

7.1 प्रशिक्षण

शि०गा०यो० एवं वै०न०शि० में प्राथमिक स्तर के शिक्षा स्वयंसेवक के लिए 30 दिवसीय और उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 40 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण आवासीय होगा ।

अगले वर्षों में प्रतिवर्ष 30 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है । ये प्रशिक्षण एक वर्ष के दौरान 2-3 या इससे भी अधिक दौर में किये जा सकते हैं । सभी संकुल संदर्भ व्यक्तियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा । इसके अतिरिक्त संकुल संदर्भ व्यक्तियों को मासिक बैठक आयोजित करने और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को निपटाने के लिये कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ेगी । इन प्रशिक्षणों की विषय-वस्तु और मूल मुद्दे लचीले होने चाहिये और शिक्षा स्वयंसेवकों, संदर्भ व्यक्तियों और जि०शि०प्र०सं० (डाइट) या स्वयंसेवी संगठनों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा महसूस की गई आवश्यकता पर आधारित होने चाहिये। प्रशिक्षण की प्रक्रिया सहभागिता पूर्ण और चिंतनशील होनी चाहिये ताकि शिक्षा स्वयंसेवकों को अनुभवों से सीखने का मौका मिल सके। भाषण/व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण का उपयोग कम से कम करना चाहिये। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमताओं और आयु वर्ग के बच्चों के लिये बहुस्तरीय शिक्षण की खास जरूरतों को पूरा करने वाले होने चाहिये। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले कभी किये नहीं गये हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (राज्य शै०अनु०प्र०प०), जिला संसाधन इकाईयों और डाइट जैसी संस्थाओं को लम्बी समयावधि के ऐसे कार्यक्रम बनाने पर सघन कार्य करना पड़ेगा जो वैकल्पिक स्कूलों में चुनौतीपूर्ण कक्षा-स्थितियों का सामना करने के लिये शिक्षा स्वयंसेवकों को तैयार कर सकें। कुछ जि०प्रा०शि०का० वाले राज्यों में राज्य संदर्भ समूहों (रा०सं०स०) ने राज्य भै०अनु०प्र०प० या अन्य संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिल कर इस तरह का काम हाथ में लिया है।

जिला और विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी डाइट तथा डाइट से इतर स्थापित जिला संसाधन इकाई (जि०सं०इ०) या चुनी गई स्वयंसेवी संस्था की होगी। इस योजना के तहत अनुदान पाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के पास यह विकल्प होगा कि वे प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसी डाइट या जि०सं०इ० या प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था से करें जिसने नवाचार का काम किया हो। *इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय संदर्भ समूह स्थापित करने का काम राज्य भी कर सकते हैं ताकि शिक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। राज्य/जिला स्तर के मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को अन्य नवाचारी कार्यक्रमों/संदर्भ केन्द्रों को देखने का मौका उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस तरह के शैक्षिक भ्रमण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो संदर्भ व्यक्तियों के लिए हैं, का आयोजन स०शि०अ० के अन्तर्गत किया जा सकता है।*

7.2 नियमित अकादमिक मदद

जि०प्रा०शि०का० के वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुंबिश और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुभवों ने दर्शाया है कि पाक्षिक/मासिक स्तर की अकादमिक समीक्षा एवं योजना बैठक सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने की कुंजी है। औपचारिक स्कूलों में खण्ड स्तरीय संदर्भ केन्द्र व संकुल स्तरीय संदर्भ केंद्र का भी यही अनुभव रहा है। अत: यह सलाह दी जाती है कि शि०गा०यो० एवं वै०न०शि० केन्द्रों को शुरूआती स्तर से ही उपयुक्त और सघन अकादमिक मदद दी जाये। शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों में प्रति 20 केन्द्रों पर एक संकुल संदर्भ व्यक्ति होगा। संकुल संदर्भ व्यक्ति स्कूलों/शिविरों के नियमित दौरों और उन की पाक्षिक/मासिक अकादमिक समीक्षा एवं योजना बैठकों को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। पहले वाली अनौपचारिक शिक्षा योजना के निरीक्षक/सुपरवाइजर की व्यवस्था के स्थान पर संकुल संदर्भ व्यक्ति का प्रावधान रखा गया है। परियोजना वाले जिलों और स०शि०अ० वाले जिलों में शि०गा०यो० के स्कूलों के लिये सं०सं०के० और ख०सं०के० के ढांचे नियमित अकादमिक मदद उपलब्ध करवाने के लिये

बेहतर हालत में होंगे। मुख्यधारा में जोड़ने पर केन्द्रित रणनीतियों के लिये, सबसे पास वाले औपचारिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को शामिल करना उपयुक्त रहेगा।

शिक्षा स्वयंसेवकों की समीक्षा एवं योजना बैठक प्रतिमाह कम से कम 2 दिन आयोजित की ही जानी चाहिये (हर पंद्रह दिन में एक बार या एक माह में एक बार दो दिन के लिए)।

7.3 सीखने-सिखाने की सामग्री

ज्यादातर राज्यों में शि०गा०यो० के स्कूल औपचारिक स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ही इस्तेमाल करेंगे. ऐसी उम्मीद की जाती है। यद्यपि शि०गा०यो० के स्कूल सभी बच्चों के साथ कक्षा एक के स्तर से काम शुरू करेंगे परन्तु उन्हें बहुत जल्दी अलग-अलग कक्षाओं में पहुँच चुके बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। सभी बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिये औपचारिक स्कूलों की किताबों (जो कि मजबूत एवं क्रमबद्ध ढांचे में बंधी होती है) को काम में लेना शिक्षा स्वयंसेवक के लिये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। कक्षा में काम करते समय शिक्षा स्वयंसेवक की मदद करने के लिये और स्व-शिक्षण की गतिविधियों को आयोजित करने व समूह को व्यवस्थित करने के लिये पूरक/सहायक शिक्षण सामग्री जैसे अभ्यास पत्रक, शिक्षण उपकरण आदि को विकसित करना पड़ेगा।

कुछ वै०न०शि० केन्द्रों में जहां शिक्षार्थियों का समूह अधिक विविधता लिये होगा, परिस्थितियां ज्यादा कठिन होंगी । खास तौर पर ऐसे बहुस्तरीय केन्द्रों के लिये सीखने-सिखाने की सामग्री अपनानी/विकसित करनी पड़ेगी । सेतु पाठ्यक्रमों/स्कूल वापसी शिविरों के लिये सीखने की गति में लचीलापन और श्रेणी आधारित शिक्षाक्रम को पूरा करने में मददगार सामग्री की जरूरत पड़ेगी। कुछ राज्यों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाएं और स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यक्रम ऐसी सामग्री विकसित कर चुके हैं।

इस तरह की सीखने-सिखाने की सामग्री (इसके साथ ही उनसे जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों) को विकसित करने के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर व्यक्तियों और समूहों, जिनमें राज्य शै०अनु०प्र०प० और डाइट के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, की क्षमता निर्माण का काम बड़े पैमाने पर करना होगा। बड़े पैमाने पर शि०गा०यो० और वै०न०शि० की मांग आने से पहले यह काम पूरा कर लिया जाना चाहिये।

7.4 परीक्षा प्रमाणीकरण और मुख्यधारा से जोड़ना

चूंकि शि०गा०यो० एवं वै०न०शि० का मुख्य जोर बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा में लाने पर है, अत: प्रत्येक राज्य को इन केन्द्रों/सेतु पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर की जांच और प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे बच्चों की जांच की साधारण प्रक्रिया में शिक्षा स्वयंसेवक/औपचारिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक/संकुल संदर्भ व्यक्ति/स्कूलों के उपनिरीक्षक को शामिल किया जा सकता है ताकि उन बच्चों को औपचारिक स्कूलों में उपयुक्त दर्जे में भेजा जा सके। साथ ही, ऐसे केन्द्रों से आने वाले बच्चों के लिए औपचारिक स्कूलों में दाखिला साल भर खुला रहना चाहिये। औपचारिक स्कूलों में लगे शिक्षा स्वयंसेवकों / शिक्षकों को सजग बनाना होगा ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि औपचारिक स्कूलों में दाखिल बच्चों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और वे कक्षा में दिये गए कार्य को कर पा रहे हैं।

7.5 कार्यक्रम की समयावधि

7.5.1 केन्द्र प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे चलेगा। *अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्र के चलने का समय शाम को देर से या रात के समय नहीं होना चाहिये।* शिक्षा स्वयंसेवक को केन्द्र के चलने के समय के अलावा एक घंटा अतिरिक्त समय तैयारी के लिए देना पड़ेगा। इस समय में वह अगले दिन की योजना बनायेगा, बच्चेवार प्रगति को रिकार्ड करेगा, शिक्षक डायरी भरेगा, अनेक विषयों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करेगा, समुदाय/बच्चों के माँ-बाप से संपर्क करेगा आदि।

7.5.2 किसी एक गांव/कच्ची बस्ती में इस योजना की समाप्ति की कोई विशेष समय सीमा नहीं है जबकि शि०गा०यो० के स्कूल तब तक चलते रहेंगे जब तक कि वे क्रमोन्नत नहीं हो जाते। यहां तक कि अन्य वर्ग के बच्चों के लिए चलने वाले केन्द्र जारी रहेंगे जब तक कि "स्कूल से बाहर" रह गये बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ दिया जाता। यहां यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि सभी बच्चे मात्र 2 साल में कक्षा 4-5 पास कर लेंगे। भिन्न-भिन्न आयु समूह के बच्चों की जरूरत के मुताबिक विभिन्न समयावधि वाले सेतु पाठ्यक्रम या आवासीय शिविर चलाये जायेंगे। यह भी संभव है कि कोई सेतु पाठ्यक्रम पूरे साल भर चले और अलग-अलग बच्चों को जिस कक्षा में भर्ती किया जाना है उसके समकक्ष शैक्षिक स्तर हासिल करने में 3 माह से लेकर साल भर तक का वक्त लगे।

उपरोक्त प्रावधान शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित शिविरों पर भी लागू होंगे। यह जिम्मेदारी राज्य, जिला एवं खण्ड स्तरीय शि०गा०यो० और वै०न०शि०/सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन ढांचे की होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित उप-परियोजनाएं भी योजना को इस मार्गदर्शिका के मुताबिक चला रही हैं।

8. स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिये उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा

स्कूल से बाहर रहने वाले उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा के लिये औपचारिक तंत्र से बाहर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है । कुछ स्वैच्छिक संस्थाएँ जैसे एम०वी० फाउण्डेशन, केयर इंडिया आदि ने 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए लम्बी अवधि के आवासीय शिविरों का आयोजन किया है। एम०वी० फाउन्डेशन एक मात्र ऐसा संगठन है जो ऐसे उपचारात्मक पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है जिनसे किशोरियाँ कक्षा VII की परीक्षा में बैठने योग्य हो जाती हैं। लो०जु० का बालिका शिविर भी किशोरियों के लिये आवासीय शिविरों का ही एक प्रयास है। कुछ दूसरी स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी बड़े बच्चों के लिये कार्यक्रमों का क्रियान्यवन किया है विशेष कर किशोरियों के लिये जिनमें सबलीकरण, आत्मसम्मान का विकास, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों सहित जीवन की कुछ दक्षताओं पर जोर दिया जाता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम किशोरियों में व्यावसायिक दक्षताओं के विकास के लिए हैं। कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यक्रम, किशोरों के लिये उपचारात्मक शिक्षण तथा उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिये छोटी अवधि के आवासीय शिविरों के आयोजन पर केन्द्रित हैं। इन कार्यक्रमों में से कई मुख्यत: बड़े शहरों में चल रहे हैं।

स्पष्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वैकल्पिक स्कूल चलाना कठिन है। अंशकालीन शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को प्राप्त करने के लिये उपयुक्त नहीं है। फिर भी कुछ राज्यों में उच्च प्राथमिक स्तर के लिये राष्ट्रीय या राज्य ओपन स्कूल भी कुछ पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे है। इस विकल्प को काम में लेकर ही इसकी सार्थकता जानी जा सकती है।

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वैकल्पिक स्कूल के अनुमोदन के लिये सिर्फ ऐसे मामलों में स्वीकार किये जा सकेंगे जहां बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिये अड़ोस-पड़ोस में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इसके साथ ही सीखने-सिखाने की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिये जरूरी संबंध स्थापित करने की भी जरूरत पड़ेगी। केन्द्र के लिये उपलब्ध ढांचे का एक आकलन भी किया जाना चाहिये। उच्च प्राथमिक स्तर पर हो रहे क्रियान्वयन की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जायेगी।

9. क्रियान्वयन व्यवस्थाएँ

शि०गा०यो० और वै०न०शि० सर्व शिक्षा अभियान के सम्पूर्ण ढाँचे के अंतर्गत काम करेगी। जब तक सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण रूप से काम न करने लगे तब तक पर्यवेक्षण व मानीटरिंग के लिये शि०गा०यो० और वै०न०शि० का अलग प्रबन्धकीय ढाँचा स्थापित किया जा सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० (राज्य द्वारा संचालित घटक) के क्रियान्वयन व मानीटरिंग में लगे कर्मचारी बाद में सर्व शिक्षा अभियान के प्रबन्धकीय ढाँचे के एक अंग के रूप में शामिल हो जायेंगे। स्वै०सं० द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के लिये परियोजना प्रबन्धन ढाँचा व लागत, आगे दिये गये वित्तीय मानदण्डों और इकाइयों की लागत वाले अनुच्छेद में उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर दी जाएगी। शि०गा०यो० और वै०न०शि०/स०शि०अ० के लिए राज्य जिला और खण्ड स्तर पर गठित व्यवस्थाएँ स्वै०सं० के कामों का समन्वयन भी करेंगी।

नीचे बनाया गया ढाँचा शि०गा०यो० और वै०न०शि० (राज्य द्वारा संचालित केन्द्रों के लिए) के विभिन्न स्तरों पर सुझाया गया प्रबन्धकीय ढाँचा है। एक बार स०शि०अ० के लिये कर्मचारियों के पदों से संबंधित फैसला हो जाने के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। जि०प्रा०शि०का० वाले जिलों में जिला स्तरीय प्रबन्धन ढाँचे की यह जिम्मेदारी होगी कि जिला परियोजना कार्यालय पर आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हों। जि०प्रा०शि०का० के एक घटक वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की व्यवस्थाओं से अलग किसी व्यवस्था द्वारा शि०गा०यो० और वै०न०शि० का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

9.1 बस्ती/गाँव स्तर :

स्कूल समिति/पाताओं का समूह/ग्राम शिक्षा समिति/ग्राम पंचायत आदि को शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के प्रबन्धन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति/पंचायती राज संस्थाओं और राज्य स्तरीय क्रियान्वयन सोसायटी के जिला/खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि के बीच हस्ताक्षर किये गए सहमति पत्र में जिम्मेदारियों का स्पष्ट व विस्तृत विवरण होना चाहिए। अध्यापक का मानदेय, सीखने-सिखाने के उपकरण और केन्द्र की आकस्मिक निधि के लिये अनुदान, ग्राम शिक्षा समिति/पंचायत के बैंक खाते में, अग्रिम स्थानान्तरित हो जाएगा। स्थानीय समिति/ग्राम शिक्षा समिति/ग्राम पंचायत अध्यापक का भुगतान करेगी तथा अन्य खर्चे पूर्व मानदण्डों के आधार पर स्वयं वहन करेगी। यह समिति इस काम का हिसाब-किताब रखेगी तथा उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र खण्ड/जिला स्तर पर कार्यालय में जमा करायेगी।

9.2 संकुल स्तर :

एक संकुल में 20 शि०गा०यो० और वै०न० शिक्षा केन्द्र/सेतु पाठ्यक्रम/शिविर होंगे । संकुल संदर्भ व्यक्ति निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगा :

- मानदण्डों के अनुसार केन्द्रों का दौरा करना ।

- ग्राम पंचायतों/ग्राम शिक्षा समितियों के साथ संपर्क रखना ।
- शिक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय का समय पर वितरण सुनिश्चित करना ।
- सीखने सिखाने की सामग्रियों को पहुँचाना व पुरानी या खराब होने पर बदलना ।
- आवासीय बस्तियों के आधार पर हुए सूक्ष्म नियोजन के परिणामों को समेकित और विश्लेषित करना ।
- अकादमिक समीक्षा और नियोजन के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों की दो दिवसीय मासिक बैठक या एक दिवसीय पाक्षिक बैठक आयोजित करना ।

चँकि शि०गा०यो० के स्कूल औपचारिक स्कूलों जैसे ही होंगे और ज्यादातर राज्य औपचारिक स्कूलों की पाठ्यचर्या काम में लेंगे, अत: परियोजना (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०प०, भा०स०-सं०रा०सं०) और स०शि०अ० वाले जिलों में विद्यमान खं०सं०के० या संकुल संदर्भ केन्द्र (सं०सं०के०) के ढांचों का, शि०गा०यो० के स्कूलों की अकादमिक मदद और देख-रेख में उपयोग करना ठीक रहेगा । शि०गा०यो० के स्कूल के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सबसे पास वाले प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी सौंपी जा सकती है । जहां पर शि०गा०यो० के स्कूलों की संकल्पना सबसे पास के प्राथमिक स्कूलों के फीडर स्कूल के रूप में की गई है, वहां यह खास तौर पर महत्त्वपूर्ण होगा । ऐसे जिले जो इस समय जि०प्रा०शि०का० या स०शि०अ० के अन्तर्गत नहीं हैं और जहां खं०सं०के० और सं०सं०के० ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है वहां पर योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शि०गा०यो० के स्कूलों की देखभाल करने के लिये खण्ड शिक्षा कार्यालय को मजबूत करने पर विचार किया जा सकता है । दूसरी तरह के प्रयासों के लिये अकादमिक मदद और पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त व्यक्ति को रखना जरूरी होगा । मुख्यधारा से जोड़ने वाली रणनीतियों जैसे सेतु पाठ्यक्रमों और स्कूल वापसी शिविरों में प्रधानाध्यापक और सं०सं०के० और खं०सं०के० की भागीदारी महत्त्वपूर्ण होगी क्योंकि बच्चों को बाद में औपचारिक विद्यालय में भर्ती किया जाना है । लेकिन अतिरिक्त संकुल संदर्भ व्यक्ति (स्थानीय अभिप्रेरित युवा) इन कार्यक्रमों के सघन पर्यवेक्षण और जहां ऐसे ढांचे बने हुए हैं उन जिलों में प्रधानाध्यापकों के साथ निकट संपर्क बनाये रखने में काफी मददगार हो सकते हैं । बहुत कठिन समूहों की कुछ खास रणनीतियों में समुदाय संपर्क और नियमित पर्यवेक्षण की अधिक जरूरत पड़ेगी, उन केन्द्रों के लिये अलग से संकुल संदर्भ व्यक्ति रखा जा सकता है । यानि नवाचारी रणनीतियों के अन्तर्गत कम केन्द्रों (जैसे 10 केन्द्र) की मदद के लिये एक संकुल संदर्भ व्यक्ति रखा जा सकता है । यह लागत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत किया जाना संभव है क्योंकि शि०गा०यो० में बहुत ज्यादा अतिरिक्त संकुल सदर्भ व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

इस प्रकार इस व्यवस्था में लचीलेपन की गुंजाइश है जिसके माध्यम से एक परियोजना प्रबन्धन लागत के लिए समग्र वित्तीय आंवटनों की सीमा में संकुल स्तरीय (10-20 केन्द्र) अकादमिक मदद व पर्यवेक्षण का काम किया जा सकता है । इसमें अकादमिक मदद व पर्यवेक्षण की लागत भी शामिल है ।

9.3 खण्ड स्तरीय संगठन :

पुरानी अनौ०शि० योजना प्रति 100 केन्द्रों पर एक परियोजना प्रबन्धकीय ढाँचा उपलब्ध करवाती थी । अक्सर तो यह विकास खण्ड में ही होता था परन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता था । इस कार्यालय का मुख्य काम अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों के मासिक बिलों जैसे यात्रा भत्ता/आवासीय भत्ता आदि तैयार करना था, जो कि स्वभावत: प्रशासनिक काम था । अब शिक्षा स्वयंसेवकों की चयन प्रक्रिया व भुगतान संबंधी कामों को ग्राम

शिक्षा समिति/पंचायत को विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव किया गया है । इसलिए खण्ड स्तर पर प्रशासनिक व लेखा संबंधी काम की आवश्यकता कम हो जाएगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे (व्यवस्था) में यह सुझाया गया है कि खण्ड शिक्षा कार्यालय/खण्ड पंचायत समिति प्रा०शि०सा० व अन्य गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होगी । इसमें शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये किये जाने वाले प्रयास भी शामिल हैं । अत: यह ठीक ही है कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत *परियोजना का ढाँचा शैक्षिक खण्ड पर बनाया गया है* । खण्ड स्तरीय समिति (सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित) भी शि०गा०यो० और वै०न०शि० के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करेगी । जब तक सर्व शिक्षा अभियान का ढाँचा नहीं बन जाता तब तक शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए एक अलग समिति गठित की जा सकती है । खण्ड स्तर पर उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या उस खण्ड में शि०गा०यो० और वै०न०शि० के केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी तथा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि खण्ड में अकादमिक मदद व बच्चों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता कितनी है ? यदि ज्यादातर स्कूल शि० गा० योजना के हैं तब अकादमिक मदद खण्ड संदर्भ केन्द्र व संकुल संदर्भ केन्द्र की व्यवस्थाओं (जि०प्रा०शि०का० वाले जिलों में पहले ही बन चुके हैं अथवा जि०प्रा०शि०का० रहित जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित हो सकते हैं) के एक भाग के रूप में उपलब्ध करवाई जा सकती है, शि०गा०यो० और वै०न०शि० जरूरी होने पर खं०सं०के० पर आसानी से अतिरिक्त खण्ड संदर्भ व्यक्ति की व्यवस्था कर सकती है । यदि यह महसूस किया जाता है कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० की विशेष जरूरत के अनुसार अलग से मानीटरिंग व सहायता के लिये प्रबन्धन की आवश्यकता है तो अतिरिक्त कर्मचारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में) आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जा सकते हैं । योजना के अकादमिक पक्ष व क्रियान्वयन में मदद उपलब्ध करवाने के लिये एक खण्ड संदर्भ दल स्थापित किया जा सकता है । पर्यवेक्षण और मानीटरिंग के लिये उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्तियों के बारे में समस्त वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जा सकता है ।

वित्तीय सीमाओं के बारे में अलग से इंगित किया गया है । शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रयासों को खण्ड स्तर पर मदद पहुँचाने के लिये जैसा भी प्रबन्ध किया जाए पर यह सुनिश्चित होना चाहिए कि संकुल संदर्भ व्यक्तियों को सतत् (नियमित) मार्गदर्शन मिलता रहे तथा संकुल स्तर पर शिक्षा स्वयंसेवकों की मासिक बैठक को खण्ड स्तर से मदद दी जाती रहे । संकुल स्तर पर मासिक बैठक की लागत के लिये व्यवस्था शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत परियोजना प्रबन्धन की लागत के अतिरिक्त की जानी चाहिए । लेखाकार (अकाउण्टेन्ट) और संदेश वाहक जैसे कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति खण्ड प्रबन्धन के अंतर्गत उपलब्ध राशि के आधार पर की जानी चाहिए तथा ऐसा करते समय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

खण्ड स्तरीय प्रबन्धन निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगा :

- पंचायतों से प्राप्त शि०गा०यो० और वै०न०शि० योजनाओं को समेकित करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों और पंचायतों से प्राप्त सूक्ष्म नियोजन के परिणामों का विश्लेषण करना ।
- संकुल संदर्भ व्यक्तियों के काम तथा केन्द्रों के दौरों की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करना ।
- संकुल संदर्भ व्यक्तियों की समीक्षा एवं योजना बैठकें आयोजित करना ।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, डाइट, गैर सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन के पंचायती राज संस्थाओं और स्कूल तंत्र से नजदीकी रिश्ता बनाकर रखना ।
- खण्ड में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के काम का पर्यवेक्षण करना ।

9.4 जिला स्तरीय संगठन :

यह उम्मीद की जाती है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए, जिला स्तरीय प्रशासकीय प्रबन्ध में शि०गा०यो० और वै०न०शि० की व्यवस्था भी शामिल होगी । फिर भी जब तक इस प्रकार के प्रबन्धों के बारे में निर्णय लिये जाएँ, तब तक जिला कलेक्टर अथवा जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जैसा भी राज्य सरकार निर्णय करे, की अध्यक्षता में एक जिला परामर्श समिति काम करेगी । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, डाइटों के प्रतिनिधि, शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये जिम्मेदार खण्ड स्तरीय व्यक्ति, शिक्षा स्वयंसेवक तथा शिक्षाविद् इस समिति के सदस्य होंगे । यह समिति विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के विभागों तथा एजेन्सियों के बीच और अधिक सामंजस्य की संभावनाओं का पता लगायेगी और कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मार्ग-दर्शन एवं समीक्षा करेगी । यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मार्ग दर्शन व समीक्षा करेगी ओर इसके विस्तार के अधिकतम क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में विभागों और एजेन्सियों के साथ सम्बन्ध बनाएगी ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० का जिला स्तरीय संगठन जिला प्राथमिक शिक्षा के ढाँचों के साथ मिलकर काम करता है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों व कुछ अन्य राज्यों में जहाँ राज्य द्वारा संचालित अनौ०शि० कार्यक्रम चयनित क्षेत्र में क्रियान्वित किये जा रहे हैं वहाँ वर्तमान प्रशासकीय प्रबन्धों में कुछ परिष्कार (सुधार/बदलाव) की जरूरत हो सकती है । चूँकि शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है अत: औपचारिक स्कूलों, शि०गा० योजना स्कूलों व सेतु पाठ्यक्रम आदि में बच्चों का नामांकन करवाने व वहाँ ठहराव के लिये जिला स्तर पर एक एकीकृत (सम्मिलित) संगठन होना चाहिए । सूक्ष्म नियोजन के परिणामों को भी एक ही स्थान पर समेकित किया जाना चाहिए ताकि स्कूल में नामांकित तथा स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों की एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त हो सके ।

9.5 राज्य स्तरीय संगठन :

शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राज्यों से अपेक्षा है कि वे अनुदानों के वितरण और योजना के समग्र समन्वयन की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय सोसायटी को सौप देंगे । *चूँकि पहले यह उल्लेख कर दिया गया है कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० सर्व शिक्षा अभियान के ही एक अंग के रूप में होगी, अत: यह उचित ही है कि राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिये चिन्हित या गठित सोसायटी ही शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए भी राज्य स्तर पर जिम्मेदार बनायी गई है । शि०गा०यो० और वै०न०शि०* के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गतिविधियों को शुरू करने से पहले राज्य सरकार द्वारा चिन्हित की गई राज्य स्तरीय सोसायटी को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी होगा । राज्य स्तरीय सोसायटी ही शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत केन्द्र व राज्य के अंशदानों को ग्रहण करेगी । यही सोसायटी राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदानों का वितरण करेगी तथा शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत जिला स्तर पर **जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्तावों** का मूल्यांकन एवं

अनुमोदन करेगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिये जिम्मेदार राज्य स्तरीय कार्यालय के ढाँचे को प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जल्दी से अंतिम रूप देना जरूरी होगा । जिला स्तरीय शि०गा०यो० और वै०न०शि० की योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन दल गठित किया जाना चाहिए । क्रियान्वयन के लिये सुझाव व मार्गदर्शन विशेष रूप से अकादमिक पक्ष के लिये **राज्य स्तरीय संदर्भ समूह** का गठन किया जाना भी लाभप्रद रहेगा । यह राज्य स्तरीय संदर्भ समूह कार्यक्रम क्रियान्वयन की मानीटरिंग के लिये (कुछ और संस्थाओं व व्यक्तियों की भागीदारी के साथ) जिलों का समय-समय पर दौरा कर सकता है । इस तरह के समीक्षा व मानीटरिंग दौरे अकादमिक और प्रशासनिक मामलों पर सुधारात्मक कार्यवाही के लिये मूल्यवान सुझाव/फीड बैक उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे । एक बार संबंधित जिले में सर्व शिक्षा अभियान चालू हो जाने पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिये जिला स्तरीय प्रस्ताव भी जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना के ही एक अंग का रूप ले लेंगे और फिर इन्हीं योजनाओं के मूल्यांकन के अंतर्गत (एक अंश के रूप में) मूल्यांकित होंगे । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव भी जिला स्तरीय शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रस्तावों तथा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का एक अंग होंगी । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों को निम्नलिखित कसौटियों पर परखने के लिए राज्य स्तरीय सोसायटी को एक अनुदान समिति का गठन करना चाहिए :

(क) स्वैच्छिक संस्था की साख एवं पृष्ठभूमि

(ख) स्कूल से बाहर रह गये सभी बच्चों को शामिल करने के लिये समग्र खण्ड या जिला योजना में स्वैच्छिक संस्था का प्रस्ताव कैसे उपयुक्त बैठता है ?

(ग) क्या शि०गा०यो० और वै०न०शि० शुरू करने के लिए जरूरी वे सभी प्रक्रियाएँ जैसे: ग्राम शिक्षा समितियों का गठन, सूक्ष्म नियोजन, आंकड़ों का विश्लेषण, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का आयुवर्ग और पृष्ठभूमि आदि सहित-पूरी कर ली गई ?

(घ) क्या स्वैच्छिक संस्था द्वारा अपनाई गई रणनीति उचित है ?

(ङ) क्या सहायक अनुदान का वितरण करने के लिए किसी अन्य प्रक्रिया की आवश्यकता है ?

अनुदान समिति में शिक्षा के विभिन्न निदेशालयों के प्रतिनिधियों, संस्थाओं, वित्त विभाग के प्रतिनिधि व कुछेक स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना चाहिए ।

राज्य स्तरीय सोसायटी की कार्यकारी समिति व अनुदान समिति में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल होगा । अनुदान समिति में भारत सरकार का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होगा । अनौ०शि०यो० के समन्वयन के लिये बने वर्तमान प्रबन्धन का "शिक्षा के सर्वसुलभीकरण" के लिये बनाई गई राज्य स्तरीय सोसायटी के साथ एकीकरण हो जाएगा । इसके लिये राज्य स्तरीय ढाँचागत व्यवस्थाओं (और जिला स्तर पर भी जैसा कि पहले इंगित किया गया है) में कुछ बदलावों की आवश्यकता होगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत राज्य व जिला स्तर पर आबंटित की जाने वाली प्रबन्धकीय लागत के बारे में आगे वित्तीय मानदण्डों वाले अनुच्छेद में बताया गया है ।

राज्य स्तरीय सोसायटी निम्नलिखित के लिये भी जिम्मेदार होगी :

- शि०गा०यो० और वै०न०शि० के कर्मचारियों के प्रशिक्षण व प्रबोधन ।
- स्कूल से बाहर बच्चों की शिक्षा के लिये अच्छे प्रयासों पद्धतियों व रणनीतियों की पहचान ।

- शैक्षिक भ्रमणों/दौरों का आयोजन ।
- राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के संचालन का मूल्यांकन ।
- शोध को बढ़ावा ।
- शि०गा०यो० और वै०न०शि० की प्रगति की मानीटरिंग के लिये सूचना प्रबन्ध तंत्र का विकास ।
- शि०गा०यो० और वै०न०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान के लिये राष्ट्रीय स्तर से समन्वयन ।
- सीखने-सिखाने की सामग्री की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करना ।
- सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही शि०गा०यो० और वै०न०शि० की नियमित प्रगति रपट व लेखे (खाते) आदि तैयार करना ।

सर्व शिक्षा अभियान के लिये विकसित प्रबन्ध सूचना तंत्र (प्र०सू०तं०) में शि०गा०यो० और वै०न०शि० की सूचनाएँ भी शामिल होनी चाहिएँ ।

9.6 राष्ट्र स्तरीय संगठन :

9.6.1 राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान मिशन शि०गा०यो० और वै०न०शि० के क्रियान्वयन को भी देखेगा । मिशन की एक कार्यकारी समिति व शासकीय परिषद् होगी । चूँकि प्रयोगात्मक व नवाचारी परियोजनाओं और जिला संसाधन इकाइयों के प्रस्तावों को सीधे केन्द्र (सरकार) द्वारा अनुदान देना जारी रहेगा अत: ऐसी परियोजनाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा गठित एक अनुदान समिति होगी ।

9.6.2 *राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा पहले ही मूल्यांकन कर लिये गए राज्य प्रस्तावों की समीक्षा (परीक्षण) के लिए एक छोटा कोर समूह गठित किया जाएगा । संयुक्त सचिव (प्रारंभिक शिक्षा), उपसचिव/निदेशक (अनौ०शि०), रा०शै०अनु०प्र०प० (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्) का प्रतिनिधि और संयुक्त सचिव (प्रारं०शि०) द्वारा नामजद उचित अनुभव वाले दो-एक व्यक्ति इस समूह के सदस्य होंगे ।* यह केन्द्रीय समूह स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों सहित राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति देने के लिये जिम्मेदार होगा । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव जिलावार प्रस्तावों के एक भाग के रूप में शामिल किये जाएँगे । केन्द्रीय समूह यह निश्चित करने के लिये जिम्मेदार होगा कि राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव इस मार्गदर्शिका में सुझाये गये बिन्दुओं के अनुरूप हैं और इन योजनाओं को तैयार करने में उचित प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं । इस समूह का काम होगा कि यह राज्यों द्वारा प्रस्तावित रणनीतियों में सुधार और सफल कार्यक्रमों व परियोजनाओं के आधार पर अपनाये जाने योग्य दूसरी रणनीतियाँ भी सुझाए । यह समूह शि०गा०यो० और वै०न०शि० के नियोजन व क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार राज्य व जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिये प्रबोधन तथा शैक्षिक भ्रमण के लिये सुझाव व व्यवस्था भी कर सकता है । शि०गा०यो० और वै०न०शि० का प्रभारी उपसचिव/निदेशक इस केन्द्रीय समूह के सचिव के रूप में कार्य करेगा । संदर्भ व्यक्तियों व संगठनों/संस्थानों के प्रतिनिधियों के नियमित दौरों के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा व अनुश्रवण की व्यवस्था के लिए भी यह केन्द्रीय समूह जिम्मेदार होगा ।

9.6.3. राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिये एक विस्तृत प्रारूप बनाया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर बने कोर समूह/राज्य स्तरीय संस्थाओं के साथ मिलकर दौरों पर गए अनुश्रवण दलों (टीमों) द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का निराकरण करेगा । अनुश्रवण दौरों/मूल्यांकनों की रपटों के आधार पर राज्य द्वारा की गई उचित कार्यवाही की समीक्षा शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा का प्रभारी उपसचिव/निदेशक या केन्द्रीय समूह करेगा ।

9.6.4 प्रयोगात्मक व नवाचारी परियोजनाओं के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों पर चर्चा के लिये अनुदान समिति की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी ।

10. नियोजन प्रक्रिया/शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रस्तावों का अंतिम रूप और स्वीकृति :

10.1 विद्यमान अनौ०शि० परियोजनाओं को बन्द करना :

राज्य द्वारा चलायी जा रही अनौ०शि० की सभी परियोजनाएं 31.3.2001 से बन्द हो जायेंगी । स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही अनौ०शि० की परियोजनाएं भी 31.3.2001 को बन्द हो जायेंगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये नये जिला स्तरीय प्रस्तावों को 1.4.2001 से मदद दी जायेगी । इस प्रस्तावों में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव भी शि०गा०यो० और वै०न०शि० की जिला योजना के हिस्से के रूप में शामिल होंगे । राज्य सरकारों शि०गा०यो० के घटक के प्रस्ताव 31.3.2001 से पहले भी भेज सकती है क्योंकि इसकी तैयारी में विस्तृत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी । इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले जिन बस्तियों में शि०गा०यो० के स्कूल प्रस्तावित किये गये हैं वहाँ पहले से चल रहे अनौ०शि० के केन्द्रों को बन्द करना पड़ेगा । शहरी क्षेत्रों के कुछ प्रस्तावों पर जहां राज्य सरकारों, नगरपालिकाएं या स्वैच्छिक संस्थाएं सूक्ष्म नियोजन और **समन्यवयन** की रणनीतियों पर ठीक से काम कर चुके हों, उन्हें स०शि०अ० या शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत बनने वाली जिला योजनाओं के बनने से पहले भी अनुदान देने पर विचार किया जा सकेगा ।

10.2 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये सूक्ष्म नियोजन और शाला मानचित्रण :

10.2.1 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये प्रस्ताव आवासीय बस्ती/गाँववार आवश्यकता पर आधारित होने चाहिए । 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करने, उनका शैक्षणिक स्तर पता लगाने, वर्तमान में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की विशेष समस्याओं का पता लगाने आदि के लिये, प्रत्येक गाँव में घर-घर सर्वेक्षण या सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा । इस तरह की सूक्ष्म नियोजन प्रक्रियाएँ लो०जु०प०, जि०प्रा०शि०का० (कुछ राज्यों में), जनशाला कार्यक्रम (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त कार्यक्रम) आदि के अंतर्गत अपनाई गई हैं और इस तरह की सूक्ष्म-नियोजन सर्वेक्षण प्रक्रियाएँ करने के लिए उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत कम से कम 18 राज्यों का पर्याप्त अनुभव उपलब्ध है । सर्व शिक्षा अभियान में भी किसी गाँव/खण्ड व जिला योजना बनाने से पहले सूक्ष्म-नियोजन की प्रक्रियाएँ अपनाये जाने की आवश्यकता है । स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के बारे में उपलब्ध विशेष सूचनाओं के आधार पर उनकी शिक्षा के लिये रणनीतियाँ तैयार की जा सकती है । नियोजन की प्रारंभिक प्रक्रिया में समुदाय का मोबलाइजेशन भी शामिल होगा । यूथ क्लबों सहित स्वैच्छिक संस्थाओं, महिलाओं के समूहों, माता-पिताओं के समूहों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों आदि, की मोबलाइजेशन व सूक्ष्म-नियोजन की प्रक्रिया में सहभागिता बहुत उपयोगी होगी । जहाँ कहीं भी संभव हो इन प्रक्रियाओं को स्वैच्छिक संस्थाओं/समुदाय की सहभागिता के साथ अपनाया जाना चाहिए । शि०गा०यो० के घटक के लिये स्कूल

विहीन बस्तियों की पहचान का काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिये । बस्तीवार जानकारी इकट्ठा करने के साथ-साथ यह भी जरूरी होगा कि समुदाय द्वारा नये स्कूलों को स्थापित करने की मांग स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त की जाये । इस पर विस्तार से चर्चा, इसी हिस्से में आगे जाकर की गई है । (देखें **परिशिष्ट III**)

10.2.2 सूक्ष्म नियोजन/सर्वे के लिये राज्य कुछ प्रक्रियाएं काम में ले सकते हैं । एक छोटा और प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि प्रत्येक गांव से 5-7 व्यक्तियों (यदि ग्रा०शि०स० बनी हुई है तो कुछ उनमें से हो सकते हैं) को घर-घर सर्वे, समूह में बातचीत, ग्राम शिक्षा योजना (जो कि घरवार या बच्चेवार कार्य योजना होगी) की तैयारी और जानकारियों को इकट्ठा करने एवं विश्लेषण करने के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है । यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि गांववार जानकारी और पंचायत/खण्ड स्तर पर समेकित किये गये अभिलेख (रिकार्ड) गतिशील हों जैसे वे पखवाड़े-दर-पखवाड़े अपडेट किये जा सकते हैं ताकि स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की स्पष्ट तस्वीर मिल सके । जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है, ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण व समुदाय मोबलाइजेशन, इस तरह की ही सर्वेक्षण/नियोजन प्रक्रियाओं का परिणाम है ।

10.3 शि०गा०यो० प्रस्तावों की योजना

10.3.1 स्कूल रहित आवासीय बस्तियों में स्कूल खोलने के लिये प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर सभी क्षेत्रों में विस्तृत सूक्ष्म नियोजन के पूरा होने से पहले भी, स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को भेजे जा सकते हैं । सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश शि०गा०यो० घटक के लिये प्रस्ताव भेजने के लिये योग्य होंगे । ऐसे जिलों में जो अभी परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का०, लो०ज०का०, भा०स०-सं०रा०सं०) या स०शि०अ० के दायरे में नहीं आते, उनमें शि०गा०यो० और वै०न०शि० के तहत 2000-2001 में सिर्फ शि०गा०यो० वाले घटक को ही मदद की जायेगी ।

शि०गा०यो० घटक के लिये, बस्तीवार आंकड़ों की जरूरत होगी, जो कि स्कूल में भर्ती न हुये बच्चों की संख्या और सबसे पास के सरकारी स्कूल/सरकारी अनुदानित स्कूल/स्थानीय स्कूल (Local Body School) से दूरी के बारे में जानकारी देगी । शि०गा०यो० के लिये प्रस्ताव राज्य समिति के पास **परिशिष्ट IV** में दिये गये प्रारूप (format) में उपलब्ध होने चाहिये ।

10.3.2 व्यापक सूक्ष्म नियोजन से पहले राज्य इन जानकारियों को इकट्ठा करने का काम कर सकता है (जो कि वै०न०शि० के तहत किये जा रहे प्रयासों के लिये जरूरी होगी) । कुछ राज्यों के पास यह जानकारी पहले से मौजूद है उन्हें इसे अपडेट और सत्यापित करने की जरूरत पड़ेगी । कुछ राज्यों में शि०गा०यो० जैसे स्कूल पहले से ही चल रहे हैं । ऐसे स्कूलों और बस्तियों की जानकारी पहले बताये गये प्रारूप के साथ भेजने की जरूरत पड़ेगी ।

10.3.3 ***समुदाय की मांग :*** शि०गा०यो० स्कूल स्थापित करने के लिये समुदाय अपनी मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति को, पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के सामने लिखित रूप में आवेदन देने के साथ-साथ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त भी कर सकता है । इसमें उस बस्ती के स्कूल न जाने वाले 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सूची, उन सभी को शि०गा०यो० स्कूल के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी, स्कूल के लिये पर्याप्त जगह की व्यवस्था, नियमित पर्यवेक्षण इत्यादि शामिल हो सकता है । मांग की अभिव्यक्ति में राज्य की एजेन्सियों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना की

प्रक्रियाओं के लिये शुरू किया गया मोबलाइजेशन भी शामिल होगा । लेकिन सिर्फ शि०गा०यो० के प्रस्तावों के लिये आवश्यक जानकारी एकत्रित करना पर्याप्त नहीं होगा । प्रस्तावों में यह बात स्पष्ट रूप मे इंगित होनी चाहिये कि समुदाय के साथ सलाह मशवरा लेने और सामुदायिक मोबलाइजेशन का काम सभी बस्तियों में किया जा चुका है । समुदाय द्वारा मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति शि०गा०यो० के प्रस्ताव पूर्व शर्तों में से एक है ।

10.3.4 ***शि०गा०यो० के स्कूल खोलने की गारण्टी :***

शि०गा०यो० और वै०न०शि० का ध्यान/प्रयास प्राथमिकता के आधार पर स्कूल रहित बस्तियों में वैकल्पिक स्कूलों को निश्चित समय के भीतर खोलने पर है । समुदाय की ओर से माँग की स्पष्ट अभिव्यक्ति शि०गा०यो० के स्कूल खोलने के प्रस्ताव की एक पूर्व-शर्त है । इसके साथ ही, पर्याप्त समय के भीतर शि०गा०यो० स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । यह गारंटी का तत्त्व शि०गा०यो० का शुरूआती महत्वपूर्ण पहलू है । अत: विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति में लगने वाले समय को शामिल करते हुए गारंटी का ब्यौरा या विवरण देना चाहिये । मध्यप्रदेश में समुदाय (पंचायत) की स्कूल की मांग के जवाब में, जो शिक्षा गारण्टी योजना लागू की गई है उसमें राज्य सरकार समुदाय से मांग मिलने के 90 दिनों के भीतर शि०गा०यो० स्कूल खोलने की गारण्टी देती है जिसमें ''गुरूजी'' के मानदेय के लिये धन उपलब्ध करवाना, सीखने-सिखाने की सामग्री, गुरूजी को प्रशिक्षण, कुछ आकस्मिक निधि, और पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना शामिल है ।

पश्चिम बंगाल में, शिशु शिक्षा कर्मसूची भी इसी तरह समुदाय की मांग पर आधारित है ।

- सरकार निश्चित समय में स्कूल खोलने का वादा करती है, ग्राम पंचायत बस्ती में अपने बच्चों के लिये स्कूल खुलवाने के इच्छुक माता-पिता के प्रस्तावों को सत्यापित करती है । यदि ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव जमा करवाने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर कोई जवाब न मिले, तो आवेदक सीधे पंचायत समिति जैसे उच्च निकाय में जा सकते हैं । इसी तरह अन्य निकायों के लिये भी आवेदन पर निर्णय लेने के लिये 4 सप्ताह का समय तय किया गया है ।[4]

10.3.5 राज्य को शि०गा०यो० के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिये विस्तार से प्रक्रियाएं बनानी पड़ेगी । उनमें निम्नलिखित चरण शामिल होंगे ।

i) सामुदायिक मोबलाइजेशन

ii) स्कूल रहित बस्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना ।

iii) सामुदायिक समूहों/पंचायतों से आवेदन

iv) विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन और सत्यापन

v) शिक्षक चयन जगह की पहचान करने और स्कूल खोलने की तैयारी करने में समुदाय द्वारा निरन्तर मदद करना

[4] विभिन्न राज्यों में, स्कूल रहित बस्तियों में शि० गा० यो० के स्कूल खोलने की योजनाओं की विस्तृत जानकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रकाशित एवं वितरित दस्तावेज ''स्कूलरहित बस्तिया'' में स्कूल - शिक्षा गारण्टी योजना'' में मिल सकती है ।

इस घटक में समुदाय की पहल की केन्द्रीय भूमिका को देखते हुए समुदाय और अन्य एजेन्सियों के बीच समझौते में दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सहमति-पत्र में स्पष्टता से व्यक्त करना जरूरी है । (देखें **परिशिष्ट V** जिसमें शि०गा०यो० का एक प्रारूप उदाहरण के तौर पर दिया गया है) ।[5]

10.4 शि०गा०यो० वाला घटक पूरे देश में लागू होगा । ऐसे राज्य जो शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें पंचायत/खण्ड/शहरी झोंपड़ पट्टियों में खास-हिस्सों, जहां स्कूल से बाहर रह गये बच्चों का प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ खास पिछड़े समूह जैसे अनुसूचित जनजाति, आप्रवासी/घुमंतू बच्चे, वेश्याओं के बच्चे बंधुआ/मजदूरी करने वाले बच्चे मौजूद हों, को पहचानने की जरूरत पड़ेगी । इन खास क्षेत्रों के लिये वै०न०शि० के लिये प्रस्तावों में राज्य द्वारा संचालित शि०गा०यो० और वै०न०शि० के प्रयासों के साथ-साथ स्वै०सं० के प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं ।

10.5 शि०गा०यो० और वै०न०शि० प्रस्तावों का अनुमोदन और समेकन :

10.5.1 ग्राम स्तर पर योजनाएँ बन जाने के बाद पंचायत स्तर पर (यदि जरूरी हो तो) उन पर चर्चा की जा सकती है तत्पश्चात् खण्ड स्तरीय समिति में उनकी जांच की जाएगी । खण्ड स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए विशेष रणनीतियों या गांवों का बँटवारा किया जा सकता है । खण्ड स्तरीय समिति योजनाओं को जिला स्तरीय समिति को भेजेगी ।

10.5.2 जिला स्तरीय समिति के प्रस्तावों को शि०गा०यो० और वै०न०शि० या सर्व शिक्षा अभियान की जिला योजना में शामिल करने के लिए जिम्मेदार होगी । यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों में कोई दोहराव तो नहीं है । यह भी सुनिश्चित करना होगा कि औपचारिक स्कूलों, सहायता प्राप्त, मान्यता रहित स्कूलों व प्रस्तावित शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों में उन्हीं बच्चों को दो बार तो नहीं ले लिया गया है तथा योजनाओं को मदद देने वाली आधारभूत सूचना उपलब्ध है । स्वैच्छिक संस्थाओं के कुछ प्रस्तावों को जिला स्तर पर भी शामिल किया जाना जरूरी हो सकता है । जिला समिति को शि०गा०यो० और वै०न०शि० की जिला योजना को अंतिम रूप देते समय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखना चाहिये । फिर जिले के स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की विस्तृत, रणनीतियों के अनुरूप समेकित योजना की तरह ये योजनाएँ राज्य स्तरीय सोसायटी को भेजी जाएँगी । यह अपेक्षा की जाती है कि यदि राज्य स्तरीय सोसायटीं द्वारा गहन मार्ग निर्देशन व पर्यवेक्षण आयोजित किया जा सके तो सूक्ष्म नियोजन व ग्राम, खण्ड एवं जिला योजनाओं को तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया 3-4 महीनों में पूरी की जा सकती है ।

10.6 शि०गा०यो० और वै०न०शि० की योजना ।

10.6.1 शि०गा०यो० और वै०न०शि० की जिला स्तरीय योजनाएँ (जिले में सर्व शिक्षा अभियान के लागू होते ही, ये योजनाएँ जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना का एक घटक बन जायेंगी) राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा मूल्यांकित होंगी । यह राज्य स्तरीय सोसायटी प्राथमिकताएँ तय करने तथा सूचनाओं की समीक्षा, जिनके आधार पर प्रस्ताव बनाये गये हैं, करने का काम करेगी । जो रणनीतियाँ चुनी गई हैं उनकी उपयुक्तता का अध्ययन करेगी एवं जरूरी हुआ तो सुधार के लिए सुझाव देगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना बनाई गई है, इसकी जाँच करेगी । ये प्रस्ताव राज्य स्तरीय सोसायटी की मूल्यांकन रपट व सुझावों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भेज दिये जाएँगे ।

---

[5] इस प्रारूप को राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जा सकता है ।

राज्य स्तरीय सोसायटी को यह अधिकार होगा कि शि०गा०यो० और वै०न०शि० के उन सभी प्रस्तावों (राज्य द्वारा संचालित या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा) को जो कि प्राथमिक स्तर के लिए 845/- रू० प्रति बालक प्रति वर्ष व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1200/- रू० प्रति बालक प्रति वर्ष की सीमा के भीतर आते हों उन्हें स्वीकृति प्रदान करे । इससे अधिक प्रति इकाई लागत वाले सभी प्रस्तावों को अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजना आवश्यक होगा ।

10.6.2 जहां तक अनुदान जारी करने का मामला है, राज्यों की जरूरत का आंकलन किया जायेगा और राज्य स्तरीय सोसायटियों को पूरा अनुदान तीन किश्तों में (40:40:20) जारी किया जायेगा । जिला स्तरीय हिसाब/लेखों का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय सोसायटी की होगी । इसके साथ ही सोसायटी इस विभाग (मानव संसाधन और विकास मंत्रालय) के सर्व शिक्षा अभियान मिशन को समेकित लेखा-विवरण भी भेजेगी । परियोजना के पहले साल में, राज्य या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा मांगे गये पूरे साल के अनुमानित खर्च की 40% राशि पहली किश्त के रूप में जारी की जायेगी और राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा अक्टूबर/नवम्बर के माह तक भेजे गये खर्च में प्रगति-विवरण के आधार पर तथा यह सुनिश्चित करने के बाद, कि राज्य सरकार ने पहली किश्त में अपने हिस्से की राशि सोसायटी को दे दी है, दूसरी और तीसरी किश्त जारी की जायेगी । दूसरे साल और उसके बाद, पिछले साल के अंकेक्षित लेखों का इन्तजार किये बिना लेकिन पिछले साल के कुल अनुदान में राज्य सरकार के अंशदान के सुनिश्चित होने के बाद पहली किश्त जारी कर दी जायेगी । परन्तु दूसरी किश्त सिर्फ अंकेक्षित लेखा-विवरण और रसीद प्राप्त होने पर ही जारी की जायेगी ।

10.7 शहरी झोपड़-पट्टियों में शि०गा०यो० और वै०न०शि० की योजना बनाने की प्रक्रिया अधिक जटिल है क्योंकि यहां पर कई एजेन्सियां होगी जिसमें राज्य शिक्षा विभाग, नगर निगम/समिति, जिला नगर विकास एजेन्सी (DUDA), एवँ गैर सरकारी संस्थाएं होंगी, जिनके कामों के समन्वयन की जरूरत पड़ेगी । शहरी झोपड़-पट्टियों के लिये एक समन्वित योजना बनाने के लिये शहर के स्तर पर एक कार्य दल बनाने की जरूरत पड़ेगी । दूसरी एजेन्सियों को शामिल करने की पहल राज्य शिक्षा विभाग को करनी पड़ेगी ।

10.8 नियोजन प्रक्रिया का सरलीकरण (Facilitation) :

उपयुक्त नियोजन की प्रक्रियाएं अपनाने और व्यावहारिक योजना बनाने को सुनिश्चित करने की कम से कम तीन पूर्व आवश्यकताएं हैं ।

(i) राज्य को सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश तथा सूचना इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र तैयार करने की आवश्यकता होगी । ये अधिकांश जि०प्रा०शि०का० वाले राज्यों में उपलब्ध होने चाहिए । जि०प्रा०शि०का० रहित राज्यों में भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है । फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आरंभिक गतिविधियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन के लिए जरूरत आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रशिक्षण की रूपरेखा और सूक्ष्म-नियोजन की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किये जाने की आवश्यकता होगी ।

(ii) एकत्रित किए गए आँकड़ों के विश्लेषण के लिए रणनीति का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा । इसके अंतर्गत सूचना के समेकन का स्तर व प्रकृति, सार (सारणी/संक्षेप) तैयार करने के लिए प्रपत्र, आयु-वर्गों व उनकी विशेष समस्याओं के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण आदि होगा ।

(iii) विभिन्न रणनीतियों जैसे-शि०गा०यो०, सेतु पाठ्यक्रम, औपचारिक स्कूलों में विभिन्न शिक्षा स्वयंसेवकों के माधयम से उपचारात्मक शिक्षण आदि के बारे में खण्ड व जिला स्तर पर तथा गाँव या पंचायत स्तर पर भी स्पष्ट मानदण्डों की जानकारी देना जरूरी होगा । यह विकेन्द्रित स्तर पर अच्छी योजनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है । इस तरह के मानदण्डों में प्राथमिकता की कसौटी को भी शामिल किया जा सकता है । जिसके माधयम से खण्ड/जिले कुछ निश्चित गाँवों/इलाकों में या बच्चों के कुछ समूहों के लिए काम की शुरूआत की प्राथमिकता तय कर सके । प्राथमिकताओं के लिये मानदण्ड, उपलब्ध अनुदानों के सीमित होने की स्थिति में या सभी योजनाओं को सभी क्षेत्रों में एक साथ अपनाने के लिए कार्यक्रम प्रबन्धन की क्षमता के अपर्याप्त होने की स्थिति में जरूरी होगा ।

इस प्रकार के मानदण्डों में निम्नलिखित को उच्च प्राथमिकता दिया जाना शामिल हो सकता है :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वाली बस्तियां ।

(ख) ऐसी बस्तियां जहाँ लड़कियों की नामांकन दर बहुत कम है ।

(ग) ऐसी बस्तियां जहां या तो स्कूल छोड़ गये बच्चों का अनुपात या स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की कुल संख्या बहुत अधिक हो ।

(घ) सबसे कठिन समूहों के बच्चे जैसे गली एवं फुटपाथ के बच्चे, बंधुआ मजदूर आदि ।

क्षेत्रों/रणनीतियों के चुनाव के लिए प्राथमिकता के आधार को पंचायतों व ग्राम शिक्षा समितियों को बताया जाना चाहिए ताकि उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता बनी रहे ।

10.9 शि०गा०यो० और वै०न०शि० को चालू करने के शुरूआती कदम

i) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये राज्य स्तरीय सोसायटी की पहचान करना और सोसायटी के लिये अनुदान समिति की अधिसूचना जारी करना ।

ii) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के बारे में जानकारी देने के लिये राज्य और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग और स्वै०सं० के व्यक्तियों की कार्यशालाएं करना ।

iii) शि०गा०यो० के स्कूलों और वै०न०शि० के केन्द्रों के लिये रणनीतियों और मानदण्डों का स्पष्ट निर्धारण करना । शि०गा०यो० संबंधी मार्गदर्शिका को अन्तिम रूप देना ।

iv) प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की अधिासूचना जारी करना जैसे ग्रा०शि०स०/स्कूल समिति, ग्राम पंचायतों, खण्ड और जिला स्तर इत्यादि । हर स्तर पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को अंतिम रूप देने की जरूरत पड़ेगी ।

v) सूक्ष्म नियोजन और शाला मानचित्रण की प्रक्रियाओं को शुरू करना और अंतिम रूप देना । 1 अप्रैल 2001 से शि०गा०यो० और वै०न०शि० को शुरू करने की कार्य योजना बनाना ।

vi) योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान जिलों का दौरा करने के लिये एक राज्य स्तरीय दल का गठन करना । योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले यह दल प्रक्रियाओं की समीक्षा करके सुधार हेतु सुझाव दे सकता है ।

vii) प्रार०शि०सा० और शि०गा०यो० और वै०न०शि० के ढांचों के लिये एक समन्वित ढांचे (Convergent Framework) की पहचान करना और विकसित करना । जिला स्तर पर शि०गा०यो० और वै०न०शि० के तहत व्यक्तियों की आवश्यकता का आकलन करना और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की जरूरत को अंतिम रूप देना ।

viii) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के प्रस्तावों के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं को जानकारी देना और उन्हें शामिल करना । स्वै०सं० के प्रस्तावों की पहचान, चयन और मूल्यांकन के लिये विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार करना ।

ix) व्यक्तियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना ताकि वे नयी योजना के बारे में साफतौर पर समझ विकसित कर सकें, नयी रणनीतियों जैसे सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल वापसी से परिचित हो सकें, आवश्यक अकादमिक निवेश की प्रकृति को समझ सकें इत्यादि । इसमें दूसरी परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को जरूर देखना और समझना भी शामिल हो सकता है ।

x) नयी योजना के अन्तर्गत शिक्षा स्वयंसेवक, संकुल संदर्भ व्यक्ति इत्यादि के प्रशिक्षण की रूपरेखा (Framework) विकसित करना । इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिये संस्थानों की पहचान करना, लम्बी समयावधि के प्रशिक्षण पैकेजों को विकसित करना, दो दिवसीय मासिक समीक्षा बैठकों के लिये मार्गदर्शिका विकसित करना, इत्यादि शामिल होगा ।

11. स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव :

11.1 प्रयोगात्मक व नवाचारी परियोजनाओं के लिए तथा जिला संदर्भ इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को सीधे प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत परियोजनाओं को मदद करने के लिये, अभी काम कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता के आकलन के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही जि०सं०इ० को मिलने वाली धन राशि की समीक्षा की जायेगी ।

11.2 शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों/सेतु पाठ्यक्रमों आदि के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के अन्य प्रस्तावों के लिए उन्हें खण्ड/जिला/राज्य स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता होगी । स्वैच्छिक संस्था को बुलाने तथा उनके प्रस्ताव की स्वीकृति में उचित प्रक्रिया अपनाने तथा जिला स्तरीय शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा प्रस्तावों के साथ उनकी सुनिश्चितता देखने आदि बातों को शि०गा०यो० और वै०न०शि०/सर्व शिक्षा अभियान के लिए बनी प्रत्येक राज्य सरकार/राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिये स्पष्ट दिशा निर्देश बनाना आवश्यक हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किस स्तर पर योजनाओं में इनका समायोजन किया जाएगा । इसके लिए राज्यों को भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों के लिए वर्तमान में अपनाई जा रही अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों का अध्ययन करना चाहिये । (देखें **परिशिष्ट VI**)

11.3 राज्य स्तरीय अनुदान समिति को सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहिए जो जिला योजना के हिस्से के रूप में राज्य स्तर पर भेजे गये हों । यदि जिला स्तर पर कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत नही किया गया है तो भी उन्हें जिला स्तरीय समिति द्वारा स्पष्ट कारणों के साथ राज्य स्तर पर भेजा जाना चाहिए । राज्य स्तरीय अनुदान समिति की अनुशंसाओं के बाद पूरे जिले (स्वै०सं० के घटक सहित) की योजना पर राज्य सोसायटी द्वारा विचार किया जायेगा ।

11.4 चूँकि शि०गा०यो० और वै०न०शि० कार्यक्रम की पुनर्स्थापना (reoriented) की जा रही है और स्कूल से बाहर रहे बच्चों के लिए किये जा रहे प्रयास अब प्रा०शि०सा० के समग्र प्रयास के एक हिस्से के रूप में होंगे । अत: राज्य स्तरीय सोसायटी तथा जिला स्तरीय ढाँचे शि०गा०यो० और वै०न०शि० के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचित करने व उनका अभिमुखीकरण करने के लिये जिम्मेदार होंगे । इसके साथ ही पूरे जिले के प्रा०शि०सा० कार्यक्रम के लिये योजना के एक भाग के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को विशेष रणनीतियों या किसी क्षेत्र विशेष में काम की जिम्मेदारी सौंपने का काम भी इनका ही होगा । यह सूचना स्वैच्छिक संस्थाओं को नियोजन प्रक्रिया से पूर्व आवेदन पत्रों के साथ प्रसारित की जा सकती है । अच्छे कार्य के लिये जानी जाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ राज्य और जिला स्तरीय कर्मचारियों द्वारा सीधे संपर्क किया जा सकता हैं ।

11.5 भारत सरकार के रिकार्डों (दस्तावेजों/अभिलेखों) में अनौ०शि०यो० के अन्तर्गत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं का काम काज संतोषप्रद नहीं रहा है उनकी एक सूची शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए बनी राज्य स्तरीय सोसायटी को भेज दी जाएगी । अभी चल रही अनौ०शि० योजना के अन्तर्गत स्वै० संस्थाओं को स्वीकृत परियोजनाओं को वित्तीय मदद संबंधी सभी मामले भारत सरकार द्वारा 31-3-2001 तक निपटाये जायेंगे ।

11.6 स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए परियोजना के प्रबन्धन से जुड़े कर्मचारियों तथा अन्य उचित मदों के खर्चों के बारे मे वित्तीय मानदण्डों वाले अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है । स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने की प्रक्रियाएँ और रिकार्ड रखने के तरीके मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपनायी जा रहे वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुरूप होंगे ।

12. शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत अपराक्रम्य :

"सहमति पत्र" (MOU)

(i) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अनुदानों के आवंटन के लिए तथा स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के समग्र कार्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन के लिए एक उचित सोसायटी बनाई जाएगी । यह सोसायटी वही होनी चाहिए जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए बनाई गई है ।

(ii) सभी शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्र दिन के समय में कम से कम चार घण्टे चलने चाहिए । इन शर्तों मानदण्डों के प्रति किसी भी अपवाद पर जिला परामर्श समिति में विचार विमर्श किया जाएगा । और केवल बहुत विशेष व आवश्यक स्थिति में राज्य स्तरीय सोसायटी में निर्णय के बाद ही उसे सहमति प्रदान की जाएगी ।

(iii) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये गाँव, खण्ड व ,जिला प्रस्तावों की तैयारी से पहले सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया या घर-घर सर्वेक्षण किया जाना होगा । जिला प्रस्तावों को स्वीकृति देने से पहले

राज्य सोसायटी द्वारा किये गए मूल्यांकन में सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त सूचनाओं का विशेष अध्ययन किया जाएगा ।

(iv) स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों को भी विभिन्न स्तरों पर समान महत्व दिया जाएगा तथा नई योजना व इसके प्रावधान से संबंधित सूचनाओं का राज्य व जिला स्तर पर उनके साथ आदान-प्रदान किया जायेगा ।

(v) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति/ग्राम पंचायत या स्थानीय शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि समूहों द्वारा किया जाएगा ।

(vi) शिक्षा स्वयंसेवकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(vii) शिक्षा स्वयंसेवकों तथा संकुल संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय का समय पर व नियमित भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए ।

(viii) केन्द्र के लिए पाठ्य-पुस्तकें आदि सीखने-सिखाने की सामग्री तथा उपकरण केन्द्र शुरू होने से पहले उपलब्ध करवा दिये जाने चाहिए ।

(ix) बच्चों की संख्या 40 से ज्यादा हो जाने पर, केन्द्र पर एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है ।

(x) शिक्षा स्वयंसेवकों का प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 30 दिनों व उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 40 दिनों का आरंभिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए ।

(xi) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये प्रयास तभी शुरू किये जाने चाहिए जबकि समुदाय में स्पष्टत: अभिव्यक्त माँग व प्रतिबद्धता हो । शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के बच्चों के लिए उपयुक्त स्थान, पीने के पानी की व्यवस्था स्थानीय समुदाय को उपलब्ध करवानी चाहिए ।

(xii) शि०गा०यो० और वै०न०शि० की अधिकांश रणनीतियाँ बच्चों को औपचारिक स्कूलों में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगी । इस तरह सभी स्तरों पर अनौपचारिक व औपचारिक तंत्र के बीच नजदीक के रिश्ते होने चाहिए ।

स्थानीय स्कूलों के प्रधान अधयापकों को उन वै०न०शि०के० के नियमित पर्यवेक्षण में शामिल किया जाना चाहिए जिनके बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है ।

(xiii) शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा राज्य, जिला व उप-जिला स्तरों पर ''शिक्षा का सार्वजनीनीकरण'' की समग्र योजना का एक घटक होगी । अत: यह सुनिश्चित कर लेना बिल्कुल जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा व शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा के लिये प्रबन्धकीय ढाँचे अलग-अलग ना हों । यह समायोजन राज्य स्तर से लेकर नीचे तक होना चाहिए ।

(xiv) कक्षाओं के वार्षिक अवलोकन अध्ययनों के अतिरिक्त शि०गा० योजना और वै०न० शिक्षा (राज्य द्वारा संचालित व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित) प्रयासों के संचालन का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा ।

(xv) ऊपर दिये गये नियमों के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक साझे 'सहमति पत्र' (MOU) पर हस्ताक्षर किये जाएँगे । इसमें कुछ विशेष राज्यगत बातें भी शामिल

होंगी-विशेषकर शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए कर्मचारियों व प्रबन्धकीय ढाँचों संबंधी । राज्य सरकारों के लिये भी स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती राज संस्थान/ग्राम शिक्षा समितियों या शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार अन्य समूहों के साथ सहमति पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे ।

(xvi) प्रारंभिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के ढांचों के समन्वयन (Convergence) के मुद्दे पर, कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां अनौ०शि० और प्रारं०शि० के अलग-अलग ढांचे हैं, सहमति पत्र में एकदम साफ शब्दों में लिखा होना चाहिये कि राज्य सरकार के घटक इस समय बने हुये ढांचों में सुधार की प्रक्रियाएं 30-6-2001 तक पूरी कर लेंगे । इस समन्वयन/सुधार का ढांचा 31-3-2000 तक भारत सरकार को भेज दिया जाना चाहिये ।

(भारत सरकार और राज्य सरकार तथा राज्य सोसायटी के बीच हस्ताक्षर किये जाने वाले "सहमति पत्र" के प्रारूप/नमूने के लिये (**परिशिष्ट VII** देखें)

(xvii) राज्य अनुदान समितियों की बैठकों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा ।

13 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत अनुश्रवण (देख-रेख) एवँ मूल्याँकन की व्यवस्थाएँ ः

13.1 संकुल स्तर पर संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जाने वाली देख-रेख व अकादमिक मदद की व्यवस्थाएँ पहले बता दी गई हैं । स्कूल/केन्द्र और संकुल के बीच का यह आपसी संबंध काफी महत्त्वपूर्ण है । यह संबंध कार्यक्रम के सतत् मूल्यांकन और निरन्तर सुधार का एक प्रभावी तरीका उपलब्ध करवाता है । खण्ड स्तरीय व्यवस्थाएं प्रत्येक राज्य द्वारा तय की जाएगी । खंड संदर्भ केन्द्र का उपयोग परियोजना (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०का० और भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम) वाले जिलों में अनुश्रवण के लिये किया जा सकता है । संकुल और खंड स्तर पर नियमित अनुश्रवण के लिये समय सारणी और रपट के प्रारूप प्रत्येक राज्य द्वारा बनाये जाने की जरूरत पड़ेगी ।

शि०गा०यो० और वै०न०शि० कार्यक्रम के अनुश्रवण (देख-रेख) की जिम्मेदारी, जिला स्तरीय कार्यालय, डाइट, जिला संदर्भ समूह (जि०सं०स०) आदि की होगी । यह शि०गा०यो० और वै०न०शि० केन्द्रों के निरीक्षण करने के बजाय उनकी समीक्षा, नियोजन में सहयोग के साथ-साथ नियमित अकादमिक मदद जैसा काम होगा । राज्य स्तर पर रा०शै०अ०प्र०, जि०शि०प्र०सं० में, डाइट और कुछ अच्छी स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता से एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र बनाया जायेगा ।

13.2 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये संभावित अनुश्रवण व्यवस्था का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करके जल्दी ही राज्यों में भेजा जायेगा । अनुश्रवण की व्यवस्थाओं और रपट के प्रारूपों में केन्द्र संबंधी मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी शामिल होगी ।[6] पर्याप्त समय सीमा के भीतर स्कूल के शिक्षार्थियों का

---

[6] **मात्रात्मक सूचकांक**

- बच्चों का नामांकन
- उपस्थिति
- संकुल संदर्भ व्यक्ति का दौरा
- स्कूल समिति की बैठक
- स्कूल छोड़ चुके बच्चों की संख्या
- शिक्षार्थियों का आयु वितरण

अगली/उच्च श्रेणी में प्रगति करना, स्कूल के प्रभावी संचालन के सबसे महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में से एक होगा । अनौ०शि० योजना और विभिन्न परियोजनाओं के तहत वैकल्पिक स्कूल कार्यक्रमों में इसका ठीक से अनुश्रवण नहीं किया गया था । यह सूचकांक शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये विकसित किये जाने वाले प्रबन्ध सूचना तंत्र (MIS) के एक अभिन्न हिस्से के रूप में होना चाहिये । कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर स्कूल से राज्य स्तर तक नियमित अनुश्रवण (देख-रेख) के लिये और नीचे से ऊपर तक सूचना पहुँचाने के लिये कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये । यह प्रबन्ध सूचना तंत्र, सर्व शिक्षा अभियान के प्रबन्ध सूचना तंत्र का हिस्सा होंगी । इसके साथ ही व्यवस्थित अनुश्रवण और समीक्षा के लिये समय-समय पर "समीक्षा अभियान" चलाये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं के कामों सहित पूरी योजना के काम काज की विस्तार से हर छह माह में समीक्षा की जा सकती हैं ।

13.3 राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा, राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्थाओं जैसे:- राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), नीपा (NIEPA), प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों व संदर्भ संस्थानों, व्यक्तिगत संदर्भ व्यक्तियों आदि की सहभागिता से एक व्यापक अनुश्रवण (देख-रेख) तंत्र विकसित किया जाएगा । शि०गा०यो० और वै०न०शि० का संचालन सहमति पत्र (MOU) में उल्लेखित शर्तों आदि का पालन करते हुए हो रहा है इसकी समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के दौरे आयोजित किये जायेंगे । इसके अलावा जब भी आवश्यकता लगेगी तब योजना के किसी खास पहलू की समीक्षा के लिए किसी एक राज्य के लिये विशेष दौरे का आयोजन भी किया जाएगा । अनुश्रवण तभी प्रभावी हो पायेगा जब मात्रात्मक और गुणात्मक सूचकांकों की एक छोटी सी सूची बना ली जायेगी ।

13.4 मूल्यांकन

शि०गा०यो० और वै०न०शि० का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जायेगा-(1) राज्य स्तरीय सोसायटी एवं (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा । प्र०सू०तं० (MIS) और फील्ड के दौरों के माध्यम से परियोजनाओं के नियमित अनुश्रवण के साथ-साथ राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा सूचीबद्ध की गई संस्था द्वारा हर 4 साल में जिला परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जायेगा । बड़े राज्यों में हर साल किन्हीं 1-2 जिलों और छोटे राज्यों में हर दूसरे साल किसी एक जिले का मूल्यांकन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध बाहरी मूल्यांकन एजेन्सी और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा ।

14. वित्तीय कसौटियाँ तथा इकाई लागत

14.1 केन्द्र की लागत

14.1.1 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक केन्द्रों के लिये लागत क्रमश: 845/- रू० और 1200/- रू० प्रति बच्चा है जिसमें राज्य और जिला स्तर के लिये 5 % प्रशासनिक लागत के अन्तर्गत आने वाली मदों में अनुश्रवण

- विभिन्न श्रेणियों में बच्चों की संख्या और साल दर साल प्रगति करके अगली श्रेणी में जाना
- औपचारिक विद्यालयों में भर्ती किये गये बच्चे

गुणात्मक सूचकांक

- कक्षा का माहौल
- शिक्षा स्वयंसेवी की क्षमता और बच्चों के साथ संबंध
- सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएं
- बच्चे के उपलब्धि स्तर का समय-समय पर आकलन

और मूल्यांकन, जिला एवं राज्य स्तर के प्रशासनिक खर्चे और अनुच्छेद 14.3 में आई मदें, शामिल होंगी । जबकि विकासखण्ड प्रबन्धन लागत के अन्तर्गत आने वाली मदों में, प्रत्येक 20 केन्द्रों के लिये एक संकुल संसाधन व्यक्ति का यात्र-खर्च, अन्य केन्द्र और संकुल स्तरीय गतिविधियां-बालमेला, प्रतियोगिताएं और अनुच्छेद 14.2 में दी गई मदें, शामिल होगा ।

प्रत्येक केन्द्र की लागत उसमें नामांकित बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगी । लेकिन पूरे जिले के लिये कुल लागत, प्राथमिक स्तर के केन्द्रों लिये 845 रू० प्रति बच्चा प्रति वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये 1200 रू० प्रति बच्चा प्रति वर्ष की सीमा के अन्दर ही रहनी चहिये ।

विभिन्न मदों में केन्द्र लागत की अधिकतम सीमा नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी ।

क्रम सं०	मद	प्राथमिक केन्द्र	उच्च प्राथमिक केन्द्र
1.	शिक्षा स्वयंसेवकों को मानदेय	1000/-रू० प्रति माह	2000/- रू० प्रतिमाह । प्रत्येक शिक्षा स्वयंसेवक के लिये 1000 रू० प्रतिमाह ।
2.	शिक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	1500/-रू० प्रति वर्ष, 30 दिन के लिये @50 रू० प्रति व्यक्ति प्रति दिन	4000/- रू० प्रति वर्ष (दो शिक्षा स्वयंसेवकों के लिये) 40 दिन के प्रशिक्षण के लिये @50 रू० प्रति व्यक्ति प्रति दिन*
3.	बच्चों के लिये सीखने-सिखाने की सामग्री	100/-रू० प्रति बच्चा	150/-रू० प्रति बच्चा
4.	केन्द्र के लिये उपकरण	1100/-रू० प्रति केन्द्र	1200/-रू० प्रति केन्द्र
5.	आकस्मिक खर्च	468.75 रू० प्रति केन्द्र	500/-रू० प्रति केन्द्र

100 प्राथमिक केन्द्रों वाले एक विकासखण्ड की लागत का ढांचा उदाहरण के तौर पर **परिशिष्ट VIII** में दिया गया है ।

* दूसरे साल के बाद शिक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की अवधि बदल सकती है ।

** प्राथमिक केन्द्र में बच्चों की संख्या 40 से ज्यादा होने पर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है । इस योजना के अन्तर्गत शि०गा०यो० और वै०न०शि० के केन्द्रों को चलाने के लिये किराये की कोई अनुमति नहीं दी जायेगी । केन्द्र के लिये जगह की व्यवस्था समुदाय/ग्राम शिक्षा समिति/पंचायत द्वारा की जानी चाहिये ।

14.1.2 उच्च प्राथमिक केन्द्रों की लागत बहुत सावधानी से निकालनी पड़ेगी और जहां कहीं धन की कमी हो उसे पूरा करने के लिये 5% प्रशासनिक लागत से धन लिया जा सकेगा । उच्च प्राथमिक केन्द्र के लिये अलग से विकासखण्ड प्रबन्धन लागत उपलब्ध नहीं होगी ।''

14.1.3 इन मदों के बीच खर्च के बंटवारे को राज्य द्वारा 14.1.1 और 14.1.2 के तहत दिये गये मानदण्डों या अधिकतम सीमा के भीतर अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

14.1.4 अलग-अलग समयावधि के गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के लिये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय केन्द्रों के लागत मानदण्ड लागू होंगे । जितने महीने सेतु पाठ्यक्रम चलेगा उतने महीनों का मानदेय शिक्षा स्वयंसेवक को देय होगा । प्रतिदिन केन्द्र संचालन के घण्टों की संख्या के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण के लिये शि०स्व० का मानदेय घटाया जाना चाहिये (1000 रू० प्रतिमाह से कम) ।

14.1.5 ऊपर बतायी गई लागत की अधिकतम सीमा सभी शि०गा०यो०/वै०न०शि०/गैर आवासीय स्कूल वापसी शिविरों इत्यादि पर लागू होंगी । राज्य सोसायटी इन सीमाओं के भीतर राज्य या स्वै० संस्थाओं के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देने में सक्षम होंगी ।

14.1.6 कुछ रणनीतियों जैसे आवासीय "स्कूल वापसी" शिविरों, किशोरियों के लिये बालिका शिक्षण शिविरों इत्यादि में प्रति इकाई लागत अधिक आयेगी । इन रणनीतियों के तहत खर्च की कुछ मदें, जैसे भोजन (शिक्षार्थियों) और कर्मचारियों के लिये), गैर शैक्षणिक कर्मचारी (रसोइया, सहायक आदि), स्वास्थ्य की देख-भाल संबंधी, किराया आदि, स्वीकार्य होंगी । ऐसे प्रस्ताव, जिनमें केन्द्र स्तर पर प्रति केन्द्र की लागत 845 रू० (प्राथमिक के लिये) और 1200 रू० (उच्च प्राथमिक के लिये) की सीमा से अधिक होगी उनको अन्तिम स्वीकृति प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दी जायेगी । इस तरह के प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजने से पहले शि०गा०यो० और वै०न०शि० की जिला योजना के संदर्भ में इन रणनीतियों की जरूरत और उनकी इकाई लागत के बारे में राज्य सोसायटी को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये ।

14.1.7 शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव के लिए अधिकतम सीमा केन्द्र लागत की अधिकतम सीमा 3000 रू० प्रति बालक प्रति वर्ष है । ये सीमाएँ नवाचारी व प्रयोगात्मक घटक के अंतर्गत भारत सरकार से सीधे अनुदानित प्रस्तावों पर भी लागू होंगी ।

14.1.8 शि०स्व० का कम से कम तीन माह का मानदेय पंचायत या ग्रा०शि०स० गैर सरकारी संगठन के बैंक खाते में मौजूद होना चाहिये ताकि मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके । इसके लिये ग्रा०शि०स०/पंचायतों/ स्वै०सं० द्वारा खर्च का लेखा-जोखा भेजने के तौर तरीकों और धन भेजने की प्रक्रियाओं को ठीक ढंग से बनाना/परखना पड़ेगा । राज्य से गांव स्तर तक धन राशि को भेजने में आमतौर पर आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं की वजह से शाला समिति/ग्रा०शि०स० को पैसा भेजने में देरी हो जाती है । इससे अवश्य बचा जाना चाहिये क्योंकि यह विकेन्द्रीकरण और स्कूल केन्द्र की धन राशि पर समुदाय के नियंत्रण के उद्देश्य को कमजोर कर देता है ।

पंचायत/ग्रा०शि०स० स्कूल समिति पर मानदेय, केन्द्र के आकस्मिक खर्चे, सीखने सिखाने की सामग्री आदि पर खर्च करेगी और उनके खर्चे का हिसाब-किताब रखेगी । पंचायत/ग्रा०शि०स० द्वारा हासिल किये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र हर तिमाही बाद खण्ड/जिला कार्यालय पर भेजा जाना चाहिये ।

14.2 खण्ड स्तरीय प्रबन्धन लागत :

14.2.1 खण्ड स्तरीय प्रबन्धन लागत में निम्नलिखित चीजें शामिल हों ।

क) संकुल संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय (प्रत्येक 20 स्कूलों/केन्द्रों पर 1 व्यक्ति) । संकुल संदर्भ व्यक्ति को 1500 रू० प्रति माह मानदेय दिया जा सकता है ।

ख) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए खण्ड कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों का वेतन/मानदेय ।

ग) आवश्यकतानुसार कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे लिपिक/संदेशवाहक आदि ।

घ) संकुल स्तर पर (दो दिवसीय मासिक) समीक्षा व नियोजन बैठक की लागत । (30 रू० प्रति शि०स्व० प्रतिमाह)

ङ) पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण ।

च) संकुल संदर्भ व्यक्तियों खण्ड कार्यक्रम अधिकारी या संदर्भ व्यक्ति को निर्धारित यात्रा भत्ता ।

छ) खण्ड संदर्भ समूहों की बैठकों, अवलोकन यात्राओं (दौरों) और प्रशिक्षणों का आयोजन, सेमीनारों, खण्ड स्तर की फीड बैंक बैठकों) का आयोजन ।

ज) खण्डस्तरीय व्यवस्थाओं की आकस्मिक लागतें ।

14.2.2 कुछ लचीलेपन को बनाये रखने के लिये, नीचे लिखी हुई खर्च की मदें, या तो केन्द्र की लागत में, या खण्ड प्रबन्धन लागत में, या दोनों (केन्द्र और खण्ड प्रबन्धन लागत) के बीच बांटी जा सकती है ।

क) संकुल संदर्भ व्यक्ति का मानदेय ।

ख) शि० स्वयंसेवकों की मासिक बैठकों की लागत ।

14.2.3 खण्ड स्तर पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की प्रकृति के बारे में हर राज्य खुद तय करेगा । इस समय परियोजना स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या शायद कम करने की जरूरत पड़ेगी । खण्ड स्तरीय प्रबन्धन के वित्तीय संसाधनों पर पहला हक संकुल संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय और प्रशिक्षण, मासिक बैठकों की लागत, संकुल संदर्भ व्यक्ति का यात्रा/दैनिक भत्ता और कार्यक्रमों में की जा रही गतिविधियों का होगा । इन लागतों की व्यवस्था करने के बाद ही शि०गा०यो० और वै०न०शि० के तहत खण्ड शिक्षा कार्यालय या खण्ड संदर्भ केन्द्र पर कर्मचारी की व्यवस्था की जा सकेगी ।

खण्ड स्तर पर (उपलब्ध करवाई जाने वाली) आकस्मिक खर्चे की राशि, संकुल संदर्भ व्यक्तियों का निर्धारित यात्रा भत्ता दर भी प्रत्येक राज्य द्वारा निश्चित की जाएगी ।

14.2.4 निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत खण्ड स्तरीय प्रबन्धक लागत स्वीकृत की जाएगी ।

(i)	80-100 केन्द्र	2.5 लाख रू० प्रति वर्ष
(ii)	50-80 केन्द्र	2.0 लाख रू० प्रति वर्ष
(iii)	25-50 केन्द्र	1.5 लाख रू० प्रति वर्ष
(iv)	25 केन्द्रों से कम के लिये	100 रू० प्रति बालक प्रति वर्ष

- खण्ड स्तरीय प्रबन्धन लागत खण्ड के कुल स्कूलों/केन्द्रों की संख्या, स्वै०सं० द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों सहित, के आधार पर निकाली जायेगी । इसी धनराशि में से, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों के लिये 100 रू० प्रति बच्चा प्रति वर्ष के हिसाब से प्रबन्ध लागत दी जायेगी । बाकी लागत राज्य सरकार के शि०गा०यो० और वै०न०शि० के खण्ड स्तरीय ढांचे के लिये उपलब्ध रहेगी ।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के लिये परियोजना प्रबन्धन की लागत 100 रू० प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से ही स्वीकार्य होगी ।

14.3 जिला व राज्य प्रशासकीय लागत (केवल राज्य द्वारा संचालित केन्द्रों के लिए)

इस मद के अंतर्गत निम्न लागतों को स्वीकृति दी जाएगी :

i) जिला स्तर के वे कार्यक्रम प्रबन्धन कर्मचारी, जो जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे।

ii) जिला संदर्भ समूह की बैठकों की व्यवस्था, जिला संदर्भ समूह/खण्ड संदर्भ समूह के सदस्यों के मानदेय का भुगतान ।

iii) राज्य स्तर पर वे कार्यक्रम कर्मचारी जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्य करेंगे ।

iv) राज्य संसाधन समूह (रा०सं०स०) की स्थापना करना, उनकी क्षमता निर्माण, भ्रमण, शिक्षण, सेमिनार, कान्फरेन्स आदि ।

v) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संकाय सदस्यों का वेतन या शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिए राज्य स्तर पर मदद करने वाली किसी दूसरी अन्य संदर्भ सहायता का प्रबन्ध करना। किसी गैर सरकारी/संस्थान की पहचान करना भी संभव होगा जिससे शि०गा०यो० और वै०न०शि० के गुणात्मक पहलुओं को मदद करने के लिए कुछ अनुदान उपलब्ध करवाए जा सकें ।

किसी भी राज्य में, जिला व राज्य की प्रशासकीय लागत, केन्द्र (स्कूल) व खण्ड स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन लागतों सहित उस राज्य के समस्त (समग्र) प्रस्तावों की 5% तक ही सीमित होगी ।

14.4 निम्न की आरम्भिक गतिविधियों की लागत

क) सूक्ष्म नियोजन व शाला मानचित्रण ।

ख) सामुदायिक मोबलाइजेशन ।

ग) ग्राम शिक्षा समिति/पंचायत/माताओं के समूह का प्रशिक्षण ।

जो शि०गा०यो० और वै०न०शि० की नियोजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध करवाई जाएगी । ऐसे जिलों, जो अभी परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०प०, जनशाला कार्यक्रम) के दायरे में नहीं आते, के लिये शि०गा०यो० के अन्तर्गत राज्य सोसायटी को शाला मानचित्रण और सामुदायिक मोबलाइजेशन की गतिविधियों के लिये 1.00 लाख रू० प्रति जिला देना प्रस्तावित किया गया है, जबकि सर्व०शि०अ० के अन्तर्गत योजना-पूर्व गतिविधियों के लिये अलग से कोई धन उपलब्ध नहीं करवाया गया हो ।

14.4.1 कुछ गतिविधियों को स०शि०अ०/परियोजनाओं (जि०प्रा०शि०का०, लो०जु०प०, भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र) से मदद करने की जरूरत होगी । जैसे

i) शि०गा०यो० और वै०न०शि० की कार्यप्रणाली का सतत्/वार्षिक मूल्यांकन

ii) रा०सं०स०/जि०सं०स०/ख०सं०स० के व्यक्तियों की क्षमता निर्माण और शैक्षिक भ्रमण ।

iii) शि०गा०यो० और वै०न०शि० के केन्द्रों के गुणात्मक पहलू की समीक्षा के लिये कक्षा अवलोकन के अध्ययन ।

iv) शि०स्व० के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन ।

14.4.2 यदि राज्य सरकारें इस योजना के तहत बनाये गये लागत मानदण्डों से अधिक खर्च वाले मानदण्ड अपनाना चाहती है (जैसे शि०स्व० को अधिक मानदेय देना) तो वह बाकी का धन राज्य के कोष से ले सकती है

(यह धन किसी दूसरी केन्द्र समर्थित योजना/केन्द्रीय हिस्से से नहीं लिया जाना चाहिये) । इसे शि०गा०यो० और वै०न०शि० के लिये बनी राज्य सोसायटी के माध्यम से लिया जाना चहिये ।

स्वैच्छिक संस्थाएं भी इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान को छोड़ कर किसी दूसरे स्रोत से धन लेकर अपना कोष बढ़ा सकती है । लेकिन शर्त यह होगी कि शिक्षा स्वयंसेवकों को दिया जाने वाला मानदेय राज्य सोसायटी द्वारा दिये जाने वाले मानदेय की दर से अधिक नहीं होना चाहिये ।

संक्षिप्त नामों की सूची

1)	शि०गा०यो० और वै०न०शि० (EGS & AIE)	:	शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा
2)	लो०जु०का०/लो०जु०प० (LJP)	:	लोक जुम्बिश कार्यक्रम/परिषद
3)	जि०प्रा०शि०का० (DPEP)	:	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
4)	स०शि०अ० (SSA)	:	सर्व शिक्षा अभियान
5)	जि०प्रा०शि०का० (DEEP)	:	जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम/योजना
6)	स्वै०सं० (VA)	:	स्वैच्छिक संस्थाएं
7)	ग्रा०शि०स० (VEC)	:	ग्राम शिक्षा समिति
8)	पं०रा०सं० (PRI)	:	पंचायती राज संस्थान
9)	अनौ०शि० (NFE)	:	अनौपचारिक शिक्षा
10)	ख०सं०के० (BRC)	:	खण्ड संसाधन केन्द्र
11)	सं०सं०के० (CRC)	:	संकुल संसाधन केन्द्र
12)	प्रारं०शि० (EE)	:	प्रारंभिक शिक्षा
13)	रा०शै०अनु०प्र०प० (NCERT)	:	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
14)	जि०सं०स० (DRG)	:	जिला संसाधन समूह
15)	जि०शि०प्र०सं० (DIET) या डाइट	:	जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
16)	भा०स०-सं०रा०सं० (GOI-UN) या जनशाला कार्यक्रम	:	भारत सस्कार - संयुक्त राष्ट्र संघ
17)	शि०स्व० (EV)	:	शिक्षा स्वयंसेवक
18)	सं०सं०व्य० (CRP)	:	संकुल संसाधन व्यक्ति
19)	राज्य शै०अनु०प्र०प० (SCERT)	:	राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
20)	रा०सं०स० (SRG)	:	राज्य संसाधन समूह
21)	प्र०सू०तं० (MIS)	:	प्रबन्ध सूचना तंत्र
22)	प्रारं०शि०सा० (UEE)	:	प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये रणनीतियां

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के समूह कौन से / कैसे हैं ?

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के समूह बहुत ही अलग-अलग तरह के हैं । इन समूहों में वो बच्चे शामिल हैं जो कभी स्कूल में भर्ती तक नहीं हुए क्योंकि उनके आसपास 1-1.5 कि.मी. की दूरी तक किसी भी तरह स्कूल मौजूद नहीं था । जबकि ऐसे भी बच्चे है जो ऐसी बस्तियों में रहते थे जहां स्कूल की सुविधा मौजूद थी लेकिन वे उसमें भर्ती नहीं हुए क्योंकि उनके परिवार काम की तलाश में हर साल बाहर चले जाते हैं या वे बच्चे अपने पारिवारिक व्यवसाय में अभिभावकों की सहायता करते हैं, घरेलू कामों में मदद करते है या मां-बाप के काम पर चले जाने पर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते हैं । शहरी इलाकों में बच्चे झुग्गी-झोंपड़ियों में, गलियों में रेलवे प्लेटफार्म पर रहते है, रेड लाइट एरिया में घरेलू कामों में मदद करते हैं, दुकानों में काम करते हैं इत्यादि । कई बार ऐसे बच्चे अपने परिवारों के साथ रहते है जबकि इनमें ऐसे बच्चे भी होते है जो घर से भाग कर आये होते हैं और अपनी जीविका खुद कमाते हैं ।

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की ऐसी विविधातापूर्ण परिस्थितियों और अलग-अलग तरह की जरूरतों को किसी एक रणनीति के जरिये पूरा नहीं किया जा सकता ।

अत: रणनीतियों को बनाते समय स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की अलग-अलग जरूरतों और उनके विविधोतापूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखना पड़ेगा । खास समूहों की जरूरतों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य-योजना (1982) की मूलभावना, जिसमें कहा गया है कि "अनौ० शिक्षा के अलग-अलग तरह के मॉडलों को विकसित करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी और ऐसी एजेन्सियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ेगी जो "लक्ष्य-समूह" की जरूरतों के आधार पर सबसे उपयुक्त मॉडल विकसित करके उसे अपना सके, को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों को बनाने की जरूरत पड़ेगी ।

योजना बनाने के लिये स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को आगे बनाए तरीके से छांटा जा सकता हैं ।

मुख्य श्रेणियाँ

- ऐसे बच्चे जो नामांकित नहीं किये गये ।
- छोटी, दूर-दराज की बस्तियों में रहने वाले ।
- ऐसी बस्तियों में रहने वाले बच्चे, जहां स्कूल मौजूद है ।
- नामांकित लेकिन स्कूल में न आने वाले बच्चे ।
- नामांकित लेकिन स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ गये बच्चे ।

समूह की प्रकृति के आधार पर स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है ।

- दूर दराज की और ऐसी बस्तियां जिनकी पहुँच में स्कूल नहीं हैं, उनमें रहने वाले बच्चे ।
- अप्रवास करने वाले परिवारों के बच्चे ।
- घरेलू कामों में लगे बच्चे ।
- मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने वाले बच्चे ।
- वंचित शहरी समुदायों के बच्चे ।
- ऐसे समुदायों से संबंधित बच्चे जहां सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं और कामों के कारण उनका स्कूल में पहुँचना मुश्किल हो जाता है ।
- किशोरियाँ

शि०गा०यो० और वै०न०शि० में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है । पहला, यह दूर दराज की छोटी और ऐसी बस्तियों, जिनकी पहुँच के भीतर स्कूल नहीं है, में रहने वाले बच्चों को स्कूल की सुविधा मुहैया करवाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है । दूसरा, ऐसी बस्तियां जहां स्कूल मौजूद हैं, उस बस्ती में रहने वाले सभी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश करना । और आखिरी, स्कूल से बाहर रह गये ऐसे बच्चों के समूह जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में जा रहे हैं और जिन्हें मुख्यधारा से जोड़ना शायद संभव न हो पाये, उनके लिये रणनीतियां अपनाना ।

दूर दराज और स्कूल की पहुँच से दूर बसी बस्तियों में रहने वाले बच्चे

बहुत सारी राज्य सरकारों ने "स्कूल तक पहुँच" के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है । मध्य प्रदेश ने 1997 में शिक्षा गारण्टी योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी समुदाय जिसमें स्कूल में न जाने वाले 6-11 वर्ष की उम्र वाले 40 बच्चे मौजूद हों और उसके 1 कि.मी. के भीतर कोई स्कूल मौजूद न हो । वह समुदाय अपने बच्चों के लिये स्कूल की माँग कर सकता है । सरकार उस बस्ती में स्कूल मुहैया करवाने की समुदाय की माँग को 90 दिन के भीतर पूरा करेगी । समुदाय स्कूल के लिये जगह की व्यवस्था करेगा । और उसी बस्ती से शिक्षक का चयन और नियुक्ति करेगा । इस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी और इसके बाद बच्चों को नजदीक के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया जायेगा । आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी छोटी बस्तियों में रहने वाले सभी बच्चों को स्कूल की पहुँच के भीतर लाने के लिये इसी तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही है । उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने हाल ही में क्रमशः शि०गा०यो० और बस्तीशाला के ये स्कूल कक्षा दो तक ही डिजाइन किये गये हैं । जिसके बाद बच्चे नजदीक के औपचारिक स्कूल में कक्षा तीन में भर्ती हो जायेंगे ।

मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा गारण्टी योजना की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई है :-

मध्य प्रदेश सरकार की शि०गा०यो० (शिक्षा गारण्टी योजना) मध्य प्रदेश

- समुदाय द्वारा स्कूल की मांग किये जाने पर स्कूल स्थापित किया जाता है । सरकार इस बात की गारण्टी देती है कि स्कूल की मांग मिलने के 90 दिन के अन्दर अन्दर स्कूल मुहैय्या करवा दिया जायेगा ।
- 6-11 आयु वर्ग के कम से कम 40 बच्चे (आदिवासी बस्तियों में 25 बच्चे) होने चाहिये और 1 कि. मी. के दायरे के अन्दर कोई स्कूल नहीं होना चाहिये ।

- स्कूल के लिये शिक्षक (गुरू जी) के चयन एवं नियुक्ति की जिम्मेदारी समुदाय की होती है । इसके साथ ही उपयुक्त जगह की पहचान भी समुदाय करता है ।
- एक साल में स्कूल 200-225 दिन चलता है । हर रोज स्कूल 5 घंटे के लिये लगता है ।
- स्कूल में बच्चे 5 वीं कक्षा तक पढ़ेंगे ।
- लगत : 14,800 रू० प्रति वर्ष
    - गुरू जी का मानदेय - 1000 रू० प्रति माह
    - केन्द्र के लिये सामग्री और उपकरण - 850/- रू०
    - बच्चों के लिये सामग्री - 25 रू० प्रति बच्चा
    - गुरू जी का प्रशिक्षण (20 दिन) - 1010 रू०

सभी बच्चों को पाठ्पुस्तकें मुहैय्या करवाने के लिये बजट में प्रावधान है । हर केन्द्र के 40 बच्चों को किताबें मुहैय्या करवाने के लिये 3000 रू० की व्यवस्था की गई है । हर स्कूल को 2000 रू० प्रति वर्ष स्कूल सुधार अनुदान के रूप में, किसी भी तरह की मरम्मत और केन्द्र के लिये अतिरिक्त सामग्री और उपकरणों के लिये दिये जाते हैं ।

छोटी और दूर दराज की बस्तियों को स्कूल की पहुँच के अन्दर लाने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाएं नीचे दी गयी सारणी में दी गई है ।

छोटी और स्कूल रहित बस्तियों में स्कूल - राज्यों का एक ओवर-व्यू

राज्य	आध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
मुद्दे							
योजना/स्कूल का नाम	माबाड़ी	शिक्षा गारण्टी योजना	बस्तीशाला	शिक्षा गारण्टी योजना	राजीव गांधी स्वर्ण जयंती योजना	शिक्षा गारण्टी योजना	शिशु शिक्षा कर्मसूची
वर्तमान दायरा (केन्द्रों की संख्या)	15,000	26,500	अभी शुरू किये जाने हैं	अभी शुरू किये जाने हैं	11,000	2000-2001 में 1636 केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।	3000
केन्द्र खोलने के मानदण्ड	ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी 200 से कम हो और जिनके 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो । कम से कम 20 बच्चे हों । जनज़ाति की उप योजना के मामलों में 6-11 वर्ष की उम्र के 10-20 बच्चे हों ।	ऐसी बस्तियां जहां 6-11 वर्ष की उम्र के कम से कम 40 बच्चे हों और समुदाय स्कूल की मांग करे, साथ ही 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो । जनजाति की बस्तियों में कम से कम 25 बच्चे हों।	क़म से कम 200 लोगों की बस्ती हो और 0.5 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो । जनजाति और पहाड़ी इलाकों में 100 लोगों की आबादी और 1 कि.मी. के दायरे में स्कूल न हो ।	ऐसी बस्तियां जहां कम से कम 40 बच्चे हों, जिनकी उम्र 6-11 वर्ष के बीच हो और समुदाय की तरफ से स्कूल की मांग आये । इसके साथ ही उस बस्ती के 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो । जनजाति बस्तियों में कम से कम 25 बच्चे हों।	200 और उससे ज्यादा की आबादी वाली बस्तियों में 6-11 वर्ष की उम्र के कम से कम 40 बच्चे हों और 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो । जनजाति और रेगिस्तानी इलाकों में 150 की और उससे ज्यादा की आबादी हो, कम से कम 25 बच्चे	ऐसी बस्तियां जिसके 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल मौजूद न हो और जहां 6-11 वर्ष के कम से कम 30 बच्चे मौजूद हो । पहाड़ी इलाकों में कम से कम बच्चों की संख्या 20 हो । स्कूल का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है ।	ऐसी बस्तियां जहां 5-9 वर्ष की आयु वर्ग के कम से कम 20 बच्चे या तो स्कूल में भर्ती ही नहीं हुए हों या फिर उस बस्ती के 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल ही न हो या फिर चल रहे स्कूल का ढांचा उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने में सक्षम न हो ।

					हो और 1 कि.मी. के दायरे में कोई स्कूल न हो ।		
शिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या	20 और जनजाति उप-योजना में 10-20	40 और जनजातियों की बस्तियों में 25	15	40, जनजाति बस्तियों में 25	40 और जनजाति बस्तियों में 25	30 और पहाड़ी इलाकों में 20	20 शिक्षार्थी
किस कक्षा तक	कक्षा I और II	कक्षा I से V	कक्षा I से IV	कक्षा I से III	कक्षा I और V	कक्षा I और II	कक्षा I से IV
साल में स्कूल चलने के कम से कम दिन	10 माह	200 दिन	200 दिन	200 दिन	----	----	200 दिन
शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	कक्षा 7 पास	उच्च माध्यमिक पास	शिक्षा में डिप्लोमा और कक्षा 12 पास	कक्षा 10 पास	कक्षा 12 पास और रेगिस्तानी इलाकों में कक्षा 8 पास	कक्षा 12 पास	राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा पास
शिक्षक का मानदेय	500 रू०	1000 रू०	1000 रू०	1000 रू०	1200 रू०	1000 रू०	1000 रू०
नियुक्त करने वाली एजेन्सी	ग्राम पंचायत	स्कूल प्रबन्धन समिति	ग्राम पंचायत	ग्रामीण शिक्षा समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	स्कूल प्रबन्धन समिति
प्रशिक्षण की अवधि	10 दिन	आरंभिक प्रशिक्षण 20 दिन का और बाद में 14 दिन का	----	आरंभिक प्रशिक्षण 20 दिन का और बाद में 14 दिन का	आरंभिक प्रशिक्षण 30 दिन का	आरंभिक प्रशिक्षण 30 दिन का	पहले चरण में कम से कम 7 दिन
किताबें/सामग्री	मल्टी ग्रेड लर्निंग किट	स्कूल की परिस्थिति के	----	औपचारिक स्कूल की किताबें	----	औपचारिक स्कूल की किताबें	औपचारिक स्कूल की किताबें

		अनुसार स्तरानुसार शिक्षण के लिये बनाई गई किताबें					
अकादमिक मदद	मण्डल संसाधान व्यक्ति	संकुल अकादमिक समन्वयक	स्कूल के अनुश्रवण के लिये विस्तार अधिकारी	संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, BRC, डाइट	----	न्याय पंचायत संसाधान केन्द्र समन्वयक	हर 20 केन्द्रों के लिये एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति
हर केन्द्र की लागत	10,000 रू०	14,860 रू०	13,000 रू०	17,730 रू०	----	16,350 रू०	

सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)

स्कूल से बाहर रह गये बच्चों का बड़ा हिस्सा ऐसी बस्तियों में रहता है जहाँ स्कूल मौजूद है । ये बच्चे या तो स्कूल में आते ही नहीं और अगर आये तो स्कूली शिक्षा पूरी किये बिना स्कूल छोड़ जाते हैं । अगर इन सभी बच्चों को वैकल्पिक स्कूल के जरिये स्कूल में लाया जाये तो हमें शायद अभी चल रहे औपचारिक सरकारी स्कूलों जितने ही वैकल्पिक स्कूलों की जरूरत पड़ेगी । किसी भी बड़े तन्त्र में जड़ हो जाने की प्रवृति होती है और मानकीकरण की प्रक्रिया के दौरान वह सृजन करने की क्षमता और स्कूल से बाहर गये बच्चों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता धीरे-धीरे खो देता है । स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के लिये वैकल्पिक स्कूल को डिजाइन करते समय इस बात की भी संभावना होती है कि उन वैकल्पिक स्कूलों का स्वरूप और गुणवत्ता सरकारी स्कूलों की तुलना में खराब दर्जे की हो और उनमें बच्चों को खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत समकक्ष गुणवत्ता की शिक्षा उन मद्दो में से एक है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता । इसलिये योजना का एक महत्त्वपूर्ण पहलू ऐसी रणनीतियां बनाना है जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सरकारी स्कूल की समकक्ष कक्षा में भर्ती करवाने के लिये तैयार करना है । गैर सरकारी संस्थानों और सरकारी परियोजनाओं में स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के विभिन्न समूहों को स्कूल में लाने के लिये नवाचारी रणनीतियां लागू की गई हैं । इन रणनीतियों को सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) कहा गया है ।

सेतु पाठ्यक्रम क्या है ?

दुर्भाग्यवश सभी प्रेरक अभियानों और नामांकन की मुहिमों के परिणामस्वरूप बहुत सारे बच्चे औपचारिक स्कूलों की पहली कक्षा में भर्ती किये जाते हैं । इन बच्चों की उम्र और क्षमताओं को नजरअंदाज करते हुए इन्हें कक्षा एक में भर्ती कर दिया जाता है । स्कूल में भर्ती के आँकड़ों ने पूरे स्कूल के आधी से ज्यादा बच्चों को इस कक्षा में भर्ती दिखाना शुरू कर दिया है । इस समूह के बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ दिये जाने और स्कूल से बाहर ही रहने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं ।

कन्डेन्स्ड कोर्स के जारिये, थोड़े समय में बच्चों में उनकी उम्र के मुताबिक क्षमताएं विकसित करने में समर्थ और शिक्षार्थियों एवं उनके नियमित स्कूल जाने वाले साथियों के बीच की खाई को पाटने में मदद करने वाली कोशिशों को यहाँ सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल वापसी की रणनीतियाँ कहा गया है । सेतू पाठ्यक्रमों या ट्रॉजिशनल कक्षाओं की रणनीतियाँ, स्कूल से बाहर रह गये बच्चों को औपचारिक स्कूलों से जोड़ने और उन्हें स्कूल के मॉडल के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनायी गयी है । यह रणनीति शिक्षार्थियों को थोड़े समय में उनकी उम्र के मुताबिक क्षमताएं हासिल करने के काबिल बनाती है । जिसमें बच्चों को अपनी गति से सीखने की आजादी होती है । सेतु पाठ्यक्रम बच्चों को औपचारिक स्कूल व्यवस्था की मांगों का सामना करने के लिये भी तैयार करते हैं । इन पाठ्यक्रमों में काम लिया जाने वाला शिक्षाक्रम (curriculum) सघन (condensed) होता है । शिक्षार्थी, औपचारिक स्कूलों में पढ़ रहे अपने साथियों के समकक्ष क्षमताएं हासिल करते हैं और उनके साथ उपयुक्त कक्षा में दाखिला ले लेते हैं ।

सेतु पाठ्यक्रम आवासीय और गैर-आवासीय, दोनों ही तरह के हो सकते हैं । ये बच्चों के आयु-वर्ग के आधार पर अलग-अलग समयावधि के हो सकते है । आमतौर पर ये पाठ्यक्रम स्थानीय औपचारिक विद्यालय

के साथ समन्वयन करके चलाये जाते हैं, जिसका प्रधानाध्यापक इन बच्चों को उनकी क्षमता के मुताबिक कक्षा में भर्ती करने के लिये जिम्मेदार होता है ।

वैसे ज्यादातर मामलों में सेतु पाठ्यक्रम का स्वरूप आरंभिक कक्षाओं जैसा होता है । लेकिन कभी-कभी वे उन बच्चों के लिये, जो हाल ही में भर्ती हुए हों और खासतौर से वे बच्चे जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, मददगार केन्द्रों की भूमिका निभाते हैं । ऐसे मामलों में जहां केन्द्र मददगार व्यवस्था के बतौर काम करते हैं, वे बहुत थोड़ी समयावधि के लिये होते हैं और एक बार बच्चों के स्कूल में भर्ती हो जाने पर बन्द हो जाते हैं ।

उपचारी शिक्षण

सेतु पाठ्यक्रम पूरा करके औपचारिक स्कूलों में भर्ती होते वाले बच्चे बहुधा स्कूल के माहौल के साथ तालमेल बिठा पाने में मुश्किल महसूस करते हैं । कई बार समुदाय आधारित स्वयंसेवकों के जरिये इन बच्चों की मदद करने की जरूरत पड़ती है । यह योजना ऐसी गतिविधियों को मदद करेगी जैसे घर पर मिलने जाना, अभिभावकों और बच्चों के साथ साप्ताहिक बैठक, औपचारिक स्कूल में दाखिले के बाद बच्चों के लिये ज्यादा से ज्यादा चार माह तक उपचारी शिक्षण करना इत्यादि ।

औपचारिक स्कूलों में भर्ती किये गये बच्चे कई बार अनियमित हाजिरी और स्कूल व घर पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने पर अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते । ऐसे बच्चों के लिये स्कूली घंटों से पहले या बाद में केन्द्र चलाये जाने की जरूरत होगी अत: इनकी समयावधि भी 4 घंटे से कम होगी । शिक्षा स्वयंसेवक को दिया जाने वाला मानदेय, उसके द्वारा केन्द्र पर किये गये शिक्षण के घंटों के अनुपात में दिया जायेगा ।

सेतु पाठ्यक्रमों के अलग-अलग मॉडल

आयु-वर्ग	मॉडल
5-8 वर्ष	इस आयु-वर्ग के बच्चों के लिये आरंभिक तैयारी की कक्षाएं लगायी जाती है । समुदाय से एक शिक्षा स्वयंसेवक नियुक्त किया जाता है । इस पाठ्यक्रम की समयावधि 60 दिन की होती है और यह गैर-आवासीय होता है ।
7-9 वर्ष स्कूल में भर्ती न हुये और स्कूल छोड़ गये बच्चे	2 से 4 माह की छोटी समयावधि के सेतु पाठ्यक्रम, ज्यादातर गैर आवासीय जिनमें बच्चों को औपचारिक स्कूल की उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने के लिये तैयार किया जाता है । औपचारिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पर्यवेक्षण में, शिक्षा स्वयंसेवक बच्चों को पढ़ाता है ।
9-11 वर्ष की उम्र के काम काजी बच्चे	आवासीय शिविरों में सेतु पाठ्यक्रम, 4-6 माह की समयावधि के लिये औपचारिक स्कूलों से बाहर चलाये जाते हैं । बच्चे और शिक्षक पूरे शिविर के दौरान वहीं रहते हैं । बच्चे शिविर के अन्त में V वीं की परीक्षा में बैठते हैं और स्कूल की कक्षा VI में दाखिला ले लेते हैं । कभी-कभी बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिये शिविर के अन्त में छात्रवासों में भर्ती करवा दिया जाता है ।
12-14 वर्ष की उम्र के कामकाजी बच्चे	लम्बी समयावधि के आवासीय शिविर (12-18 माह) जिसमें बच्चों को कक्षा VIII तक पढ़ाया जाता हैं, जहाँ सामान्य परीक्षा ली जाती है । परीक्षा दे चुकने के बाद बच्चे या तो छात्रवास में चले जाते हैं व्यावसायिक कौशलों को सीखने के लिये किसी तकनीकी संस्थान में दाखिला ले लेते हैं ।
9-14 वर्ष की लड़कियाँ	ऐसी किशोरियों को जो या तो कभी भी स्कूल नहीं गयी हैं या फिर स्कूल छोड़ चुकी है, स्कूल में वापिस लाना बहुधा मुश्किल होता है । इन लड़कियों को प्रेरक केन्द्रों में लाकर शुरूआत की जाती है । इन केन्द्रों में शिक्षार्थियों में अपनी स्कूली शिक्षा पूरे करने में रूचि जाग्रत करने के लिये कई तरह की गतिविधियाँ की जाती है । इन प्रेरक केन्द्रों से बच्चों को आवासीय शिविरों में भेजा जाता है । कभी-कभी लड़कियाँ प्रेरक केन्द्र में जाने के बजाय सीधे ही आवासीय शिविरों में चली जाती है । आवासीय शिविरों में उन्हें V या VIII की सामान्य परीक्षा के लिये तैयार करने के साथ-साथ लड़कियों के सशक्तिकरण के मुद्दों पर भी काम किया जाता है । किशोरावस्था में विकास के पड़ावों, प्रजनन करने के मुद्दों पर भी काम किया जाता है ।

अप्रवासी परिवारों के बच्चे

खेती के मौसम में, जब मजदूरों की ज्यादा जरूरत होती है तब पिछड़े इलाकों से भूमिहीन परिवार काम की तलाश में गाँव छोड़ जाते हैं । कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं या घुमक्कड़ होते हैं । तीसरा प्रकार उन लोगों का है जो मौसम में बहुत बदलाव होने के कारण ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां जीने की परिस्थितियां बेहतर होती हैं और मौसम बदलते ही अपने गाँव लौट आते हैं । ज्यादातर मामलों में यह मौसमी गतिविधि होती है और अप्रवास की समयावधि का भी अनुमान लगाया जा सकता है । कुछ मामलों में परिवार किसी खास जगह (साइट) पर चले जाते हैं और काम खत्म होने तक वहीं रहते हैं जबकि कई बार परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं । ऐसे परिवारों के बच्चे या तो स्कूल में कभी भर्ती नहीं होते क्योंकि वे नहीं जानते कि किसी खास जगह पर वे कब तक रहेंगे या घुमक्कड़ जीवन जीने लगेंगे अपने अभिभावकों के साथ जाने के लिये सत्र के बीच में स्कूल छोड़ देंगे ।

अप्रवास के स्वरूप में इतनी विविधता के चलते, स्कूल से बाहर रह गये ऐसे बच्चों के समूहों के लिये रणनीतियाँ बनाई गई हैं, जो कि अलग-अलग जगहों पर लागू की गई हैं । इन अलग अलग तरह की रणनीतियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

- लोक जुम्बिश और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश जैसी परियोजनाओं ने अभिभावकों के अप्रवास के समय बच्चों के लिये उनकी अपनी बस्ती में छात्रावास बनाये हैं । बच्चे या तो अप्रवास कर गये परिवारों के घरों में ही रहते हैं या फिर एक स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवक उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है । कभी-कभी अभिभावक बच्चों के लिये धन या अनाज देकर मदद करते हैं । छात्रवास की सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ही ना छूट जाये क्योंकि नहीं तो उन्हें अपने अप्रवासी अभिभावकों के साथ जाना पड़ता और दूसरा उन बच्चों की रहने और खाने की व्यवस्था भी हो जाये । सामुदायिक स्वयंसेवक स्कूली समय के बाद भी बच्चों की कोचिंग भी करता है।
- ऐसी हालत में जहां पर परिवारों की निश्चित संख्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, वहां भी एक शिक्षक उपलब्ध करवाया जाता है । शिक्षक भी उन परिवारों के साथ-साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है । ये स्कूल घुमंतू समुदायों के मामलों में संभव है ।
- जब परिवार किसी खास जगह (साइट) पर चले जाते हैं और काम खत्म होने पर वहीं रहते हैं, ऐसी काम की जगहों पर भी स्कूल लगाना संभव है ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में ही न छूट जाये । ऐसी जगहों जैसे ईटों के भट्टों, मकान बनाने की साइटों, गन्ने और कपास के इलाकों, शुगर फार्म इत्यादि में स्कूल खोले जा सकते हैं, समुदाय से एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जिसे परिवारों के साथ जोड़ा जा सके या अप्रवास करने वालों में से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ़ा जा सकता है जो बच्चों को पढ़ा सके । बच्चों को गांव लौटने पर उन्हें औपचारिक स्कूल में भर्ती करवा दिया जाना चाहिये ।
- जब एक गांव से परिवार अलग-अलग इलाकों में चले जाते हैं तो उन्हें घुमंतू शिक्षक मुहैय्या करवाना या उनके काम की जगह पर स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है । ऐसी हालत में बच्चों के गांव लौटने पर उनके लिये एक कन्डेन्स्ड कोर्स बनाया और चलाया जा सकता है । कन्डेन्स्ड कोर्स में उस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है जो अप्रवास के दौरान बच्चों से छूट गया होता है ।

शहरी वंचित बच्चे

- स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के इस समूह में झोंपड़-पट्टियों (कानूनी और गैर-कानूनी) में रहने वाले, गलियों में रहने वाले, रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वाले, रेलवे लाइन के साथ रहने वाले, मकान बनाने की साइट पर रहने वाले, घरेलू मजदूर के रूप में काम करने वाले, घरेलू कामों और भाई बहनों की देखभाल में लगे, बच्चे शामिल हैं । इसमें ढाबों, मेकैनिक की दुकानों पर मजदूरी करने वाले, कचरा बीनने वाले, जूता पालिश करने वाले, वेश्यावृति करने वालों के बच्चे और वेश्यावृति के धंधे से जुड़े बच्चे भी शामिल हैं । यह सूची पूरी नहीं है, शहरी इलाकों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के और कई तरह के समूह हो सकते हैं जो समाज के सबसे पिछड़े और वंचित तबके से ताल्लुक रखते हैं ।
- इन बच्चों के लिये बनाई गई रणनीतियों में बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ-साथ कभी-कभी समुदाय के स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति का भरोसा हासिल करने की गतिविधियां भी शामिल होती हैं । बच्चों से सीधे स्कूल में आने की उम्मीद करने के बजाय पहले उनके काम की जगह पर मिला जाता है, उनके लिये गतिविधियाँ की जाती हैं ।
- **आवासीय शिविर :** बहुत सारे मामलों में बच्चे अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिये मजदूरी में लगे होते हैं । अत: उन्हें काम की जगह से हटाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है ताकि जब उन्हें पढ़ने का मौका मिले तब उन पर काम पर लौट जाने का दबाव न हो ।
- **सेतु पाठ्यक्रम :** झोंपड़-पट्टियों में रहने वाले बच्चे जिनके परिवार हमेशा के लिये गाँव छोड़ कर शहर आ गये हैं और उनमें से ज्यादातर बच्चे अपने परिवार में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं । इन बच्चों को सेतु पाठ्यक्रमों से जुड़ना पड़ेगा जो कि आरंभिक तैयारी केन्द्र हैं और बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने में मदद करते हैं । शुरू में की गई मदद उस समय तक भी जारी रहती है जब बच्चे औपचारिक स्कूल में भर्ती होकर उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं ।
- **थोड़े समय के लिये स्टे होम/हॉफ वे होम**

  खासतौर से बड़े शहरों में बहुत सारे बच्चे अपने बूते पर और बिना मां-बाप के, गलियों में रहते एवं जीते हैं । ये बच्चे या तो घर से भागे हुए होते हैं या इनके मां-बाप, दोनों में से एक अथवा दोनों ही नहीं होते हैं । उनके सर पर कोई छत नहीं होती, ये गलियों में, रेलवे प्लेटफार्म पर, पार्कों में, सार्वजनिक जगहों पर रहते हैं । थोड़े समय के लिये स्टे होम इन बच्चों को छत मुहैय्या करवाते है, खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और उन्हें परामर्शी सेवाएं भी मुहैय्या करवाते हैं, इन जगहों पर देखभाल करने वाले व्यक्ति बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिये आवासीय शिविर में जाने के लिये भी प्रेरित करते हैं ।

- **कान्टेक्ट सेन्टर**

  काम की जगहों पर या उसके आस-पास मौजूद बच्चों जैसे रेलवे स्टेशनों, पार्कों में, गलियों के नुक्कड़ों पर, फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों के लिये ये कान्टेक्ट सेन्टर प्रेरक केन्द्र की तरह होते हैं । यहां से बच्चों को आवासीय शिविरों या सेतु पाठ्यक्रमों में भेजा जा सकता है ।
- **ड्राप-इन सेन्टर/हॉफ वे होम/थोड़े समय के लिये स्टे होम**

  शहरी वंचित बच्चों में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जो घर से भाग कर गलियों में रह रहे हैं । ऐसे बच्चों को छत मुहैय्या करवाने के साथ-साथ उनकी देखभाल और शिक्षा की सुनिश्चिता भी जरूरी

होती है । इन ड्राप-इन सेन्टर/हॉफ वे होम के लिये जरूरी हो जाता है कि वे बच्चों की शारीरिक देखभाल और भावात्मक जरूरतों के साथ-साथ बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करें । चूंकि बच्चे शारीरिक, यौनिक या भावात्मक दुर्व्यवहार भुगत चुके हो सकते हैं अत: उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिये डॉक्टर और भावात्मक मदद के लिये मनौवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत पड़ सकती है ।

- उन बच्चों के लिये उपचारी शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जो सेतु पाठ्यक्रम या औपचारिक स्कूलों में वापसी के शिविरों में हिस्सा ले चुके हों । औपचारिक स्कूलों के माहौल के साथ तालमेल बिठाने में और स्कूल के अकादमिक मानदण्डों का सामना करने में उपचारी शिक्षण केन्द्र मदद कर सकते हैं । स्कूल में अनियमित आने वाले बच्चों के लिये भी उपचारी शिक्षण किया जा सकता है ।
- बड़ी उम्र की लड़कियों को औपचारिक स्कूलों से जुड़ने के लिये या सेतु पाठ्यक्रम या लम्बी समयावधि के आवासीय शिविरों के जरिये उन्हें प्रेरित करने के लिये कान्टेक्ट प्रोग्राम आयोजित किये जा सकते हैं ।

मखतब या मदरसों में जाने वाले बच्चों की शिक्षा

मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में बच्चों को मखतब और मदरसों में भेजने की परम्परा है जहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और मुख्यधारा के शिक्षाक्रम पर वहां काम नहीं किया जाता । इन बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नीचे लिखे तरीके से की जा सकती है ।

- औपचारिक स्कूलों के साथ संबंधों को बेहतर करना: सेतु पाठ्यक्रम के जरिये बच्चों में उनकी उम्र के मुताबिक क्षमताएं हासिल कर लेने के बाद संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू माध्यम वाले सरकारी स्कूलों के जरिये औपचारिक शिक्षा मुहैय्या करवाई जा सकती हैं ।
- मखतब और मदरसों का सशक्तीकरण: संस्थान की प्रबन्धकीय समिति की सहमति से, उसी समुदाय से एक अतिरिक्त शिक्षक बच्चों को मुख्य धारा का शिक्षाक्रम पढ़ाने के लिये मखतब/मदरसे में नियुक्त किया जा सकता हैं । मानदेय, सीखने-सिखाने की सामग्री और शिक्षक उपलब्ध करवाये जा सकते हैं । ऐसे मामलों में जहां मखतब/मदरसे के शिक्षक में जरूरी योग्यताएं हो, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है और स्कूल के बढ़ाये गये समय में औपचारिक शिक्षाक्रम पढ़ाने के लिये अतिरिक्त मानदेय दिया जा सकता है ।
- औपचारिक स्कूलों में पढ़ाने का माध्यम बदलना: जहां पर भी समुदाय की मांग हो और जरूरी हो वहां पर स्कूल में पढ़ाने का माध्यम बदल कर उर्दू किया जा सकता है ।
- समुदाय की स्कूल छोड़ गयी या स्कूल में भर्ती न हुई लड़कियों के लिये सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र बनाना: समुदाय के अन्दर या मोहल्लों में लड़कियों के लिये अलग केन्द्र खोले जा सकते हैं जहां या तो कन्डेन्स्ड कोर्स पढ़ाया जाये जिसके बाद बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती किया जा सके या फिर जिनमें बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक पढ़ते रहें ।

किशोरियाँ

10-14 वर्ष के आयु-वर्ग की लड़कियों के समूहों को, जिन्होंने या तो कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा या फिर जिन्होंने शुरूआती सालों में स्कूल को छोड़ दिया, आरंभिक तैयारी केन्द्रों के जरिये औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाना मुश्किल होता है । बड़ी उम्र की लड़कियों के लिये आवासीय शिविरों को रणनीति के रूप में लेना पड़ सकता हैं । इन शिविरों में लड़कियाँ न सिर्फ औपचारिक स्कूलों के समकक्ष क्षमताएं हासिल करती

है बल्कि वे जीवन कौशल जैसे प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों के प्रति सजगता इत्यादि भी सीखती है । ये शिविर केवल लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ही हासिल नहीं करते बल्कि ये अपने आप में युवा लड़कियों के लिये सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया भी होते हैं । लोक जुम्बिश-राजस्थान, एम० वी० फाउन्डेशन-हैदराबाद, महिला समाख्या परियोजना, सर्वोदय आश्रम और केयर उत्तर प्रदेश-हरदोई-उत्तर प्रदेश इत्यादि ऐसे ही कुछ कार्यक्रम हैं जिन्होंने इस रणनीति को सफलता पूर्वक लागू किया है और सन्तोषजनक नतीजे हासिल किये हैं । इन शिविरों की समयावधि 6 से लेकर 18 माह तक रही है ।

ऐसी लड़कियां जो कभी भी स्कूल नहीं गई उन्हें शिविर से जोड़ने के लिये थोड़े समय (2 माह) के प्रेरक केन्द्रों को आयोजित करता है ।

बहुत सारी लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों को सँभालने की जिम्मेदारी होने के कारण स्कूल नहीं जा पाती । इस तरह के समूह के लिये योजनागत रणनीतियाँ बनाते समय अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वयन करना भी महत्त्वपूर्ण होता है जिससे 6 साल से छोटे बच्चों के लिये शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा केन्द्र खोले जा सकें ताकि बड़ी उम्र की लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर सकें ।

सुधरे स्कूल की अवधारणा

शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा योजना के अन्तर्गत शुरू किए जा रहे स्कूलों में मुख्यत: एकल शिक्षक स्कूल चलाए जाएंगे। इन स्कूलों में 25 से 30 बच्चे होंगे। इन स्कूलों की अन्य विशेषताएं होंगी जो इन्हें औपचारिक स्कूलों से अलग बनाएंगी। ये स्कूल निम्नानुसार होंगे :-

- वर्ष 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे साथ एक कक्षा में होगें।
- स्कूल का शिक्षक उसी गॉव या उसी पंचायत से होगा।
- सुमदाय स्कूल के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- अधिकांशत: मामलों में यह स्कूल आबादी या आबादी के पास के स्थान पर स्थित होगा।
- स्कूल के समय का शिक्षु की सुविधानुसार समुदाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

कोटिपरक शिक्षा और इसे स्कूलों में बनाए रखने, जैसाकि इस योजना में विचार किया गया है, को सुनिश्चित करना एक चुनौती है जिसका पता लगाने की आवश्यकता है। कोटिपरक शिक्षा से क्या समझते हैं इसे बताया जाना और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

जब हम स्कूल की गुणवत्ता की चर्चा करना चाहते हैं तब हमें स्कूल के शिक्षुओं, शिक्षक स्कूल के स्थान, स्कूल वातावरण, स्कूल की सामग्री और उपस्कर तथा पठन-पाठन सामग्री के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता होगी।

- जब हम शिक्षुओं की दृष्टि से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब यह स्थान ऐसा होना चाहिए :
- जहॉ बच्चे खोज करने और प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहॉ बच्चों को स्वयं कार्य करने और सीखने, खेलने, अपनी उम्र और अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ कार्य करने और बात करने के अवसर होते हैं।
- बच्चों के लिए सीखने की स्थितियों में विविधता होती है।
- वहां एक प्रौढ़ होता है जो सभी बच्चों की शारीरिक, ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास आवश्यकताओं के संबंध में विचार करता है।
- यह प्रौढ़ में रूचि लेता है और बच्चों को जब भी आवश्यकता होती है, वे उनके लिए उपलब्ध होते हैं।

यदि स्कूल बच्चों और ऐसा वातावरण प्रदान करने में सक्षम होता है जो कि सुकर है और उन्हें स्वायत्त रूप से विकास करने और अध्ययन करने की स्वीकृति देता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित न हों।

शिक्षक स्कूल में कोटिपरकता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तम्भ है। शिक्षक का चयन करते समय ऐसे व्यक्ति को शिक्षक चुना जाए जो :

- ☞ बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सुग्राही हो।
- ☞ बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना कार्यकलापों में सक्षम हो।
- ☞ विभिन्न विषयों के अध्ययन क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट समझ हो।
- ☞ ऐसी योजनाओं को तैयार करने में सक्षम हो जिसमें प्रत्येक बच्चा स्वायत्त रूप से और सामूहिक रूप से कार्य कर सके।
- ☞ बच्चों को इस रूप में विकसित करने में सक्षम हो ताकि वे स्वत: अध्ययन के लिए प्रेरित हो।
- ☞ बच्चों से कार्य करवाने की अपेक्षा बच्चों के साथ कार्य करें।

बच्चों के लिए स्कूल में इतना स्थान होना चाहिए जिसमें वह एक वृहद समूह या छोटे समूहों में और वैयक्तिक रूप में से किसी भी रूप में कार्य कर सके। वहां अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों को भी स्थान देना चाहिए। स्कूल की सामग्री और उपस्कर तथा पठन पाठन सामग्री उपर्युक्त रूप से आयोजित और उपयुक्त रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। कमरे में उपयुक्त रूप से प्राकृतिक रोशनी और हवा होनी चाहिए। स्कूल में पीने के पानी और शौचालयों की बुनियादी जरूरतें होनी चाहिये।

बच्चों को स्कूल में उपलब्ध अधिकांश सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। बच्चों की निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों और सीखने की अन्य सामग्री का प्रयोग करने तक पहुंच होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के प्रयोग के लिए उपलब्ध खेलने की सामग्री और उपस्कर की उपयुक्त मात्रा होती है। शिक्षुओं के लिए उपलब्ध सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे बच्चे शिक्षक की कम से कम मदद के स्वायत्त रूप से प्रयोग कर सकें।

समुदाय की स्कूल के प्रति अपनेपन की भावना होनी चाहिए। समुदाय सदस्यों को स्कूल के कार्यकलापों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक होना चाहिए। समुदाय के सदस्य यह सुनिश्चित करने में सम्मिलित होने चाहिए कि शिक्षक स्कूल में नियमित हो और शिक्षु भी नियमित रूप से स्कूल में भाग लें।

उन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया गया है जो स्कूल की गुणवत्ता और इसके व्यवहार में प्रभाव डालते हैं। यह सम्पूर्ण सूची नहीं है और इसलिए इसे आगे विस्तृत किया जा सकता है। चुनौती केवल अच्छे कोटिपरक स्कूल को विकसित करने की ही नहीं है बल्कि उसके रख-रखाव की भी है। कुछ विषय जिस पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा, वे निम्नलिखित हैं :-

- ☞ स्कूल के लिए उपयुक्त स्थान।
- ☞ सृजनात्मक, सुग्राही और योग्यता प्राप्त शिक्षक।
- ☞ शिक्षक के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण और नियमित शैक्षिक सहयोग।
- ☞ केन्द्र को खोलने से पहले पर्याप्त और उपयुक्त पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए और एक पद्धति बनाई जाए जिसके द्वारा इसकी नियमित रूप से पुन: पूर्ति की जाए।
- ☞ शिक्षुओं और शिक्षक दोनों के लिए विविध पाठन सामग्री और संसाधन सामग्री।
- ☞ सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त रूप से प्रयोग।
- ☞ सक्षम और कुशल पद्धति जो कि बच्चों और समाज के लिए सुग्राही हो।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

उस तरह से स्कूल, जिन पर पिछली टिप्पणी में चर्चा की गई थी, उसमें आदर्श स्कूल और शिक्षकों की गुणवत्ता निर्धारित की गई थी। यह सम्भव नहीं है कि कक्षा 8 या कक्षा 10 तक अध्ययन किया कोई व्यक्ति स्कूल जाए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे और उनके साथ काम करें। शिक्षक को कुछ तैयारी करनी होगी।

बच्चों के साथ कार्य शुरू करने से पहले किसी भी व्यक्ति को नई चीजें सीखने, नए विचार एक नया विषय विन्यास सीखने की जरूरत है। व्यक्ति को उस स्कूल के स्वरूप के बारे में भी बताना चाहिए जिस स्कूल में उसने भाग लिया था। यह आशा की जाती है कि व्यक्ति बच्चों विशेषकर सुविधाविहीन समुदाय के बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं। आत्म मनन और विश्लेषण महत्वपूर्ण है ताकि यह व्यक्ति अनजाने में स्कूल में वे चीजें ले आए जिन्हें वह स्कूल में पसन्द नहीं करता था।

इस शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में अद्यतन अनुसंधान और विकासों के आधार पर मूल्यांकित करने की आवश्यकता होगी। स्कूल और समाज के बीच के संबधों में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, बच्चों के अधिकारों के मुद्दे, बाल श्रम इत्यादि के मुद्दे से संबंधित मुद्दे हैं। केवल गहन और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (जो कि स्कूल/केन्द्र/कैम्प शुरू होने से पहले आयोजित किया जाता है) स्कूल के लिए शिक्षक को तैयार करने हेतु इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तभी सम्भव है जबकि यह एक आवासीय कार्यक्रम होगा।

शिक्षकों के लिए लम्बी अवधि के आवासीय प्रशिक्षण को आयोजित करने वाली संसाधन एजेर्नसियों की सूची अगले पृष्ठ पर उपलब्ध है।

शिक्षकों के लिए लम्बी अवधि के आवासीय प्रशिक्षण को आयोजित करने वाली संसाधन एजेन्सियों की सूची

क्र.सं.		अवधि	विषय	पद्धति
1.	**शिक्षा घर/प्रहर पाठशाला शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल (नालन्दा, लखनऊ)** **विशेषताएँ** ● दोनों चरणों के लिए संक्षिप्त योजना और प्रत्येक दिन के लिए विस्तृत योजना ● प्रथम चरण के दौरान सत्र का बल शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श पर दिया गया है। सहभागी कार्यकलापों और पठन-पाठन सामग्री का विकास करने में मदद करते हैं। ● आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के दो चरण	प्रबोधन, डीपीईपी से परिचय, सामाजिक ढाँचे और उनके आपस में सबंध, शिक्षा के उद्देश्य, वैकल्पिक स्कूल क्यों? वैकल्पिक स्कूल क्या हैं? वैकल्पिक स्कूल में शिक्षक की भूमिका, बच्चे कैसे सीखते और समझते हैं? शिक्षण कक्ष में आयोजन-भय, सजा, शिक्षणकक्ष में प्रतियोगिता आदि, प्राथमिक स्कूल के लिए पाठ्यक्रम का विषय, शिक्षण पद्धति और पठन-पाठन सामग्री तथा इसके प्रयोग का विकास विषय-शिक्षा क्यों, उद्देश्य, ज्ञान के क्षेत्रों की प्रकृति (भाषा गणित और ई.वी.एस.)	बड़े और छोटे ग्रुपों में विचार-विमर्श, खेल-कूद और कार्यकलाप, भूमिका, ग्रुप कार्य, कार्यकलापों और टीएलएम के विकास पर व्यावहारिक सत्र
2.	शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल (राजीव गाँधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल) विशेषताएँ : ● प्रशिक्षण कार्यक्रम वैचारिक मुद्दों और दैनिक परिस्थितियों से निपटने के लिए शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करता है। ● स्कूल से संबंधित शैक्षिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है।	21 दिन	प्रशिक्षण-क्यों, शिक्षक की भूमिका, प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपेक्षाएँ। शिक्षा-क्यों, उद्देश्य, धारणा, कौशलों समझने की प्रक्रिया, शिक्षण के क्षेत्र। शिक्षण प्रक्रिया-स्कूल, शिक्षण कक्ष आयोजन की तैयारी, अपनी क्षमताओं पर आधारित प्रशिक्षुओं पर आधारित प्रशिक्षुओं का ग्रुप बनाना, आयोजन, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन	छोटे और बड़े ग्रुपों में विचार-विमर्श, खेल-कूद, भूमिका, शिक्षणकक्ष आयोजन, कार्यकलापों की आयोजना और पठन-पाठन सामग्री का विकास

			विषय-भाषा, गणित, ईवीएस, कला और शिल्प, कार्यकलापों को सीखने की आवश्यकता। मूल्यांकन : अवधारणा, निरंतर मूल्यांकन, बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन, प्रशिक्षु मूल्यांकन, दर्शन और मूल्य, समानता, सामाजिक संगठन, धर्म, लिंग, उपर्युक्त संदर्भ, धर्म, लिंग, उपर्युक्त संदर्भ में शिक्षक-छात्र संबंध, अनुशासन, भय, सजा, सहपाठी और प्रतियोगिता समीक्षा-शैक्षिक और प्रशासनिक मुद्दे, सामुदायिक सहायता, विभिन्न पद्धतियों की समीक्षा, लिंग, सामुदायिक सहभागिता।	
3.	शिक्षक प्रशिक्षण (दिगान्तर, जयपुर) विशेषताएं : ● शिक्षा अधिगम के क्षेत्र, अधिगम क्षेत्रें के सिद्धांतों पर बल ● शिक्षुओं का ग्रुप बनाना, शिक्षण कक्ष का आयोजन और बहुत-स्तरीय स्थिति ● यह समझ विकसित करना कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अपनी व्यक्तिगत योजना विकसित करने के लिए प्रशिक्षकों को सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हैं।	21 दिन 1/40 दिन 1/4 महीना	प्रशिक्षण क्या, क्यों, कैसे, पद्धति और कार्यकलाप, प्रशिक्षक की भूमिका सहभागियों ओर कार्यकलापों का परिचय ताकि सामूहिक उत्साह बढ़े। वैकल्पिक स्कूल की अवधारणा, शिक्षा क्यों की समझ, शिक्षा की भूमिका, उद्देश्य, संवेदनशीलता, कौशल, बच्चों में अधिगम प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण को सीखने की बच्चों में समझ को विकसित करने के लिए कार्यकलाप विषय : भाषा, गणित, ईवीएस और	शिक्षा, शिक्षणकक्षों की टिप्पणियों, खेल-कूद, गानों, कहानी सुनाने के सत्रों, रचनात्मक कार्यकलापों, विज्ञान प्रयोगों, जानकारी के लिए दौरों, पुस्तक समीक्षा और विश्लेषण फिल्म और अन्य श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा डायरी लेखन पर अपनी कल्पनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए छोटे और बड़े ग्रुपों में सहभागियों के साथ विचार-विमर्श

	• वैकल्पिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पैकेज तैयार करना		कला तथा शिल्प, उद्देश्य, प्रपत्र कार्यकलाप, पठन-पाठन सामग्री के उपयोग, दर्शन और मूल्य अन्तर वैयक्तिक संबंध, स्कूली वातावरण-ग्रूप/शिक्षणकक्ष का आयोजन, अनुशासन, प्रतियोगिता, तुलना, भय, सजा, आयोजन-शिक्षणकक्ष समय-सारणी, पेयजल और बिजली पेयजल और बिजली की बुनियादी सुविधाएँ।	
4.	शिक्षा कर्मी शिक्षक प्रशिक्षण (सन्धान, जयपुर) विशेषताएं : • प्रत्येक विषय क्षेत्र (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम है • विभिन्न विषयों में प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के लिए विस्तृत योजना है। • आवासीय प्रशिक्षण	37 दिन	राज्य औपचारिक स्कूल पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल पाठ्यक्रम कार्यकलापों के आदान-प्रदान, विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हुए टीएलएम के उपयोग, खेल-कूद के उपयोग कहानी सुनाने के सत्रों, कला और शिल्प पर है। शिक्षकों को बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनका ग्रुप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	विभिन्न कार्यकलापों का उपयोग करते हुए शिक्षणकक्ष में पाठ्यक्रम विषय के आदान-प्रदान की प्रदर्शनी। कार्यकलापों की आयोजना करने और उनका आयोजन करने के लिए प्रशिक्षुओं को अवसर दिए जाते हैं।

पठन पाठन सामग्री

जिस स्कूल में विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न क्षमताओं के बच्चे हैं, वहाँ एक शिक्षक है, बच्चों को स्कूलों में अपनी गति से सीखने की अनुमति है, इस बात की पूरी सम्भावना है कि स्कूल में प्रशिक्षुओं के 3-4 ग्रुप हों। ये ग्रुप शिक्षुओं की विभिन्न क्षमताओं के आधार पर होंगे। ऐसी स्थितियों में यदि शिक्षुओं को शिक्षक द्वारा निर्देशित सामग्री प्रदान की जाती है तो अपर्याप्त और अनुपयुक्त होती है। ऐसी सामग्रियों में बच्चों के विभिन्न स्तरों की अपेक्षा की जाती है और उन सभी को एक कार्यकलाप में शामिल कर लिया जाता हैं। उनके लिए खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो अवध ारणा विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाए, कार्यकलाप को दुहराने की व्यवस्था नहीं है।

ऐसे शिक्षण कक्षों में बच्चों के लिए प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक द्वारा बच्चों को कार्यकलाप स्पष्ट कर दिए जाने के बाद, बच्चे स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। शिक्षक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यकलाप केवल यांत्रिक कार्य नहीं है और न ही वर्गों या संख्या को लिखने के कार्य की पुनरावृत्ति ही है। कार्यकलाप शिक्षु की क्षमताओं के आधार पर रूचिकर होना चाहिए। इसमें बच्चे को नए ज्ञान प्राप्त करने और कौशलों को विकसित करने में अपनी समझ का उपयोग करने दिया जाना चाहिए।

शिक्षक को यह सुनिचित करना चाहिए कि छोटे ग्रुप में कार्य करते समय बच्चे सामग्री का आदान प्रदान करें और अधिगम प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करें। ऐसी पठन पाठन सामग्री विशेष तौर पर ऐसे स्कूल को आयोजित करने में लाभप्रद होगी जहाँ एक शिक्षक है और सभी बच्चों के दक्षता स्तर भिन्न-भिन्न हैं और वे विभिन्न आयु वर्ग के हैं। यह शिक्षक पर निर्भर है कि वह पठन पाठन सामग्री का सुनियोजित तरीके से और रचनात्मक तरीके से उपयोग करे।

नीचे उन संगठनों की सूची दी गई है जिन्होंने विभिन्न पठन पाठन सामग्री को तैयार किया है।

विभिन्न संगठनों के पास उपलब्ध सामग्री

संगठन का नाम	संपर्क सूत्र	पता तथा फोन नं.	सामग्री का स्वरूप	सामग्री की कीमत
अध्ययन संसाधन केन्द्र (सी एल आर)	डा. जाकिया कुरियन	निदेशक, अध्ययन संसाधन केन्द्र 8, दक्षिण कॉलेज रोड, पूणे-411006. दूरभाष-661123 (का.) 627221 (आ.) 661899 (फैक्स)	हिंदी और अंग्रेजी में कक्षा 1+2 के लिए शिक्षक गाइड सहित गणित की किट। इस किट में डोमिनो, फलैशबोर्ड, नबंर लाइन, एबकस, बटन, डाइस आदि शामिल हैं। इस किट में क्रियाकलाप पत्रक तथा पुस्तिकाएं भी हैं।	500/-रु. (लगभग)
बोध	श्री योगेंद्र	समन्वयक, बोध शिक्षा समिति, ए०ए-1, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर दूरभाष : 0141-518460, मोबाइल : 9828013518	कक्षा 1 से 3 में भाषा और गणित के विभिन्न क्षेत्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है; बोर्ड गेम्स, डोमिनों, डाइस, फलैशकार्ड, प्लेईग कार्ड स्टिक, स्क्रैबल आदि।	मूल्य रहित
दिगांतर	रोहित धनकड़	सचिव दिगांतर शिक्षा एवं खेल-कूद समिति, ग्राम टोडी रमजानीपुरा, डाकघर-जगतपुरा, जयपुर-302017 दूरभाष : 0141-75023, 750310 फैक्स : 524601	विभिन्न स्तरों के बच्चें के लिए छोटी पुस्तिकाओं के सेटों या श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत हैं: *भाषा-भाषा विकास श्रृंखला *गणित-गणित बोध (1-15) *पर्यावरण-पर्यावरण अभियान *तत्परता कार्यकलाप-आरंभिक गति विधान *भाषा-शब्द चित्र कार्ड सेट एवं मात्रा कार्ड सेट *शिक्षकों के लिए भाषा की गाइड मासिक पत्रिकाशिक्षा-विमर्श के अंक तथा शिक्षा, भाषा आदि पर सामग्रियों की छाया प्रतियां उपलब्ध हैं।	डाक खर्च सहित 300/-रु. लगभग

एकलव्य	अंजली नरोन्हा	अध्येता, एकलव्य ई-1/25, अरेरा कॉलोनी, भोपाल दूरभाष : 563380 (का.), 592194 (आ.) 0755-567552(फैक्स)	*कक्षा 1-5 के लिए खुशी-खुशी (समेकित पाठ्य-पुस्तक) *फलैशकार्ड, डोमिनो, नंबर कार्ड का सेट, शिक्षकों द्वारा तैयार की जाने वाली सामग्रियों की सूची *निम्नलिखित प्रकाशन भी उपलब्ध हैं *संदर्भ (25 अंक)-अंतर्वस्तु आधारित हिंदी की द्विमाही पत्रिका *कक्षा 6-8 के लिए बाल वैज्ञानिक *वार्षिक चंदे से मंगाई जाने वाली मासिक विज्ञान पत्रिका चकमक के विभिन्न अंक *कक्षा 6-8 के लिए सामाजिक अभियान, टी एस जी में इनके प्रकाशनों का पूर्व सूचीपत्र उपलब्ध है।	175/-रु. 50/-रु. 75/-रु. 51/-रु. 125/-रु. प्रति सैट
एन सी ई आर टी	सुश्री कांतासेठ	प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन सी ई आर टी, श्री अरबिंद मार्ग, नई दिल्ली-110016	स्कूल तत्परता किट *वाचन कौशल और बोधगम्यता में बढ़ोतरी के लिए सामग्री विकसित करने संबंधी दिशानिर्देष *स्कूल तत्परता दस्तावेज *फ्लैशकार्ड *बाल माध्यम प्रयोगशाला सामग्री *रचनात्मक क्रियाएं *खेल खिलौने बनाने के आसान तरीके *क्रीड़ा सामग्री के लिए न्यूनतम किट *प्राथमिक बाल शिक्षा पथप्रदर्शिका *कहानी की अन्य पुस्तकें आदि।	

			मैनुअल आफ मैथमेटिकल टीचिंग एड्स फार प्राइमरी स्कूल, पी.के. श्रीनिवासन लेट अस लर्न मैथेमेटिक्स क्लास 1-5 (अंग्रेजी के रामचंद्रन, सी.पी. गुप्ता) रिसोर्स मैटेरियल फार मैथेमेटिक्स क्लब एक्टिविटीज: पी.के. श्रीनिवासन सामान्य विज्ञान भाग 1, 2 एवं 3 एवं (हिंदी) व्हाट आन अर्थ इन एनर्जी ? (अंग्रेजी): डी.पी. सेन गुप्ता	17.50-20/-रु. 20/-रु. लगभग 40/-रु. लगभग
कथा	गीता धरमराजन	ए-4, सर्वोदय इन्क्लेव, नई दिल्ली, दूरभाष : 6868193, 6521752	हुलगुल का पित्र-भाषा सीखने की मौलिक किट (5 पुस्तकें, 3 गेम्स, 1 पोस्टर हिंदी)। यह सामग्री विशेष रूप से 6-14 आयु-वर्ग के शहरी वंचित बच्चों के लिए विकसित की गई है। बच्चों के परिवेश में जो शब्द प्रचलित हैं उनका प्रयोग करने का मानदंड अपनाया गया है।	75/-रु.
इग्नू	डा. प्रवीण सिनक्लेयर	रीडर, विज्ञान विद्यालय, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 दूरभाष : 6492306 (आ.) 6857067 (का.)	टीचिंग ऑफ प्राइमरी मैथेमेटिक्स 6 खंडों के इस सेट में निम्नलिखित शामिल हैं : *आसपेक्ट आफ टीचिंग मैथमेटिक्स *नंबर 1 एवं 11 *फ्रैक्शन एंड डेसिमल *मेजरमेंट *प्रोजेक्ट गाइड प्रत्येक खंड में अनेक यूनिटें हैं जिन्हें बहुत ही	355/-रु. प्रत्येक सैट अंग्रेजी में 235/-रु. प्रत्येक सैट हिंदी में

			स्पष्टता के साथ लिखा गया है। इन यूनिटों से जोड़ आदि बुनियादी धारणाओं के विकास और समझ में मदद मिलती है। इसके अलावा ऐसी विधियाँ दी गई हैं जिनके माध्यम से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ये धारणाएं समझाई जा सकती है।	
नेहरू बाल पुस्तकालय		निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16, दूरभाष : 6518378 (का.) 2204986 (आ.) फैक्स: 6851795	पुस्तिकाओं के इस संग्रह में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा, संस्कृति आदि जैसे व्यापक श्रेणी के विषयों पर पाठन सामग्री है। आविष्कार, प्रकृति के पैटर्न, प्रदूषण के लिए संधि, हमारी सेना आदि जैसे विविध श्रेणी के शीर्षक इसमें शामिल हैं। लगभग 35 पुस्तकें उपलब्ध हैं।	प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 10 रु. से कम है जो कि ठीक है।
सुविद्या	डा. एस.एन. गणनाथ	206, 39वाँ ए क्रास, 9वाँ मेन, 5वाँ ब्लाक, जयनगर बंगलौर, कर्नाटक-560041	इसमें प्लास्टिक, लकड़ी कार्ड बोर्ड जैसी अनेक किस्म की सामग्रियों का प्रयोग करके प्राथमिक गणित पढ़ाने पर अनेक रोचक एव नवाचारी विचार, क्रियाकलाप तथा गेम्स हैं। इसमें पूरे किट के प्रयोग को समझाने के लिए एक नियम-पुस्तिका भी है। इसे कम लागत वाली सामग्री का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है।	5000/-रु. बीजीवीएस
भारत ज्ञान विज्ञान समिति		भारत ज्ञान विज्ञान समिति वर्किंग वूमन हास्टल, साकेत, नई दिल्ली-17, दूरभाष : 6569943ए 6569773	इस श्रृंखला में बच्चों, प्रौढ़ों के लिए कहानियाँ हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से लिखा और समझाया गया है। शिक्षक के प्रयोग के लिए इन पुस्तकों का एक सेट प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध कराया जा सकता है।	5/-रु. बीजीवीएस
ऋषि वैली	श्री वाई. पद्मनाभ राव	निदेशक, नद परियोजना, ऋषि वैली, एजुकेशन सोसायटी, मनदपल्ली चित्तूर, आंध्र प्रदेश	बच्चों के लिए सोपान आधारित टी एल एम तैयार करती है। अधिकांश कार्य बच्चे स्वतंत्र रूप से करते हैं। अधिकांश सामग्री कार्य पत्रक के रूप में उपलब्ध है। इनके साथ अन्य पूरक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। इस सामग्री का हिंदी अनुकूलन डी.पी. ई.पी., उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध है।	

पाक्षिक/मासिक समीक्षा और अयोजना बैठकें

शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इनकी गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए शिक्षकों का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता। शुरूआती प्रशिक्षण बच्चों के साथ काम करने के लिए शिक्षा में जुड़े मुद्दों की समझ पैदा करने और कौशल सीखने की सतत प्रक्रिया शुरूआती बिन्दु होता है। शिक्षक एक अवधि के भीतर मुद्दों की अपनी पकड़ कौशलों को को समझ को बढ़ाते हैं / स्पष्ट करते हैं। यदि शिक्षक यांत्रिक ढंग से अपनी कक्षा को पढ़ाएगा तो शुरूआती प्रशिक्षण के दौरान विकसित यह समझ नहीं बढेगी तथा कुल मिलाकर इसमें कमी आने की संभावना की शुरूआत हो जाएगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने कार्य और अनुभव पर चिन्तन जारी रखें तथा अपने सहकर्मियों के साथ उन पर चर्चा करते रहें। कार्यक्रम में इस प्रकार के चिंतन तथा विचारों के आदान-प्रदान की गुजांइश होनी चाहिए। शिक्षकों की समीक्षा और आयोजना बैठकों के दौरान इसकी व्यवस्था की जा सकती है। कार्यक्रम में गुणात्मक सुधान लाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की जा सकती है।

यदि हर महीने यह बैठक आयोजित की जाएगी तो दो दिवसीय बैठक को मोटे तौर पर चार सत्रों में बांटा जा सकता है। प्रथम तीन सत्रों में शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तथा चौथे सत्र में कार्यक्रम के प्रशासनिक मुद्दों पर गौर किया जाना चाहिए। यदि पाक्षिक आधार पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाना है तो भी एक पूरा दिन तथा दूसरे दिन का आधा भाग शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा के लिए होना चाहिए। इसका उद्देश्य है-- शिक्षकों को अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने, पाठ्यचर्या के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी समस्याओं को उठाने, अध्ययन-अध्यापन सामग्री का प्रयोग करने, विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों पर ध्यान देने आदि का अवसर प्रदान करना तथा नए निवेशों को पाने में उन्हें सक्षम बनाना है ताकि शिक्षक नए कार्यकलापों की योजना बनाने में सक्षम हो सकें।

इन बैठकों में शिक्षकों के साथ सीआरपी को बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों, स्कूल आयोजन के दौरान पेश आई समस्याओं पर चर्चा और चिंतन करने तथा सामूहिक रूप से समाधान ढूढ़ने में सक्षम होने चाहिए। सीआरवी को एक योग्य सुसाध्यकारी और प्रेरणास्रोत होना है जिससे कि वैकल्पिक स्कूलों के शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूँढ सकें। सी आर पी को संसाधन व्यक्तियों, सामग्री तथा अन्य सहायता की उपलब्धता का सुनिश्चय करना है जिनकी विद्यार्थियों और शिक्षण के लिए आयोजना प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों और सीआरपी को जरूरत पड़ सकती है।

सीआरपी को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि सभी शिक्षकों को अपना अनुभव बांटने का मौका मिले। 4-5 व्यक्तियों के छोटे से दल के साथ चर्चा का आयोजन किया जा सकता है जिन पर बाद में शिक्षकों के अपेक्षाकृत बड़े दल के साथ चर्चा की जा सकती है। सुझाव है कि इस बैठक के दौरान एक समय में 20 से अधिक शिक्षक नहीं होने चाहिए। इसका उद्देश्य गहन चर्चा, चिंतन और सभी उपस्थित शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चत करना है।

अपेक्षाकृत छोटे उप दलों के बीच चर्चा से सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा इससे सी आर पी प्रत्येक शिक्षक के साथ बातचीत करने में सक्षम हो पाते हैं।

शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान शिक्षक चर्चा में निम्नलिखित विषय क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। शिक्षक को अपने स्कूल के बारे में निम्नलिखित की जानकारी प्रदान करनी चाहिए :

- पिछले पखवाड़े/माह में बच्चों की औसत उपस्थिति।
- जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं उनके अभिभावकों के साथ बैठक पर फीडबैक। शिक्षकों के दीर्घकाल तक अनुपस्थिति के कारण (यदि कोई हो), इन बच्चों को स्कूल लाने की दिशा में किए गए प्रयास।
- वे मुद्दे जिन पर समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया गया।
- गत दो/तीन बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दों के संदर्भ में उपर्युक्त मुद्दों पर चर्चा करना तथा उनका विश्लेषण करना।
- गत पखवाड़े/माह में बच्चों के साथ किए गए शैक्षिक कार्य की प्रकृति का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना।
- पाठ्यचर्या के पठन-पाठन के दौरान पेश में आई समस्याएं, शिक्षुओं की उपलब्धि।
- शिक्षुओं की प्रगति के बारे में सूचना का आदान-प्रदान। प्रत्येक बच्चे की प्रगति का मासिक/तिमाही चार्ट तैयार करना।
- शिक्षक संसाधन व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से उन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकते हैं जो शिक्षणकक्ष में उनके सामने आती है।
- नए कार्यकलापों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान तथा कार्यकलापों के लिए अध्ययन अध्यापन सामग्री तैयार करना।
- संदर्भ सामग्री, पत्रिकाओं, लेखों का अध्ययन करना तथा उनका उपयुक्त ढंग से उपयोग करना।
- अध्ययन अध्यापन सामग्री विकसित करना।
- संसाधन व्यक्ति नए कार्यकलाप, अध्ययन-अध्यापन सामग्री शुरू करेंगे।

उपर्युक्त में से कुछ कार्यकलापों पर उप दलों में चर्चा की जा सकती है तथा इसके बाद बृहत्तर दल में इन पर चर्चा की जा सकती है। नए कार्यकलापों के विकास के लिए संसाधन व्यक्तियों के साथ चर्चा या बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा अधिमानत: बृहत्तर दल के भीतर होनी चाहिए।

सूक्ष्म आयोजना

आयोजना और कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी का अभाव विभिन्न योजनाओं के असफल कार्यान्वयन का एक कारण रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत से इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन जनता के निकट के सहयोग से किया जाना चाहिए। यह माना गया कि स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के बिना स्थानीय स्तर पर जायज आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों की पहचान संभव नहीं होगी। इसे तृण मूल स्तरीय आयोजना या 'सूक्ष्म आयोजना' का नाम दिया गया। सूक्ष्म स्तर पर आयोजना का अर्थ है (क) आवश्यकताओं की पहचान में लाभग्राहियों, स्थानीय लोगों की सहभागिता (ख) निम्नलिखित की दृष्टि से उपलब्ध संसाधनों का जुटाया जाना। I)भौतिक निवेश, II) सहकारी कार्यवाही III) सहायक प्रयत्नों के माध्यम से और अधिक संसाधनों का सृजन और (ग) उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर ग्राम योजनाएं तैयार करना।

ईजीएस/एआईई योजना में यह बात कही गई है कि परियोजना प्रस्ताव प्रत्येक बस्ती की शैक्षिक आवश्यकताओं के वास्तविक आकलन पर आधारित होना चाहिए। आवश्यकता का यह आकलन घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहीत सूचना पर आधारित हो सकता है जिसमें प्रत्येक बच्चे, उसकी शैक्षिक स्थिति की जानकारी होगी तथा यदि वह स्कूल नहीं जाता/जाती है तो उसके कारणों का भी उल्लेख होगा। इसके साथ-साथ बस्ती के भीतर या आस पास उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का भी सर्वेक्षण भी करना होगा।

सूक्ष्म आयोजना के उद्देश्य

ई.जी.एस और ए.आई.ई के तहत सूक्ष्म आयोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

क) जनता की भागीदारी से आवश्यकता आधारित योजना तैयार करना।

ख) समुदाय के भीतर से कोर दल का गठन करना जो योजना की आयोजना और कार्यान्वयन में कार्यक्रम में संपूर्ण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी करेगा।

ग) स्कूल/केन्द्र में सभी बच्चों का नामांकन तथा नियमित उपस्थिति का सुनिश्चय करना।

घ) स्कूल को ठीक ढंग से चलाने में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

सूक्ष्म आयोजना के चरण

सूक्ष्म आयोजना की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे :

1. कोर दल का गठन
2. कोर दल का प्रबोधन/प्रशिक्षण
3. घर-घर का सर्वेक्षण
4. शैक्षिक सुविधाओं का सर्वेक्षण
5. सूचना का संकलन
6. समुदाय के साथ सूचना का आदान-प्रदान
7. आवश्यक सूचना के आधार पर मानदंडों के अनुरूप योजना तैयार करना
8. शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देना
9. ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना
10. कोर दल के वी ई आर गठन के माध्यम से निश्चित अंतराल पर बच्चों की प्रगति की मानिटरिंग करना।

कोर-समूह का गठन

सूक्ष्म-नियोजन का काम करने के लिये बस्ती स्तर पर 5-7 व्यक्तियों का कोर समूह बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिनका पर्याप्त उन्मुखीकरण किया जा चुका हो। ये व्यक्ति ग्राम सभा के जरिये स्थानीय समुदाय से चुने जा सकते हैं। यदि वहां स्कूल मौजूद है तो एक शिक्षक जरूर कोर समूह का सदस्य होना चाहिये।

1) प्रशिक्षण

सूक्ष्म-नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कोर समूह के सदस्यों को 4-5 दिन के प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण की जरूरत पड़ेगी जिसमें शामिल होगा :

(क) कोर समूह की भूमिका।
(ख) स्कूल सर्वे और घर-घर सर्वे को करने की प्रक्रिया और उसके चरण।
(ग) आंकड़ों का संकलन।
(घ) समुदाय के लोगों और खास तौर से वंचित वर्गो के लोगों को शामिल करने का महत्त्व।
(ड) जरूरी सूचनाओं की मदद से बनायी गयी योजना।

कोर समूह के सदस्यों की पहचान करते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें महिलाओं और समुदाय के कमजोर तबकों की भी भागीदारी हो।

2) बच्चे वार घर-घर सर्वे

हर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके बच्चे-वार सूचना इकट्ठी करना सूक्ष्म नियोजन का पहला चरण होगा। हरेक परिवार के सभी बच्चों के संबंध में, उनके उम्र के क्रम में निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ेगी। परिवार के बारे में जानकारी का यही पन्ना गांव के शिक्षा रजिस्टर में भी शामिल किया जा सकता है।

3) स्कूल सर्वे

अगला कदम शैक्षिक सुविधाओं का सर्वे करना है। बस्ती में शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिये प्रारूप II को आधार माना जा सकता है। यह सूचना स्कूल शिक्षक की मदद से इकट्ठी की जानी चाहिये।

4) घरों के सर्वे कर समेकन

परिस्थिति का समग्र चित्र हासिल करने के लिये परिवार वार सूचनाओं को प्रारूप III में समेकित करने की जरूरत पड़ेगी। घरों के सर्वे के प्रारूप से समेकित प्रारूप में सूचनाओं को स्थानान्तरित करना एक सरल सा काम है। प्रारूप से स्कूल जाने वाले कुल बच्चे स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या (इसे स्कूल न जाने के कारणों के आधार पर छांटा जा सकता है) इत्यादि की गणना की जा सकती है। अन्य सूचनाओं के साथ-साथ यह भी योजना बनाने का आधार होगी।

5) समुदाय के साथ सूचना शेयर करना

छांटी गई और व्यवस्थित की गई तमाम सूचनाएं पूरे समुदाय के पास होनी चाहिये। समुदाय को गांव में शिक्षा की समस्या का कुछ अन्दाजा होता है लेकिन इस तरह की व्यवस्थित और वर्गीकृत सूचना बहुधा उनके लिये भी एह रहस्योद्घाटन की तरह होती है। वे अपने गांव में शिक्षा की समस्याओं के प्रति सजग हो जाते हैं। इस स्तर पर मानदण्डों पर आधारित संभावित रणनीतियों पर बातचीत शुरू की जा सकती है।

6) शैक्षिक योजना की तैयारी

कोर समूह समुदाय के साथ बातचीत करके मानदण्डों के आधार पर गांव के लिये शैक्षिक योजना बना सकता है। यह योजना पंचायतों के जरिये संकुल संसाधन केन्द्र (जहां मौजूद हों) भेजी जायेगी, जहां पर सभी बस्तियों की योजनाओं को समेकित किया जायेगा, उनकी जांच की जायेगी और उन्हें विकासखण्ड स्तरीय समिति के पास भेजा जायेगा।

7) ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर के आधार पर अनुश्रवण (देख-रेख)

परिवार वार सर्वे प्रारूप के आधार पर, एक ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर बनाया जा सकता है जिसमें परिवार वार हर बच्चे की शैक्षिक स्थिति शामिल होगी यह ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर समुदाय की कोशिशों के साथ-साथ बच्चों की प्रगति का अनुश्रवण (देख-रेख) करने का एक माध्यम होगा। अनुश्रवण छमाही के अन्तराल पर किया जा सकता है। ये 2 अन्तराल राज्य के स्कूलों के अकादमिक सत्रों के आधार पर तय किये जा सकते हैं।

प्रारूप-I

परिवार-वार सर्वे और ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर

गाँव: **बस्ती :** **संकुल :**

मकान नं० :
सर्वे की तारीख :

1. घर के मुखिया का नाम : पिता/पति का नाम :
2. जाति (✓ निशान लगायें) (1) अनुसूचित जाति ( ) (2) अनुसूचित जन जाति ( ) (3) पिछड़ी जाति ( ) (4) अन्य ( )
3. परिवार के सदस्यों की संख्या (बच्चों सहित) महिला: पुरूष : कुल :
4. क्या परिवार पूरे साल भर गांव में ही रहता है (हाँ/नहीं) यदि नहीं तो उन महीनों के नाम लिखें जब परिवार गांव से बाहर चला जाता है ।
5. हरेक बच्चे (3-14 वर्ष तक) का विवरण (कृपया बच्चों की उम्र के घटते क्रम में लिखें)

अनुश्रवण की तारीख			
I	**II**	**III**	**IV**

क्रम संख्या	नाम (बालक/बालिका)	लिंग	उम्र	जन्म तारीख	अभिभावक का नाम	किस कक्षा में भर्ती था ?	स्कूल न जाने के कारण	विकलांग बच्चों का विवरण	अनुश्रवण (देख-रेख)								विशेष विवरण
									I		**II**		**III**		**IV**		
									ए.	**बी.**	**ए.**	**बी.**	**ए.**	**बी.**	**ए.**	**बी.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ए. का मतलब यह बच्चा स्कूल जा रहा है । वह जिस कक्षा में पढ़ रहा है वह कक्षा लिखें ।

बी. का मतलब यह बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है ।

स्कूल सर्वे

सर्वे की तारीख

1) स्कूल का नाम

2) स्कूल के शुरू होने का साल

3) बस्ती/गांव का नाम

4) संकुल

5) स्कूल में कक्षाएं.....से.....

6) शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद

सेवारत - पुरूष.....महिला.....कुल..... खाली पद.....

7) इस साल की भर्ती/नामांकन (स्कूल रजिस्टर के आधार पर)

कक्षा	बालक				बालिकाएं				कुल (बालक+बालिकाएं)
	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	अन्य	कुल	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	अन्य	कुल	
1)									
2)									
3)									
4)									
5)									
6)									
7)									
8)									
9)									
10)									
कुल									

8. (I) गांव में बिजली की उपलब्धता : (हां/नहीं)
   (II) स्कूल में बिजली की उपलब्धता : (हां/नहीं

यदि स्कूल में बिजली नहीं है तो सबसे नजदीक में जहां बिजली मौजूद है उस जगह की स्कूल से दूरी (दूरी मीटर में लिखें)

9. (I) पीने के पानी की सुविधा की उपलब्धता : (हां/नहीं)
   (II) यदि नहीं तो बच्चे पानी पीने कहाँ जाते हैं ? (संक्षेप में लिखें) :

10. स्कूल में उपलब्ध मुख्य उपकरण/सामग्री :

क्रम सं०	**उपकरण/सामग्री**	**कुल संख्या**	**अच्छी हालत में पाई जाने वाली चीजों की संख्या**
1)	घंटी		
2)	कचरे का डिब्बा		
3)	दरी-पट्टी		
4)	कुर्सियाँ		
5)	मेजें		
6)	श्याम पट्ट		
7)	अलमारी		
8)	संदूक		

11. (क) स्कूल की जमीन का विवरण

I. स्कूल को आवंटित की गई जमीन का क्षेत्रफल :

II स्कूल के कब्जे की जमीन का क्षेत्रफल :

III कमरों की संख्या : कुल.....पूरे.....अधूरे.....

IV. बरामदा - (हाँ/नहीं)

V. बालिकाओं के लिये शौचालय - (हाँ/नहीं) / पेशाबघर (हाँ/नहीं)

VI. खेल का मैदान

VII. चार दीवारी - (हाँ/नहीं)

(ब) स्कूल के भवन की हालत

कमरों का फर्श / बरामदा / छत / दीवारें / खिड़कियाँ / दरवाजे

हालत

- भवन की हालत बताने के लिये क, ख, ग, घ का उपयोग करें ।

(क) सबसे अच्छा, मजबूत

(ख) कमजोर, मरम्मत की जरूरत

(ग) जर्जर हालत में

(घ) अधूरा बना हुआ

प्रारूप . III
घरों के सर्वे का समेकन

राजस्व गांव का नाम : **बस्ती का नाम :** **महीना और वर्ष**

मकान नम्बर	परिवार के मुखिया का नाम	जाति (अनु० जा०/अनु०ज० जा०/अ० पि० व०/ सा०)	परिवार के कुल सदस्यों की संख्या (बच्चों सहित)			5-14 वर्ष की उम्र के बच्चों की कुल संख्या			दिन के स्कूल में पढ़ने वाले 5-14 वर्ष के बच्चों की संख्या			अनौ० केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या			5-14 वर्ष के भर्ती न हुए बच्चों की संख्या			बच्चों के स्कूल में भर्ती न होने के कारण (कारणों की क्रम संख्या लिखें)	विकलांग बच्चों की संख्या		
			एम.	एफ.	टी.	जी.	बी.	टी.	जी.	बी.	टी.	जी.	बी.	टी.	जी.	बी.	टी.		जी.	बी.	टी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

कुल अनु० जा० (अनुसूचित जाति) अनु० ज० जा० (अनुसूचित जन जाति)
अ० पि० व० (अन्य पिछड़ा वर्ग) सा० (सामान्य)
जी. लड़की बी. लड़का टी. कुल

संलग्नक -IV

(विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या विकासखण्ड विकास अधिकारी के पास जमा करवाने के लिये)

शिक्षा गारण्टी योजना स्कूल को शुरू करने के लिये आवेदन

सेवा में,
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड विकास अधिकारी

_____

_____

_____

_____

महोदय,

विषय : हमारी बस्ती में शि०गा०यो० शुरू करने में मदद करने के लिये आवेदन

.....,

ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षक समिति के सभी सदस्य जिला_____विकासखण्ड_____की ग्राम पंचायत_____के अन्तर्गत बस्ती/गाँव _____के सभी निवासियों की ओर से घोषणा करते हैं कि हमारी बस्ती और उसके अड़ोस-पड़ोस के 1 कि.मी. के दायरे में किसी तरह का स्कूल या वैकल्पिक स्कूल मौजूद नहीं है। सबसे नजदीक का प्राथमिक स्कूल बस्ती/गाँव_____में है जो कि हमारी बस्ती से _____कि०मी० दूर है । हमारी बस्ती और सबसे पास के स्कूल के बीच नदी/नाला/पहाड़ी/जंगल/राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है जिसकी वजह से छोटे बच्चों के लिये स्कूल जाना मुश्किल होता है । हमारे यहाँ 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के _____बच्चे स्कूल से बाहर हैं । बच्चों के नाम और उनकी उम्र की सूची आवेदन के साथ संलग्न है ।

स्कूल रहित बस्तियों में शि०गा०यो० के अन्तर्गत स्कूल खोलने में मदद करने के लिये, सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों और मानदण्डों के बारे में हम जानते हैं । हम सभी शर्तों से सहमत हैं और मांगी गई मदद जुटाने के लिये तैयार हैं । हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बस्ती में शि०गा०यो० के अन्तर्गत केन्द्र शुरू करने में मदद की जाये और हम भरोसा दिलाते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिये सरकार के साथ भागीदारी में काम करेंगे।

बस्ती_____की अभिभावक शिक्षक समिति/माता शिक्षक समिति/ग्राम शिक्षा समिति पंचायत के हम सभी सदस्य घोषणा करते हैं कि,

I. केन्द्र में आने वाले 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों की सूची, घर-घर सर्वे के दौरान उन बच्चों के अभिभावकों/पालकों की सहमति से तैयार की गई है ।

II हम स्कूल से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को शि०गा०यो० या दूसरे स्कूलों में भर्ती करवाने और उनकी नियमित हाजरी के सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे ।

III. हम स्कूल चलाने के लिये उपयुक्त जगह भी उपलब्ध करवायेंगे ।

IV. हम शि०गा०यो० के स्कूल के संचालन की देख-रेख या पर्यवेक्षण करेंगे और योजना के उद्देश्यों को हासिल करने के लिये जरूरी कदम उठायेंगे ।

V. हम स्कूल चलाने वाले शिक्षा स्वयंसेवकों की पहचान करेंगे ।

VI. स्कूल के हिसाब-किताब की देखभाल के लिये एक समिति बनायी जायेगी जो स्कूल चलाने की देख-रेख (अनुश्रवण), सीखने-सिखाने की सामग्री (TLM) और उपकरणों की खरीदारी, शिक्षा स्वयंसेवक को मानदेय देने और सामुदायिक बैठकें आयोजित करने के लिये जिम्मेदार होगी ।

भवदीय,

नाम

जगह:

तारीख:

6-14 वर्ष की उम्र के स्कूल से बाहर रह गये बच्चों की सूची
(स्कूल न जाने वाले)

गांव / बस्ती का नाम

क्रम संख्या	बच्चे का नाम	लिंग पु०/स्त्री०	उम्र	अभिभावक / पालक का नाम	टिप्पणी

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या विकासखण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण पत्र

_____ जिला के _____ विकासखण्ड की _____ बस्ती / पंचायत के लिये ग्राम शिक्षा समिति /पंचायत की ओर से _____ तारीख को शि०गा०यो० केन्द्र के शुरू करने में मदद करने के लिये मिले आवेदन के संदर्भ में श्री/श्रीमती _____ सी.आर.सी./बी.आर.सी./बी.ई.ओ. ने _____ तारीख को गांव / बस्ती की यात्रा की और आवेदन में दिये गये तथ्यों को सही / गलत पाया । में इस आवेदन को नीचे लिखे कारणों से स्वीकार /अस्वीकार करता हूँ ।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

हस्ताक्षर _____

नाम
(विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
या विकासखण्ड विकास अधिकारी)

जांच करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पद:

शि०गा०यो० के प्रस्ताव का प्रारूप

क्रम संख्या	गाँव/बस्ती का नाम	कुल आबादी			6-14 वर्ष की उम्र वाले स्कूल में न जाने वाले बच्चों की संख्या	सबसे पास के सरकारी या प्राइवेट स्कूल की दूरी
		स्त्री०	पु०	कुल		

- इन बस्तियों में पहले से मौजूद अनौ०शि० केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है, यह प्रमाणित करें ।
- अभिभावक समिति / शाला प्रबन्धन समिति / ग्राम शिक्षा समिति / पंचायत के साथ समझौता पत्र पर दस्तखत कर लिये गये हैं ।
- इस मांग की जांच की गई और उपयुक्त पाया गया ।

शिक्षा स्वयंसेवक और स्थानीय समुदाय के बीच अनुबन्ध
(राज्य स्तरीय आवश्यकता होने पर सुझाया गया प्रोफार्मा)

1. यह अनुबन्ध_____(वर्ष) के_____ (माह के) _____दिन _____जिला के_____विकासखण्ड की_____ग्राम पंचायत की शाला समिति के प्रतिनिधि अध्यक्ष / सभापति श्री / श्रीमती / कुमारी_____पुत्र/पुत्री _____निवासी_____(आगे इसे "समिति" कहा जायेगा), और श्री / श्रीमती / कुमारी_____पुत्र/पुत्री _____ उम्र करीब_____वर्ष निवासी_____(आगे इसे "स्वयंसेवक" कहा जायेगा), जिन्होंने अनुबन्ध पर शि०गा०यो० केन्द्र में शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिये नियुक्ति पर सहमति दी हैं; के बीच बनाया और लागू किया गया है । शिक्षा स्वयंसेवक शि०गा०यो० केन्द्र के लिये_____ दिन_____माह_____वर्ष के दिन से एक वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा ।
2. नियुक्ति का यह अनुबन्ध_____वर्ष पूरा होने पर अपने आप खत्म हो जायेगा, जब तक कि उसका नवीकरण न किया जाये, भले ही इस अनुबन्ध में खत्म होने की कोई खास तारीख नहीं दी गई हो । समिति की ओर से किसी भी तरह का औपचारिक नोटिस जारी करना जरूरी नहीं होगा । कोई भी पक्ष एक माह के नोटिस के साथ बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध छोड़ सकता है ।
3. समिति और स्वयंसेवक इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुबन्ध के तहत दी गई सेवाओं के कारण उन्हें किसी भी हालत में, चाहे वे जो कोई भी हों, उसे इसमें या किसी अन्य शैक्षिक / संस्थानों में पैदा होने वाली या इस समय मौजूद नियमित खाली जगहों को भरे जाते समय किसी तरह के अधिकार का दावा हासिल नहीं होगा ।
4. स्वयंसेवक साल भर में 10 दिन की अधिकृत छुट्टियां ले सकेगा । यदि स्वयंसेवक बिना अनुमति के छुट्टी पर रहता है और उसके पास किसी तरह की अधिकृत छुट्टियां बाकी नहीं बची है तो उसके मानदेय में से उसी अनुपात में धन काट लिया जायेगा ।
5. समिति और स्वयंसेवक नीचे लिखी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिये सहमत हैं :

- शाला समिति/ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक शिक्षक समिति/माता शिक्षक समिति/पंचायत सहमति व्यक्त करती है :
- शि०गा०यो० के स्कूल के प्रभावी संचालन के लिये स्वयंसेवक को नियमित मदद उपलब्ध करवाना ।
- माह के पहले सप्ताह में केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवक को प्रतिमाह_____रू० मानदेय उपलब्ध करवाना ।
- आकस्मिक तौर पर जरूरत पड़ने वाली सामग्री केन्द्र को समय पर उपलब्ध करवाना ।
- केन्द्र चलाने के लिये उपयुक्त जगह और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना ।
- स्कूल के ठीक से संचालन के लिये सरकार और समुदाय के बीच सहयोग के लिये सभी उपाय करना ।

शिक्षा स्वयंसेवक सहमति व्यक्त करता हैं :

- केन्द्र के शिक्षक के रूप में प्रतिमाह _____ रू० के मानदेय पर काम करना ।
- वर्ष भर के केन्द्र कम से कम 200 कार्य-दिवस चले, इसे सुनिश्चित करना ।
- दिन के समय हर रोज केन्द्र कम से कम 4 घन्टे चले, इसे सुनिश्चित करना ।
- गतिविधियों की योजना बनाने में रोज कम से कम 1 घन्टा लगाना ।
- केन्द्र स्तर के सभी अभिलेखों की देखभाल सुनिश्चित करना जैसे ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, बच्चों के प्रगति पत्र, शिक्षक की डायरी, केन्द्र सुविधा रजिस्टर, केन्द्र विकास योजना इत्यादि ।
- बच्चों के अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने के लिये सभी कोशिशें करना ।
- केन्द्र की मासिक रपट तैयार करना और उसे ग्राम शिक्षा समिति और बच्चों के अभिभावकों के पास शेयर करना ।
- समय का पाबन्द रहना और नियमित रूप से काम करना तथा बच्चों को केन्द्र में आने के लिये प्रेरित करना ।
- केन्द्र में उपलब्ध संसाधनों को उपयुक्त तरीके से काम में लेना और केन्द्र को साफ सुथरा और आकर्षक बनाये रखना ।
- शिक्षा स्वयंसेवक की सेवाओं को जारी रखने का निर्णय समुदाय या उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये वार्षिक आंकलन के आधार पर लिया जायेगा ।
- दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि केन्द्र से संबंधित कोई भी समस्या आने पर उसे मिल जुल कर हल किया जायेगा ।

हम उपरोक्त अनुबन्ध को स्वीकार करते हैं ।

(तारीख के साथ हस्ताक्षर)
शिक्षा स्वयंसेवक

तारीख के साथ हस्ताक्षर
अध्यक्ष/ग्राम समिति का सचिव/अभिभावक
शिक्षक समिति/माता शिक्षक समिति/पंचायत

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों के लिये वर्तमान प्रक्रिया

- आवेदन करने के वर्ष से कम से कम 3 साल पहले से मौजूद स्वैच्छिक संस्थाएं (स्वै०सं०) इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने योग्य होंगी । शि०गा०यो० और वै०न०शि० के अन्तर्गत आवेदन करने की उपयुक्तता हासिल करने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के पास कम से कम पिछले 3 साल के लेखे मानद् लेखाकार (चाटर्ड अकाउन्टेन्ट) द्वारा अंकेक्षित किये हुए होने चाहिये ।
- योग्य स्वैच्छिक संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित फार्म में जमा करवायेंगी । (इस समय काम में लिये जा रहे फार्म की प्रतिलिपि संलग्न हैं ।)
- जरूरी दस्तावेजों के साथ आये आवेदन का, राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिये बनायी गयी प्री सेंक्शन एप्राइजल कमेटी (PSAC) परीक्षण करेगी । समिति के सदस्य शि०गा०यो० और वै०न०शि० की रणनीतियों से अच्छी तरह से परिचित होने चाहिये ।
- PSAC द्वारा की गई अनुशंसाओं के बाद (अभी काम आ रहे प्रारूप राज्य सरकारों के पास मौजूद हैं) प्रस्ताव राज्य अनुदान समिति के सामने रखा जाना चाहिये, जो कि सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार गठित की गई है ।

धन जारी करना

स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्र चलाने के लिये दिया गया अनुदान 2 या अधिक किश्तों में जारी किया जाना चाहिये ।

परियोजना की स्वीकृति और स्वैच्छिक संस्था द्वारा उस परियोजना को शुरू कर देने की सूचना के प्राप्ति के बाद केन्द्रों की स्थापना को सुगम बनाने के लिये अनुदान की पहली किश्त जारी की जा सकती है इसके बाद अनुदान की अगली किश्त नीचे लिखे दस्तावेजों को पेश करने पर ही जारी की जायेगी ।

1. पिछली सभी तिमाहियों का तिमाही प्रगति विवरण
2. अनुदान जारी करने के लिये लिखित अनुरोध जिसमें यह सूचना भी हो कि पहले मिले अनुदान का 75% या उससे अधिक धन खर्च हो चुका है ।

   बाद के सालों में अनुदान लेने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे ।

1. अंकेक्षित लेखे जिनमें

   (i) उपयागिता प्रमाण पत्र

   (ii) प्राप्ति और भुगतान का विवरण और

   (iii) आय-व्यय के विवरण के साथ अंकेक्षक की रपट

2. वार्षिक प्रगति रपट
3. किसी भी तिमाही की प्रगति रपट जो अब तक जमा नहीं की गई हो ।
4. अनुदान जारी करने के लिये लिखित अनुरोध ।

अनुदान स्वीकृत करने वाली अॅथारिटि उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का यह देखने के लिये परीक्षण करेगी कि गत वर्ष में जारी किया गया अनुदान उसी वर्ष में काम में लिया गया है और उसी उद्देश्य से काम लिया गया है । उपयोगिता प्रमाण पत्र का परीक्षण करते समय इस बात की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिये कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में परियोजना अवधि, जिससे कि अंकेक्षित लेखे संबंधित है बिना उस किश्तों के जारी होने में परियोजना अवधि, जिससे कि अंकेक्षित लेखे संबंधित है बिना उस किश्तों के जारी होने की तारीख पर ध्यान दिये हुये, से संबंधित सभी किश्तों की वास्तविक प्राप्ति की सूचना हो । उपयोगिता प्रमाण पत्र में किसी खास समयान्तराल में एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिये बाकी किश्तों को जारी करने से पहले अनुदान स्वीकृत करने वाली अथारिटि को संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी करना चाहिये । सभी तरह की आय और खर्च का विवरण आय-व्यय विवरणिका में उस वर्ष से संबंधित होने पर आधार पर प्राप्ति और भुगतान विवरण में उस वर्ष में हुए वास्तविक खर्च के आधार पर दिया जाना चाहिये । सम्पत्ति पर किया गया खर्च प्राप्ति और भुगतान विवरण में दिखाया जाना चाहिये, इसके साथ ही बनायी/खरीदी गयी सम्पत्ति को बैलेन्स-शीट में भी दिखया जाना चाहिये ।

संस्था के अंकेक्षित खातों की जाँच करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी बातें/मदें जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता उन में मानदण्डों के आधार पर ग़ब्र खर्च किया गया है । स्वैच्छिक संस्थाओं को किये गये भुगतान का विवरण, भुगतान रजिस्टर में परियोजना वार और उस संस्था के नाम के आगे दर्ज किया जाना चाहिये ।

स्वीकृति की रसीद और अनुदान के जारी होने से पहले संस्था को लिखित में वादा करना होगा कि वे अनुदान की स्वीकृति के नियम कायदों का पालन करेंगे और संस्था के सचिव या अध्यक्ष को संस्था की ओर से आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करने के लिये अधिकृत करने के आशय का प्रस्ताव पास करना होगा । संस्था को परियोजना वर्ष के लिए मिले कुल रकम का बांड भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। संस्था को परियोजना वर्ष के दौरान उस संस्था से प्राप्त सिर्फ उन दस्तावेजों को स्वीकार करना चाहिये जिस पर अधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता के दस्तखत हों ।

केन्द्रीय सरकार के लिये

ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनमें प्रति बच्चा लागत, इस नोट के अनुच्छेद । में दिये गये मानदण्डों से ज्यादा हो और नवाचारी पहल करने वाले एवं जिला संसाधन इकाई स्थापित करने वाले सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार और PSAC की अनुशंसाओं के साथ, केन्द्रीय सरकार को भेजना जरूरी होगा ।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जिला संसाधन इकाइयों को चलाने के लिये अनुदान जारी करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की ही रहेगी ।

संलग्नक **VI** का अनुलग्नक

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायें)

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा से जुड़ी स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना

आवेदन पत्र

(प्रत्येक अक्षर के बाद एक खाना खाली छोड़ते हुए एक खाने में एक अक्षर लिखें)

1. एजेंसी का नाम:

2. क्या भारतीय समिति पंजीकरण अधिनियम में, 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास का मुनाफा न कमाने वाली कंपनी है ? (संगत दस्तावेजों की प्रति लगाएं) हाँ नहीं

3. पंजीकृत पता

दूरभाष :

ई मेल :

4. संगठन का कार्यालय अपने भवन में है या किराए के भवन में ? हाँ नहीं

5. लक्ष्य और क्रियाकलाप
(संक्षिप्त ब्यौरा दें)

6. क्या सहायता की मांग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिये की गयी है, यदि हाँ, तो

(क) वह क्षेत्र जहाँ परियोजना शुरू की
जाएगी तथा चलाये जाने वाले केन्द्रों की संख्या बतायें (क्षेत्र का नक्शा प्रस्तुत करें)

जिला										
ब्लॉक										

केन्द्रों की संख्या

(ख) नीचे दी गई कुछेक विशेषताओं
को शामिल करते हुए संचालन
मॉडल का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न
करें:--

(i) पर्यवेक्षण की परिकल्पित व्यवस्था,
(ii) प्रयोग की जाने वाली अध्ययन/अध्यापन सामग्री
का प्रकार
(iii) परियोजना की अवधि
(iv) अन्य प्रासंगिक विवरण

7. यदि परियोजना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
चलाने से संबंधित नहीं है तो
प्रस्तावित अवधि सहित परियोजना
का संक्षिप्त ब्यौरा दें।

8. क्या एजेंसी पहले भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला चुकी है ?

हाँ नहीं यदि हाँ तो: कितने वर्ष तक--
शिक्षुओं की सं.--
स्थान--

9. क्या परियोजना व्यय का कोई भाग किसी अन्य सरकारी, गैर सरकारी या विदेशी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है या उपलब्ध करा जाने की संभावना है। हाँ नहीं

यदि हां तो निधियन एजेंसी का नाम और पता

सहायता की राशि (रु. में)

अवधि

10. अनुमानित व्यय
आवर्ती
अनावर्ती

कुल

11. मांगे गए अनुदान की राशि
आवर्ती
अनावर्ती

कुल

12. क्या परियोजना की देख रेख के लिए संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं ? हाँ नहीं

13. क्या निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं ?

(क)	एजेंसी की सरंचना	हाँ	नहीं
(ख)	प्रत्येक सदस्य के ब्यौरे के साथ प्रबंध बोर्ड की संरचना	हाँ	नहीं
(ग)	अद्यतन उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट	हाँ	नहीं
(घ)	अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के चयन से संबंधित ब्यौरा		
(ङ)	प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्था -कृपया यह ब्यौरा दें कि अनुदेशक को, पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया गया है।	हाँ	नहीं
(च)	पिछले तीन साल का लेखा परीक्षित लेखा साथ में पिछले वर्ष के स्त्यापित तुलनपत्र की प्रति।		
(छ)	अतिरिक्त कागजातों की सूची, यदि कोई हो तो	हाँ	नहीं
(ज)	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो	हाँ	नहीं

*हस्ताक्षर:

*नाम:

*पदनाम और मोहर

*एजेंसी की ओर से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति

शिक्षा गारण्टी योजना

और

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहमति-पत्र (MOU)

1. यह सहमति पत्र, एक पक्ष, भारत सरकार (आगे इस "केन्द्रीय सरकार" कहा जायेगा) की ओर से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा एंव साक्षरता विभाग के सचिव और दूसरे पक्ष, राज्य सरकार (आगे इसे "राज्य सरकार" कहा जायेगा) की ओर से_____विभाग के सचिव के बीच बनाया और लागू किया गया है ।

2. राज्य सरकार "शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा" (आगे इसे "योजना" कहा जायेगा) को सही अर्थो में और सच्ची भावना से, पूरे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश_____ (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम) के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अन्दर लागू करने का काम करेगी ।

3. राज्य सरकार तुरन्त राज्य सोसायटी (आगे से इसे "सोसायटी" कहा जायेगा) की पहचान करेगी, जो कि योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दोनों नजरियों से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____में योजना का मूल्यांकन और अनुश्रवण करने के लिये एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगी ।

4. योजना की शुरूआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित अनौ०शि० और प्रारंभिक शिक्षा को लागू करने के ढांचों को नोटिफाई की गई तारीख से समन्वयन (Converged) कर देगी । योजना की शुरूआत होने के साथ, अनौ०शि० योजना के प्रबन्धकीय प्रशासन के यदि कोई बचे हुए अधिकार या जिम्मेदारियां हैं तो वे सोसायटी को हस्तान्तरित हो जायेगी ।

5. योजना के प्रशासन के लिये प्रबन्धकीय एजेन्सी के रूप में सोसायटी की पहचान की जायेगी और यह उनमें से एक होगी जिसे अन्ततः सर्व शिक्षा अभियान (आगे से इस स०शि०अ० कहा जायेगा) की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी ।

6. राज्य सरकार हर साल सोसायटी के कुल खर्चे का 25% अंशदान का प्रावधान रखने और उसे जारी करने के लिये प्रतिबद्ध रहेगी । इसमें समय-समय पर सोसायटी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को वास्तविक धनराशि देना भी शामिल होगा ।

7. सोसायटी द्वारा वित्तीय मदद के अनुरोध पर विचार करके केन्द्रीय सरकार उनके उचित एवं स्वीकार्य होने पर सोसायटी को धन जारी करेगी । केन्द्रीय सरकार का अंशदान सामान्यतः तीन किश्तों में जारी होगा । लेकिन दूसरी और तीसरी किश्त राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिये खुद का अंशदान जारी किये जाने से संबंधित होगी । सोसायटी को जारी किया गया धन तय किये गये मानदण्डों के आधार पर सिर्फ योजना पर ही खर्च करेगी ।

8. सोसायटी योजना के लिये अलग से लेखे रखेगी और बैंक में अलग से खाता खोलेगी जो कि मानद् लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) के साथ-साथ संबंधित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के महा लेखाकार (एकाउन्टेन्ट जनरल) के द्वारा भी अंकेक्षित किये जाने चाहिये ।

9. सोसायटी के अधिकार सामान्य परिषद् के पास होंगे जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री या राज्य में उक्त विभाग के मंत्री होंगे और कार्यकारी परिषद् की अध्यक्षता मुख्य सचिव या संबंधित विभाग के सचिव के पास रहेगी । सामान्य परिषद् या कार्यकारी परिषद् में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व उसके नामिनी के जरिये होगा । इस अॅथारिटी की बनावट और कार्य क्षेत्र का वर्णन संबंधित दस्तावेजों में किया गया है ।

10. योजना की शुरूआत करने से पहले घरों का सर्वे/जिलों में स्कूल मानचित्रण अभ्यास/सूक्ष्म नियोजन/क्षमता निर्माण अभ्यास किये जाने चाहिये जिनके लिये केन्द्रीय सरकार निश्चित धन राशि मुहैय्या करवायेगी । जि०प्रा०शि०का०/स०शि०अ० वाले जिलों में इस योजना के तहत मौजूद धन को उक्त उद्देश्य के लिये काम लिया जा सकता है ।

11. विकासखण्ड/जिला स्तर की योजना इस तरह से बनायी जानी चाहिये ताकि प्राइवेट/सरकारी स्कूलों में, अनौ०शि० और अन्य केन्द्रों में होने वाले दोहरे नामांकनों को हटाया जा सके ।

12. मिलने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच-परख के लिये सोसायटी एक अनुदान समिति (GIAC) गठित करेगी । प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (विभाग) का एक प्रतिनिधि और एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि अनुदान समिति में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा । अनुदान समिति की बैठक में विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी । ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं से मिलने वाले प्रस्तावों को, जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के किन्हीं भी विभागों या एजेन्सियों ने काली सूची में डाल रखा है, सोसायटी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत परियोजना आवंटित करने के मामले में, विचार करने के दायरे से हमेशा के लिये बाहर रखा जाना चाहिये ।

13. इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिये समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति पूर्व-शर्त होगी । अनुदान समिति सिर्फ उन्हीं प्रस्तावों को विचारार्थ स्वीकार करेगी जिनके साथ समुदाय द्वारा की गई मांग का प्रमाण भी नत्थी होगी । सोसायटी के लिये इस तरह प्रमाणीकरण करना जरूरी होगा ।

14. गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन मंगवाने और उन आवेदनों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के तरीके सोसायटी को विकासित करने होंगे ।

15. गैर सरकारी संगठन जो अनुदान समिति (GIAC) के निर्णय से सहमत न हों, वे कार्यकारी समिति में अपील कर सकें, ऐसा तरीका बनाना होगा । लेकिन इस तरीके में ऐसे प्रावधान भी रखने होंगे जिसमें उन गैर सरकारी संस्थाओं को चेतावनी जारी की जा सके जो जिनमें बिना किसी वाजिब कारण के अपील करने की आदत पायी जाती है । ऐसी दो चेतावनियों के बाद वह गैर सरकारी संस्था अपने आप काली सूची में दर्ज हो जायेगी ।

16. योजना के शि०गा०यो० घटक के अन्तर्गत सोसायटी सिर्फ उन प्रस्तावों को विचारार्थ स्वीकार करेगी, जिनमें प्रति बच्चा लागत समय-समय पर तय हों और योजना के अन्तर्गत सभी हो। कोई भी प्रस्ताव जिसके लागत मानदण्ड ज्यादा हों और योजना के वैकल्पिक एवं नवाचारी घटक के अन्तर्गत सभी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने चाहिये। इन प्रस्तावों के साथ उक्त एजेन्सियों द्वारा इन कार्यक्रमों को चलाये जाने के संदर्भ में एजेन्सी की उपयुक्तता के बारे में सोसायटी की अनुशंसाओं के बाद अनुदान समिति की एजेन्सी के बारे में विस्तृत अनुशंसाएं भी नत्थी की जानी चाहिये।

17. निम्नलिखित समझौते न किये जा सकने योग्य मान्यताओं की गारण्टी दिये जाने की जरूरत पड़ेंगी ।

(अ) योजना के अन्तर्गत चलने वाले केन्द्र, प्रत्येक कार्य दिवस में दिन के समय में कम से कम चार घंटे चलेंगे । इस नियम के किसी भी अपवाद को बहुत ही विशिष्ट मामलों में अनुदान समिति (GIAC) की अनुमति से ही स्वीकृति दी जायेगी ।

(ब) शिक्षा स्वयंसेवको को मानदेय का नियमित और समय पर भुगतान किया जायेगा ।

(स) केन्द्रों के लिये जरूरी पाठ्य-पुस्तकें और सीखने-सिखाने की सामग्री केन्द्र खुलने से पहले मुहैय्या करवा दी जायेगी ।

(द) शिक्षा स्वयंसेवकों के आरंभिक प्रशिक्षणों को संबंधित दस्तावेजों में दिये गये प्रावधानों के तहत सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

(य) कक्षा के अवलोकन अध्ययनों के साथ-साथ योजना के अन्तर्गत नियमित तौर पर केन्द्रों के संचालन का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिये ।

18. मानदेय का समय पर भुगतान करने और सीखने सिखाने की सामग्री इत्यादि को खरीदने के लिये धन की जरूरत को पूरा करने के नजरिये से धन को स्वीकृत चैनलों के माध्यम से समय पर जारी करने की जिम्मेदारी सोसायटी की होगी ।

19. गैर-सरकारी संस्थाओं के चयन और उन्हें धन जारी करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये तरीकों का पालन किया जाना चाहिये ।

20. राज्य सरकार/गैर सरकार सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कामकाज की नियमित देख-रेख (अनुश्रवण) के साथ-साथ सोसायटी को ऐसे तरीके भी ढूंढने होंगे जिससे कि इन कार्यक्रमों के हिसाब-किताब पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जा सके ।

21. सोसायटी को केन्द्रों में भर्ती बच्चों की परीक्षा और प्रमापीकरण के उपयुक्त तरीके ढूंढने चाहिये ताकि अन्ततः उन्हें औपचारिक विद्यालयों के विभिन्न स्तरों में दाखिल करवाया जा सकें ।

22. केन्द्रीय सरकार नियमित तौर पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनकी प्रभाविकता का मूल्यांकन करेगी । सोसायटी के मूल्यांकन के आधार पर दलों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय को स्वीकारना अनिवार्य होगा और उन निर्णयों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्टें ऐसे निर्णयों की सूचना मिलने के एक महीने में या उसके बाद अनुदान समिति की अगली बैठक से पहले उसके सामने रखी जानी चाहिये ।

23. सोसायटी साल में एक बार बढ़िया उपलब्धि हासिल करने वाले केन्द्रों की सूची में से कुछ चयनित केन्द्रों को औपचारिक स्कूलों में बदलने की अनुशंसा अकादमिक सत्र के शुरू होने से कम से कम छह माह पहले भेजी जानी चाहिये ।

24. राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा निर्धारित और समय-समय पर मांगी जाने वाली रिपोर्टें और सूचनाएं सोसायटी द्वारा मुहैय्या करवायी जानी चाहिये ।

25. केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारों के तहत धन जारी करने को बन्द/स्थगित कर सकती है यदि उसके विचार से सोसायटी अपने दायित्वों को, जैसा कि संबंधित दस्तावेजों में दिया गया है या मानदण्ड तय किए गये हैं और या राज्य सरकार कुल खर्चे का 25% वाला स्वयं का अंशदान, केन्द्र सरकार से मिलने वाली दूसरी किश्त के अनुरोध या उसके जारी होने से पहले, जारी नहीं किया गया है ।

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

एक विकासखण्ड में 100 शि०गा०यो० केन्द्रों के आधार पर शि०गा०यो० के प्राथमिक केन्द्रों पर होने वाले खर्च की गणना

(अ)	100 केन्द्रों के लिये @ 845 रू० प्रति बच्चे के हिसाब से हर केन्द्र पर कुल स्वीकृत धन 845 × 25 × 100	= 21,12,500/- रू०
1.	राज्य और जिला स्तर कार्यालय पर प्रकाश, अनुश्रवण और मूल्यांकन आदि के लिये 5% प्रशासनिक खर्च	= 1,05,625/- रू०
2.	विकासखण्ड प्रबन्धन लागत	= 2,50,000/- रू०
3.	केन्द्र चलाने के लिये उपलब्ध धन	= 17,56,875/- रू०
(अ)	100 शिक्षा स्वयंसेवकों के लिये मानदेय @ 1000/- रू० 12 माह के लिये @ 1000 × 100 × 12	= 12,000,000/- रू०
(ब)	सीखने-सीखाने की सामग्री @ 100/- रू० प्रति बच्चा	= 2,50,000/- रू०
(स)	उपकरण @ 1100/-	= 1,10,000/- रू०
(द)	केन्द्रों के लिये आकस्मिक खर्च	= 46875/- रू०
(य)	शिक्षा स्वयंसेवकों के लिये प्रशिक्षण	= 1,50,000/- रू०

NIEPA - DC
D12886

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No. D-12886